अनुबंध 1.1
(पैरा 1.4 तथा 1.6 का संदर्भ लें)
ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं की राज्य-वार संख्या

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	एम.एम.आई.परियोजनाएं		एम.आई. योजनाएं	
		2008-17 के दौरान परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान एम.आई. योजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत
1.	गुजरात	5	55,049.28	-	-
2.	महाराष्ट्र	48	35,803.69	169	723.19
3.	तेलंगाना	13	24,614.09	-	-
4.	कर्नाटक	17	23,980.51	750	966.74
5.	मध्य प्रदेश	19	15,902.27	593	1,748.13
6.	ओडिशा	11	15,840.36	58	92.52
7.	राजस्थान	3	10,024.23	7	73.49
8.	उत्तर प्रदेश	9	9,994.90	-	-
9.	झारखंड	8	7,255.13	537	544.31
10.	बिहार	6	3,893.43	268	198.02
11.	आंध्र प्रदेश	12	4,564.50	100	373.41
12.	छत्तीसगढ़	7	3,413.06	409	1,700.30
13.	मणिपुर*	3	2,286.26	505	-
14.	पश्चिम बंगाल	4	2,078.80	57	23.88
15.	पंजाब*	3	1,599.47	-	-
16.	उत्तराखंड	1	1,446.00	2,295	1,351.87
17.	असम	6	1,184.06	1,554	6,211.36
18.	केरल	4	1,058.17	-	-
19.	गोवा	1	1,051.69	-	-
20.	जम्मू एवं कश्मीर	13	796.09	878	1,075.54
21.	हिमाचल प्रदेश	4	674.33	359	52.11
22.	त्रिपुरा	3	273.36	181	104.48
23.	मेघालय	1	16.30	348	450.29
24.	मिजोरम	-	-	207	182.35

क्रम सं.	राज्य	एम.एम.आई.परियोजनाएं		एम.आई. योजनाएं	
		2008-17 के दौरान परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान एम.आई. योजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत
25.	सिक्किम	-	-	444	121.91
26.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	625	313.77
27.	नागालैंड	-	-	947	493.11
कुल		201	2,22,799.98	11,291	16,800.78

***मणिपुर और पंजाब नमूने में नहीं चुने गए थे।**

अनुबंध 1.2
(पैरा 1.5 का संदर्भ लें)

2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं के राज्य-वार जारी निधि तथा प्रतिवेदित व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी किया गया सी.ए.	राज्य का जारी किया हिस्सा	प्रतिवेदित व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	444.00	1,463.06	1,619.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	336.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	394.76
3.	असम	3,682.00	454.19	3,992.90
4.	बिहार	416.00	3,314.64	2,345.46
5.	छत्तीसगढ़	1,040.00	1,348.51	2,373.86
6.	गोवा	107.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	544.99
7.	गुजरात	4,644.00	10,770.83	14,498.80
8.	हिमाचल प्रदेश	466.00	41.85	488.51
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1,377.00	117.38	1,416.29
10.	झारखंड	1,839.00	1,866.24	3,676.09
11.	कर्नाटक	3,512.00	4,205.16	8,876.44
12.	केरल	15.00	553.27	745.59
13.	मध्य प्रदेश	4,864.00	11,508.57	16,153.73
14.	महाराष्ट्र	5,953.00	9,371.39	14,442.98
15.	मणिपुर	1,388.00	उपलब्ध नही*	उपलब्ध नही*
16.	मेघालय	451.00	105.44	555.73
17.	मिजोरम	182.00	20.49	306.67
18.	नांगालैंड	512.00	52.86	578.99
19.	ओडिशा	3,469.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	9,294.45
20.	पंजाब	243.00	उपलब्ध नही*	उपलब्ध नही*
21.	राजस्थान	483.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	1,619.19
22.	तेलंगाना	2,301.00	8,877.64	15,279.16
23.	त्रिपुरा	181.00	17.08	193.80
24.	सिक्किम	60.00	12.72	72.83
25.	उत्तर प्रदेश	1,784.00	2,491.82	3,341.71
26.	उत्तराखंड	1,352.00	212.70	1,563.00
27.	पश्चिम बंगाल	42.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	116.84
	कुल	**41,143.00**	**56,805.84***	**1,04,492.62**

***मणिपुर और पंजाब नमूने में नहीं चुने गए थे।**

अनुबंध 1.3
(पैरा 1.5 का संदर्भ लें)

2008-17 के दौरान एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं हेतु जारी की गई केन्द्रीय सहायता/ अनुदान का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	एम.एम.आई. परियोजनाएं	एम.आई. योजनाएं	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	70	374	444
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	336	336
3.	असम	389	3,293	3,682
4.	बिहार	218	198	416
5.	छत्तीसगढ़	219	821	1,040
6.	गोवा	107	-	107
7.	गुजरात	4,644	-	4,644
8.	हिमाचल प्रदेश	229	237	466
9.	जम्मू एवं कश्मीर	302	1,075	1,377
10.	झारखंड	1,295	544	1,839
11.	कर्नाटक	3,103	409	3,512
12.	केरल	15	-	15
13.	मध्यप्रदेश	3,115	1,749	4,864
14.	महाराष्ट्र	5,230	723	5,953
15.	मणिपुर	1,119	269	1,388
16.	मेघालय	-	451	451
17.	मिजोरम	-	182	182
18.	नागालैंड	-	512	512
19.	ओडिशा	3,376	93	3,469
20.	पंजाब	243	-	243
21.	राजस्थान	469	14	483
22.	सिक्किम	-	60	60
23.	तेलंगाना	2,301	-	2,301
24.	त्रिपुरा	76	105	181
25.	उत्तर प्रदेश	1,784	-	1,784
26.	उत्तराखंड	-	1,352	1,352
27.	पश्चिम बंगाल	30	12	42
कुल		**28,334**	**12,809**	**41,143**

स्रोतः मंत्रालय

अनुबंध 1.4
(पैरा 1.9 का संदर्भ लें)

नमूना क, ख एवं ग के अंतर्गत चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्रमुख एवं मध्यम परियोजनाएं						लघु योजनाएं	
		नमूना क			नमूना ख			नमूना ग	
		पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	2	3	1	1	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	15	7
3.	असम	0	0	0	1	3	0	15	15
4.	बिहार	1	0	0	0	2	0	11	3
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0	2	0	0	12	9
6.	गोवा	0	0	0	0	1	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	2	1	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	2	0	15	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	2	0	0	7	0	15	15
10.	झारखंड	0	1	0	0	4	0	15	5
11.	केरल	0	1	0	0	1	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	5	0	2	2	0	15	10
13.	मध्य प्रदेश	3	4	0	0	4	0	15	8
14.	महाराष्ट्र	1	5	0	13	10	0	4	4
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	1	11	6
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	10	2
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	15	8
18.	ओडिशा	0	1	0	0	6	0	1	2
19.	राजस्थान	0	0	0	0	3	0	1	1
20.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	14	8
21.	तेलंगाना	0	0	0	0	6	0	2	0
22.	त्रिपुरा	0	0	0	0	2	0	8	1
23.	उत्तर प्रदेश	0	2	0	1	3	0	0	0
24.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	1	15	15

क्रम सं.	राज्य	प्रमुख एवं मध्यम परियोजनाएं						लघु योजनाएं	
		नमूना क			नमूना ख			नमूना ग	
		पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	2	0	3	0
	कुल	7	23	0	23	62	3	213	122
	कुल योग	30			88			335	

अनुबंध 1.5
(पैरा 1.9 का संदर्भ लें)

चयनित नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं के विमोचन एवं व्यय का राज्य वार विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	राज्य का नाम	एम.एम.आई. परियोजनाएं				एम.आई. योजनाएं		
		परियोजना की संख्या	स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान जारी सी.ए.	2008-17 के दौरान व्यय	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	6	1,998.63	0	612	2	29.80	17.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	22	17.45	15.60
3.	असम	4	1,093.58	388	455	30	240.93	133.07
4.	बिहार	3	1,726.87	143	842	14	54.63	55.13
5.	छत्तीसगढ़	4	1,758.51	144	703	21	141.14	155.53
6.	गोवा	1	1,051.69	107	545	-	-	-
7.	गुजरात	3	54,921.19	4,643	14,499	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	3	586.24	198	329	17	52.11	54.62
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9	679.60	261	290	30	220.08	128.25
10.	झारखंड	5	6,999.00	1,280	2,982	20	34.39	30.40
11.	कर्नाटक	10	16,179.74	1,197	4,046	25	75.59	75.48
12.	केरल	2	594.57	6	51	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	11	10,483.03	1,790	5,599	23	165.25	188.66
14.	महाराष्ट्र	29	26,695.15	3,579	9,668	8	365.30	528.82
15.	मेघालय	1	16.30	0	0	17	94.45	41.52
16.	मिजोरम	-	-	-	-	12	19.09	16.34
17.	नागालैंड	-	-	-	-	23	29.38	28.56
18.	ओडिशा	7	10,282,08	1,744	6,044	3	4.38	6.76
19.	राजस्थान	3	10,024.23	469	1,550	2	59.32	47.85
20.	सिक्किम	-	-	-	-	22	6.86	4.32
21.	तेलंगाना	6	23,678.78	2,243	11,016	2	3.72	5.01
22.	त्रिपुरा	2	190.35	50	50	9	12.34	9.70
23.	उत्तराखंड	1	1,446	0	0	30	53.03	47.52
24.	उत्तर प्रदेश	6	7,687.70	938	3,517	-	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	2	2,052.55	4	3	3	1.31	1.27
	कुल	**118**	**1,80,145.79**	**19,184**	**62,801**	**335**	**1,680.55**	**1,591.71**

स्रोतः मंत्रालय एवं राज्य प्राधिकरण

अनुबंध 1.6

(पैरा संख्या 1.11 का संदर्भ लें)

पी.ए.सी. की अनुशंसा पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	• सभी प्राथमिक प्रतिवेदनों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण व जांच तत्काल आरंभ की जानी चाहिए। • सभी परियोजनाओं हेतु डी.पी.आर. पर जोर दिया जाना चाहिए। • लागत, राजस्व एवं फसल पद्धति, आदि से संबंधित अनुमानों की वैध व सत्यापित तिथी पर आधारित, मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परियोजनाओं हेतु बी.सी.आर. उचित रूप से निकाला गया हो।	• प्राथमिक प्रतिवेदन के आधार पर किसी भी परियोजना को मंजूर नहीं किया गया। • राज्य सरकार को मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश दिये गए। • मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि बी.सी.आर. की गणना हेतु फसल पद्धति, उत्पादकता, उत्पादन की दर, आदि संबंधित आँकडों की राज्य कृषि विभाग द्वारा विधिवत रूप से जाँच की जाएगी।	• एक परियोजना के मामले में डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया था। मंत्रालय के दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों की तुलना में 35 एम.एम.आई. परियोजनाओं के डी.पी.आर. में कमियाँ थीं। *(पैरा 2.4)* • नौ राज्यों की 28 एम.एम.आई. परियोजनाओं एवं 82 एम.आई. योजनाओं में बी.सी.आर. की गणना हेतु समान मापदंडों को अपनाया नहीं गया था। *(पैरा 2.5)*
2	मंत्रालय को उन परियोजनाओं को चालू नहीं किया गया समझना चाहिए जहाँ संरचना पूर्ण हो चुकी है परन्तु लक्षित सिंचाई क्षमता के वास्तविक उपयोग की पुष्टि नहीं की गई।	एम.ओ.डब्ल्यू.आर. ने निर्मित सिंचाई क्षमता के शीघ्र उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ए.आई.बी.पी. के साथ-साथ सी.ए.डी.एवं.डब्ल्यू.एम. परिपस्सु के अंतर्गत परियोजनाओं को लेने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी।	नौ एम.एम.आई. परियोजनाओं एवं 14 एम.आई. योजनाओं के मामले में अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण समझने के मामले पाए गए। *(पैरा 4.2.1 एवं 4.3.1)*
3.	मंत्रालय द्वारा किये गए क्षेत्र के दौरों को परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब का अनिवार्य रूप से संज्ञान लेना चाहिए तथा उसके निवारण हेतु सभी समेकित उपायों का सुझाव देना चाहिए।	• बाधाओं को पहचानने तथा विलंब को कम करने हेतु उपायों की अनुशंसा पर ज़ोर देते हुए निगरानी की संशोधित प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए	• सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निगरानी में लगातार कमी थी। *(पैरा 5.2.1)*

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	**मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई**	**लेखापरीक्षा टिप्पणी**
		सी.डब्ल्यू.सी. एवं उसके क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा निगरानी की प्रक्रिया की गंभीर रूप से समीक्षा की जा रही है। • इसके अतिरिक्त, निगरानी की निर्धारित आवृत्ति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वंतत्र विशेषज्ञओं/संगठन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया है।	
4.	मंत्रालय को ऐसे सभी मामलों में विस्तृत जाँच करनी चाहिए जहाँ राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा अपूर्ण/चालू न की गई परियोजनाओं को पूर्ण हो चुकी परियोजना प्रमाणित कर दिया गया था।	अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया।	• पूर्ण प्रमाणित की गई 30 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से नौ अपूर्ण पाई गई थीं। एम.आई. योजनाओं के मामले में, 14 एम.आई. योजनाऐं निष्क्रिय पायी गई थीं। *पैरा 4.2.1, 4.3.1 एवं 4.3.2)*
5.	भूमि अधिग्रहण के मुद्दों का हल निकालने के लिए मंत्रालय को राज्य सरकार को सहमत करना चाहिए। निधियों के विमोचन को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में हुई संतोषजनक प्रगति के साथ निरपवाद रूप से जोड़ा जाना चाहिए। विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय हेतु एक प्रभावी संस्थागत तंत्र को स्थापित करना चाहिए।	एक विशेष वर्ष हेतु निधियाँ तभी विमोचित की जाएँगी जब उस वर्ष के कार्य हेतु अपेक्षित भूमि राज्य सरकार के कब्जे में हो। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजनाओं की निगरानी हेतु परियोजना/राज्य स्तरीय कमेटियाँ बनाऐं जो समन्वय संबंधी मुद्दों की देखरेख करेगी। इसके अतिरिक्त, निगरानी की प्रक्रिया के दौरान इन मुद्दों पर जोर देना भी प्रस्तावित किया गया।	• 56 एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में, भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ था। *(पैरा 4.6)* • 22 एम.एम.आई. परियोजनाओं में स्वीकृति संबंधी मुद्दे थे। *(पैरा 4.8)* • यद्धपि सी.डब्ल्यू.सी. की निगरानी रिपोर्टों ने चार मामलों में लंबित भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			दर्शाया, राज्यों/परियोजना अधिकरियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। *(पैरा 5.2.1.2)*
6.	सिंचाई क्षमता की कमी का समाधान उच्चतम स्तर पर करना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई क्षमता का सर्वोत्तम/अनुकूलतम उपयोग शीघ्रताशीघ्र किया जा सके।	मंत्रालय ने ए.आई.बी.पी. के साथ ही सी.ए.डी.एवं.डब्ल्यू.एम. परिपस्सु के अंतर्गत परियोजना को लेने हेतु कार्रवाई आरंभ की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से यह भी अनुरोध/सुझाव दिया जाएगा कि वह सिंचित कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों में न बदले।	115 एम.एम.आई. परियोजनाओं में निर्मित आई.पी. एवं उपयोग की गई आई.पी. में 35 प्रतिशत का समग्र अंतर था। *(पैरा 4.5.2)*
7.	मंत्रालय को तुरंत कदम उठाने चाहिए राज्य कि सरकार समक्रमिक रीति से चरणों में सिंचाई परियोजनाओं को निष्पादित करे, सुनिश्चित करने हेतु ताकि एक चरण के पूर्ण हो जाने पर किसान को सिंचाई के जल का लाभ प्राप्त हो सके।	राज्य सरकार को निर्माण योजना पर जोर देने तथा अनुमोदित योजना का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।	जाँच परीक्षा ने सात राज्यों की 10 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा चार एम.आई. योजनाओं में कार्य की त्रुटिपूर्ण प्रावस्था को प्रकट किया। *(पैरा 4.9.2)*
8.	मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करे कि निर्मित क्षमता का लाभपूर्वक उपयोग हो।	एम.ओ.डब्ल्यू.आर. ने परियोजना को सी.ए.डी. एवं. डब्ल्यू.एम. परिपस्सु के साथ-साथ ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लेने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई थी, इस दृष्टि से कि निर्मित सिंचाई क्षमता का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित हो।	निर्मित आई.पी. की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. में 35 प्रतिशत की कमी थी। *(पैरा 4.5.2)*
9.	प्रधान मंत्रालय समय से परियोजनाओं को पूरा न कर पाने के मामलों में अनुदान घटक को ऋण में परिवर्तित करने हेतु ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के	कठोर अनुपालन हेतु अनुशंसाओं को नोट कर लिया गया है।	मंत्रालय ने समय लंघन के 105 मामलों में से किसी भी मामले में अनुदान को ऋण में परिवर्तित नहीं किया। *(पैरा 3.10)*

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	प्रावधनों को लागू करने में विफल रहा।		
10.	समिति ने पाया कि जल संसाधन मंत्रालय ने निधियों के विपथन, अप्राधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए एक तंत्र बनाया है।	कठोर अनुपालन हेतु अनुशंसाओं को नोट कर लिया गया है।	₹ 1,578.55 करोड़ की निधि के विपथन के दृष्टांत थे। *(पैरा 3.6)*
11.	समिति ने अनुशंसा की कि मंत्रालय को पूर्वनिर्धारित मानदंड अर्थात कृषि पर निर्भर जनसंख्या, अभी पूरी न की गई आधारभूत सिंचाई क्षमता (यू.आई.पी.), राज्यों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय निधियों का सामान वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। मंत्रालय एवं सी.डब्ल्यू.सी., ए.आई.बी.पी. निधियों को समय से जारी करें।	राज्य सरकार से प्रस्तावों को माँगने एवं प्राप्त करने तथा समय से निधियों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को उसे अग्रेषित करने हेतु एम.ओ.डब्ल्यू.आर. द्वारा प्रयास किये जाते हैं।	मंत्रालय ने वर्षों के अंत पर एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु ₹ 6,747.46 (35 प्रतिशत) की राशि तथा एम.आई. योजनाओं हेतु ₹ 2,725.55 की राशि जारी (2008-17) की, जिसमें वित्त वर्ष के अंत के पश्चात निधि जारी करने के 11 दृष्टांत हैं। *(पैरा 3.2)*
12.	समिति ने यह भी पाया कि 21 राज्यों में जाँची गई परियोजनाओं में जल उपोयोगकर्ता संघ नहीं था या व्यवहारिक रूप से गैर-कार्यात्मक था। अनेक परियोजनाओं के संबंध में किसानों/जल उपयोगकर्ता संघ को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को सौंपने हेतु व्यवस्था संचालित नहीं की गई थी।	मंत्रालय ने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन और जल प्रयोक्ता संघ के संविधान पर कानून के अधिनियमन के लिए सभी राज्यों को एक मॉडल बिल (1976) प्रसारित किया है।	आठ राज्यों ने डब्ल्यू.यू.ए. गठित नहीं किया था। *(पैरा 5.6.1)*
13.	मंत्रालय सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार जल संसाधन नियामक प्राधिकरणों/आयोगों की स्थापना में शीघ्र कार्रवाई करे तथा परियोजनाओं के आधारभूत आस्तियों के रखरखाव हेतु अपने संबंधित राज्य बजट में उपयुक्त प्रावधान बनाऐं।	मंत्रालय ने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन और जल प्रयोक्ता संघ के संविधान पर कानून के अधिनियमन के लिए सभी राज्यों को एक मॉडल बिल (1976) प्रसारित किया है।	आठ राज्यों ने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर कानून नहीं बनाए थे। *(पैरा 5.6.1)*

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
14.	तत्काल दिशानिर्देशों के साथ उपयुक्त रूप से निगरानी दौरों को बढ़ाना चाहिए तथा विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदनों को संघ के साथ-साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों में सूदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली रूप से उपयोग आवश्यक है।	सी.डब्ल्यू.सी. एवं उसके क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा की गई निगरानी की प्रक्रिया की गंभीर रूप से समीक्षा की जा रही है। निगरानी एवं मूल्यांकन में सहयोग हेतु राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेन्टर व अन्य ऐजन्सियों जैसी स्वंतत्र ऐजन्सियों से संपर्क किया गया है।	सी.डब्ल्यू.सी एवं राज्य सरकार द्वारा निगरानी में लगातार कमी एवं अभाव था। *(पैरा 5.2.1.1 एवं 5.5)* ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निगरानी हेतु सूदूर संवेदन का बहुत सीमित उपयोग था। *(पैरा 5.4)*
15.	समिति ने चिंता के साथ पाया कि राज्य सरकार, योजना आयोग, सी.डब्ल्यू.सी. आदि के बीच समन्वय की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं थी। मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि निगरानी प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा।	सी.डब्ल्यू.सी. एवं उसके क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा निगरानी प्रक्रिया की गंभीर रूप से समीक्षा की जा रही है। निगरानी एवं मूल्यांकन में सहयोग हेतु स्वतंत्र एजेंसियों जैसे नैशनल रिमोट सैंसिंग सेंटर (एन.आर.एस.सी.) व अन्य एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है।	2013 की ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के पश्चात किये जाने वाले दौरों की संख्या में कमी होने के बावजूद सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निगरानी में लगातार कमी थी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र एजेंसियों जैसे एन.आर.एस.सी. व अन्य एजेंसियों की भूमिका अति सीमित थी क्योंकि उनकी कवरेज बहुत व्यापक नहीं थीं। *पैरा 5.2.1.1 और 5.4)*
16.	मंत्रालय को दृढ़ता से राज्य सरकार के साथ नैशनल रिमोट सैंसिंग केद्र द्वारा पाई गई कमियों व अंतर के समाधान को सुनिश्चित करना चाहिए।	जैसा कि पूर्व में प्रस्तुत किया गया था कि 17 परियोजनाओं के प्रतिवेदनों से संबंधित राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया था।	राज्यों एवं मंत्रालय द्वारा दी गई आई.पी. के डाटा में अंतर था। *(पैरा 5.3.2)* एन.आर.एस.सी. ने भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में अंतर बताया था। *(पैरा 5.4)*
17.	समिति ने अस्पष्ट शर्तों पर अनुशंसा की कि परियोजना के सभी प्रकार जैसे मुख्य/मध्य/लघु सिंचाई परियोजनाओं में समाप्ति तक जल	मात्रात्मक व गुणात्मक पहलुओं का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए निगरानी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।	जल उपलब्धता के त्रुटिपूर्ण आकलन व परियोजनाओं हेतु उपलब्ध जल की मात्रा में अंतर के चार मामले थे।

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	की उपलब्धता निरपवाद रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए।		*(पैरा 2.4)*
18.	समय बद्ध रीति से सूखा प्रवण क्षेत्रों व मरूस्थल प्रवण क्षेत्रों हेतु सिंचाई क्षमता को निर्मित करने के लिए कठोर प्रयास किये जाने चाहिए। इससे खाद्य सुरक्षा न केवल इन क्षेत्रों में होगी बल्कि पूरे देश में भी होगी।	मंत्रालय ने ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत चालू एवं नई परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु एक नोट चलाया जिससे डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों के समान कार्य की पात्र लागत हेतु 90 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता का लाभ देना था।	2013 के ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) क्षेत्र/सूखा उद्यत/प्रवृत्त क्षेत्र को लाभान्वित कर रही परियोजना को लाभान्वित डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों के समान माना गया इसलिए नई परियोजनाऐं अनुदान के 90 प्रतिशत पर केन्द्रीय सहायता के पात्र थीं। पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, गैर-एस.सी.एस. के विशेष क्षेत्रों के मामले में अक्तूबर 2015 से ए.आई.बी.पी. हेतु कन्द्रीय हिस्से को 60 प्रतिशत कर दिया गया था। *(पैरा 1.5)* डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत छः परियोजनाऐं अपूर्ण थीं जिसमें दो से छः वर्षों तक का समय लगा था। *(पैरा 4.2.1)*

अनुबंध 2.1
(पैरा 2.3 का संदर्भ ले)
ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजना का अनियमित समावेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./ सी.ए. जारी	टिप्पणी
उन राज्यों में स्वीकृत ई.आर.एम. जहां की ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत पहले से ही परियोजनाएं हैं							
1.	जम्मू व कश्मीर	कांडी नहर का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2007-08	53.70	16.20	यद्यपि राज्य के पास एम.एम.आई. परियोजना थी तथा वह ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे, फिर भी ई.आर.एम. को ए.आई.बी.पी. के अधीन सम्मिलित किया गया था।
2.		ददी नहर का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2006-07	49.95	34.50	
3.		मुख्य रावी नहर की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	प्राथमिकता	2011-12	66.67	36.28	
4.		अहजी नहर का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2008-09	20.51	12.09	
5.	कर्नाटक	भीमसमुद्र टैंक की मरम्मत	ई.आर.एम.	2009-10	9.38	3.48	
6.	केरल	चतुर्पुझा	ई.आर.एम.	2010-11	34.57	5.85	
7.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बांध का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2005-06	328.82	66.90	
8.		हरदोई शाखा की सिंचाई तीव्रता में सुधार करना	ई.आर.एम.	2006-07	135.17	24.79	
9.		शारदा सहायक नहर प्रणाली की मरम्मत	ई.आर.एम.	2009-10	317.25	39.37	
	कुल				**1,016.02**	**239.46**	
योजना आयोग से स्वीकृती न प्राप्त हुई परियोजनाएं							
10.	कर्नाटक	वरही	मुख्य	2007-08	569.53	99.63	योजना आयोग की अनुमति के बिना
11.	महाराष्ट्र	हेतेवाने	मध्यम	2002-03	329.90	50.50	
12.		अरूणा	मध्यम	2009-10	669.08	70.54	
13.		अर्जुन	मध्यम	2009-10	436.49	80.51	
	कुल				**2,045.00**	**301.18**	

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./सी.ए. जारी	टिप्पणी
परियोजनाएं जो उन्नत चरण में नहीं है							
14.	आंध्र प्रदेश	स्वर्णमुखी	मध्यम	2005-06	52.04	11.86	₹ 52.04 करोड़ के विरूद्व व्यय (₹ 12.50 करोड़) केवल 24 प्रतिशत था।
15.		तादीपुडी एल.आई.एस.	मुख्य	2006-07	467.70	48.22	मार्च 2006 को व्यय केवल ₹ 91.22 (24.20 प्रतिशत था।)
16.		तारकारमा तीर्थ सागरम	मध्यम	2005-06	471.32	33.00	मार्च 2005 तक व्यय शून्य था।
17.	हिमाचल प्रदेश	बलह घाटी लेफ्ट बैंक	मध्यम	2009-10	103.78	55.22	मार्च 2009 को व्यय केवल ₹ 10.52 (16.90 प्रतिशत था तथा मुख्य कार्य घटक की मद-1 (10 मदों मं से) की 60 प्रतिशत व घटक-8 अर्थात नलकूपों से लिफ्ट प्रणाली की 5 प्रतिशत से कम वास्तविक प्रगति हुई।
18.	जम्मू व कश्मीर	प्रकाचिक खोस नहर	प्राथमिकता	2007-08	53.32	31.65	₹ 35.43 करोड़ की स्वीकृत लागत के विरूद्व व्यय केवल ₹ पांच लाख (14 प्रतिशत) था तथा वास्तविक प्रगति शून्य थी।
19.	कर्नाटक	गुड्डादा मल्लापुरा एल.आई.एस.	मध्यम	2009-10	115.40	79.36	मार्च 2009 को व्यय केवल ₹ 16.36 करोड़ (14 प्रतिशत) था।
20.	महाराष्ट्र	लोअर पेधी	मुख्य	2008-09	594.75	223.60	मार्च 2008 तक ₹ 283.10 करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्व व्यय ₹ 3.40 करोड़ (1.20 प्रतिशत) था।
21.		वार्ना	मुख्य	2005-06	1,256.77	48.37	मार्च 2005 तक ₹ 1,256.77 करोड़ की

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./ सी.ए. जारी	टिप्पणी
							अनुमानित लागत के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 357.52 करोड़ (28.44 प्रतिशत) था।
22.		संगोला शाखा नहर	मुख्य	2007-08	937.92	140.37	मार्च 2007 तक ₹ 287.77 करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 76.41 करोड़ (26.55 प्रतिशत) था।
23.	ओडिशा	रूकुरा ट्राइबल	मध्यम	2009-10	296.98	70.92	मार्च 2009 तक व्यय ₹ 42.84 करोड़ (22.75 प्रतिशत) था तथा मार्च 2010 तक वास्तविक प्रगति शून्य थी सिवाए भूमि अधिग्रहण के (बांद हेतु 97 प्रतिशत, मुख्य नहर 47 प्रतिशत हेतु)
24.	तेलंगाना	एस.आर.एस.पी. की बाढ़ प्रवाह नहर	ई.आर.एम.	2005-06	5,940.09	382.40	समावेश के समय ₹ 1,331.30 करोड़ की अनुमानित लागत का व्यय ₹ 451.45 करोड़ (33.91 प्रतिशत) था। 08.12.05 को मुख्य कार्य की वास्तविक प्रगति शून्य थी तथा भूमि अधिग्रहण व मुख्य नहर का भूमि कार्य क्रमशः 37 प्रतिशत व 27 प्रतिशत था।
25.		पलेमवागु	मध्यम	2005-06	221.48	9.54	₹ 29.13 करोड़ की अनुमानित लागत का व्यय ₹ 7.42 करोड़ (25.47 प्रतिशत) था।

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./ सी.ए. जारी	टिप्पणी
26.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	प्राथमिकता	2006-07	13,445.44	1,787.69	31.03.06 तक व्यय ₹ 972.18 करोड़ (16.16 प्रतिशत) था तथा मार्च 2006 तक वास्तविक प्रगति 0.5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच थी।
27.	उत्तर प्रदेश	मध्य गंगा नहर चरण-II	मुख्य	2008-09	2,865.11	191.95	व्यय केवल ₹ 26.175 करोड़ था जो कि ₹ 1,060.76 करोड़ की परियोजना लागत (2008-15) की तुलना में महत्वहीन (2.5 प्रतिशत) था।
कुल					**26,822.10**	**3,114.15**	
एक लाख हेक्टेयर को आश्वस्त जल आपूर्ति न होना							
28.	झारखण्ड	गुमानी	मध्यम	1997-98	185.76	31.40	तीन परियोजनाओं का अनुमानित कुल कमांड क्षेत्र ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित एक लाख हेक्टेयर से कम था।
29.		सोनुआ	मध्यम	1997-98	82.65	19.24	
30.		सुरांगी	मध्यम	1997-98	41.17	13.28	
कुल					**309.58**	**63.92**	

अनुबंध 2.2
(पैरा 2.4 का संदर्भ लें)
डी.पी.आर. में कमियां

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
		एम.एम.आई. परियोजनाएं	
1.	आंध्र प्रदेश	तारकरमा तीर्थ सागरम	विभागीय सर्वेक्षण व जांच के पश्चात डी.पी.आर. (नवम्बर 2003) में एक विपथन नहर सम्मिलित की गई थी। कार्य के निष्पादन के दौरान, विभाग ने पाया (मार्च 2015) कि नहर की मार्गरेखा में एक पुरातात्विक स्मारक था जिससे विभाग को मार्गरेखा में परिवर्तन करना पड़ा जो डी.पी.आर. में नहर के अनुचित संरेखण को दर्शाता है।
2.		गंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना	परियोजनाओं का विचारित, आई.पी. निर्माण 32,399 हेक्टेयर था। परियोजना के कमांड क्षेत्र के भीतर 3,604 हेक्टेयर की आई.पी. के निर्माण हेतु भूमि (अगस्त 2009) की पहचान न होने के कारण, सी.ई. ने राज्य सरकार (अगस्त 2009) को एक अन्य परियोजना (कृष्णा पश्चिम डेल्टा) को जल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया जहां आई.पी. पहले से ही निर्मित एवं स्थानबद्ध थी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की गई आंतरिक मानदंड समिति ने प्रस्ताव स्वीकार (जुलाई 2010) किया तथा तदानुसार कृष्णा पश्चिम डेल्टा के अंतिम बाग क्षेत्र में कार्य निष्पादित किया जो डी.पी.आर. में पहचाना नहीं गया था व जिसकी लागत ₹ 7.63 करोड़ थी।
3.		वेलीगल्लू	डी.पी.आर. के अनुमोदन में पांच वर्षों का विलम्ब हुआ था।
4.		स्वर्णमुखी	ई.पी.सी. की संविदा एजेंसी ने विस्तृत जांच की तथा 4,648 हेक्टेयर की आई.पी. की पहचान की। हालांकि, केवल 3,644 हेक्टेयर पर ही सिंचाई की जा सकी तथा अयाकट के आवासीय/वाणिज्यिक प्लाट में परिवर्तित होने तथा प्रस्तावित अयाकत में अयाकतदारों द्वारा मत्स्य तलाबों को बनाने के कारण अयाकत उपलब्ध नहीं थे।
5.	बिहार	दुर्गावती	डी.पी.आर. निर्माण योजना (परियोजना की गतिविधि वार तकनीकी ब्यौरा) से रहित था जो परियोजना के चरण एवं पूर्ण होने में लगने वाले अपेक्षित समय का निरूपण करता है।
6.		पुनपुन	
7.	गोवा	तिल्लारी	लघु सिंचाई योजना (असोनोरा बांद्रा) में 18.24 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र की अतिव्याप्ति सम्मिलित है।
8.	हिमाचल प्रदेश	सिद्धता	निविदा से पूर्व अनुमानित सुरंग में भू-वैज्ञानिक स्तर के परिवर्तन तथा श्रमिक दरों में वृद्धि के कारण परियोजना संशोधित (2011) करनी पड़ी थी। हालांकि, प्रभाग के ई.ई. ने उत्तर दिया कि परियोजना के निष्पादन के आरंभिक व अंतिम चरण के बीच भू-वैज्ञानिक स्तर में कोई परिवर्तन

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			नहीं हुआ था। प्रभाग, प्रारंभिक रूप से और/निष्पादन के दौरान सर्वेक्षण और परियोजना जांच के एक हिस्से के रूप मे मनाए गए भू-वैज्ञानिक स्तर के परिणामों को उपलब्ध कराने में भी असफल रहा। अतः परियोजना के भू-वैज्ञानिक स्तर में कोई परिवर्तन न होने की दृष्टि में परियोजना की लागत में वृद्धि अनुचित थी।
9.		शाह नहर	कार्यों के वितरण हेतु पार जलनिकासी कार्यों (एक्वेडक्ट) के लिए परियोजना की प्रारंभिक डी.पी.आर. में अपर्याप्त प्रावधान था। परियोजना को पूर्ण करने हेतु डिस्ट्रीब्यूट्री डी-1 व डी-2 में अतिरिक्त एक्वेडक्ट के निर्माण हेतु ₹ छह करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ी।
10.	जम्मू व कश्मीर	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	जलग्रहण क्षेत्र, वर्षा, अपवाह बाढ़ आदि जैसे जल वैज्ञानिक पहलू नहीं थे।
11.		कांडी नहर	मृदा सर्वेक्षण, जल ठहराव, लवणता, निकासी जैसे मौसम संबंधी आंकड़े, नहीं थे।
12.		मुख्य रावी नहर का आधुनिकीकरण	जल वैज्ञानिक एवं मौसम संबंधी पहलू नहीं थे।
13.	कर्नाटक	घाटप्रभा स्तर-III	परियोजना हेतु सिंचन क्षेत्र (यानी 1,77,822 हेक्टेयर) का आकलन 20,556 हेक्टेयर के अचकट क्षेत्र को सम्मिलित करके किया था, जो संगम शाखा नहर के अंतर्गत सम्मिलित था। बाद में, इस क्षेत्र को घाटप्रभा स्तर-III से कम कर दिया गया था तथा इस कारण से अंतिम सिंचाई क्षमता क्षेत्र कम हो गया।
14.		अपर तुंगा	मूल स्वीकृति के अनुसार, मुख्य नहर का निर्माण 270 किमी तक किया जाना था। हालांकि, कम्पनी द्वारा मुख्य नहर की लंबाई को 258 किमी तक सीमित करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि शेष भूमि शहरी विकास क्षेत्र के अंतर्गत आ रही थी। मुख्य नहर की लंबाई को सीमित करने हेतु जी.ओ.के. एवं सी.डब्ल्यू.सी. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। कार्य की आरंभिक स्वीकृति हेतु किया गया सर्वेक्षण दोषपूर्ण था क्योंकि शहर से गुजरने वाली नहर स्पष्ट रूप से ज्ञात थी। मुख्य नहर की लंबाई को 258 किमी तक कम करते समय कम्पनी ने सिंचाई क्षमता पर निर्णय के प्रभाव पर चर्चा नहीं की थी।
			आरम्भ में प्रस्तावित की गई अपर तुंगा परियोजना की मुख्य नहर के 212 से 217 कि.मी. तक संरेखण हेतु नियंत्रित

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			विस्फोट अपेक्षित था। नहर को गहरे कटाव व सोमनकट्टे-बसवनकट्टे गांव की सीमा में जाने से बचाने के लिए इसे बाद (मार्च 2012) में अनुमान की स्वीकृति के समय संशोधित किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान 212 कि.मी. से लेकर 213.220 कि.मी. के हिस्से को सुलझाया नहीं जा सका क्योंकि इस विस्तार में किसानों ने संरेखण को बदलने की मांग की। संविदा को रद्द कर दिया गया तथा शेष कार्य हेतु एक नई निविदा अधिसूचना जारी (22.02.2017) की गई थी। हालांकि, भूमि अभी तक अभिग्रहित की जानी थी। मूल मार्गरेखा को संशोधित करने से ₹ 1.42 करोड़ (संशोधित अनुमान के अनुसार) का अतिरिक्त व्यय हुआ।
15.	मध्यप्रदेश	सिंध फेज-II	आंकड़े के संबंध में सिंचन क्षेत्र के आकलन को किसी परियोजना के डी.पी.आर. में अलग से दर्शाया नहीं गया था।
16.		बाणसागर इकाई-II	
17.	महाराष्ट्र	अर्जुन	मूल डी.पी.आर. में आंकलित मात्रा की तुलना में जलग्रहण क्षेत्र में जल की अधिक उपलब्धता होने के कारण मिट्टी के बांध की ऊंचाई को 61.20 मी. से 70.35 मी. तक बढ़ा दिया गया था ताकि अधिक भंडारण से अधिक जल उपलब्धता का लाभ प्राप्त किया जा सके जिसमें अर्जुन परियोजना में ₹ 29.99 करोड़ का लागत अनुमान सम्मिलित था।
18.		अरूणा	जलग्रहण क्षेत्र में अपर्याप्त जल उपलब्धता के कारण अधिक भंडारण हेतु मिट्टी के बांध की ऊंचाई 70.41 मी. से 80.41 मी. तक बढ़ा दी गई थी जिसमें ₹ 170.82 करोड़ का लागत अनुमान सम्मिलित था।
19.		कृष्णा कोयना एल.आई.एस.	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण अभिकल्पना में बदलाव हुआ।
			डी.पी.आर. के अनुमोदन में चार वर्षों का विलम्ब हुआ।
20.		वर्ना	राज्यस्तरीय सलाहकार तकनीकी समिति (एस.एल.टी.ए.सी.), नासिक की अनुशंसाओं (जून 2016) के अनुसार राईट बैंक नहर की लंबाई को 117 किमी से 60 किमी तक कम करना नहर की लंबाई के त्रुटिपूर्ण आकलन को दर्शाता है।
21.		हेतवने	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण संरचनात्मक अभियांत्रिकी में बदलाव हुआ।
22.		संगोला शाखा	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण अभिकल्पना में बदलाव हुआ।
23.		धोम बलकवड़ी	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण अभिकल्पना में बदलाव हुआ।
24.		लोअर वर्धा	डी.पी.आर. के अनुमोदन में 25 वर्षों का विलम्ब हुआ।
25.		वांग	डी.पी.आर. के अनुमोदन में छः वर्षों का विलम्ब हुआ।
26.		तिलारी	सर्वेक्षणों में कमियां थी।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
27.	तेलंगाना	जे.चोखा राव (प्राथमिकता-I	जल ग्रहण बिन्दु से 13 कि.मी. की दूरी पर जल उपलब्धता के आकलन के कारण ग्रहण बिंदु पर जल योजनाबद्ध किए गए 170 दिनों की अपेक्षा केवल 130 दिनों तक के लिए ही जल उठाया गया था।
			इन्द्राम्मा बाढ़ प्रवाह नहर (आई.एफ.एफ.सी.) फेज-II अयाकट के साथ क्षेत्र के ओवरलैप होने के कारण कमांड क्षेत्र से 8,485.61 हेक्टेयर की निवल सी.सी.ए. को हटाया जाना कमांड क्षेत्र के अनुचित आकलन को दर्शाता है।
28.		पालम वागु	पालम वागु परियोजना के नदी तल में एक गेटेड स्पिलवे आरंभ में प्रस्तावित किया गया था। केन्द्रीय अभिकल्पना संगठन, हैदराबाद की तकनीकी समिति ने (मई 2005) गेटेड स्पिलवे की जगह अनगेटेड स्पिलवे का सुझाव दिया यह जानते हुए कि परियोजना स्थल खम्मम जिले के सुदूर एवं अशांत क्षेत्र में स्थित है। तदानुसार, बांध की दाहिनी तरफ अनगेटेड स्पिलवे का निर्माण किया गया था। प्रस्ताव की जांच के समय (नवंबर 1993) सी.डब्ल्यू.सी. का सुझाव कि बाढ़ के अधिकतम निर्वहन (एम.एफ.डी.) की पुनः समीक्षा की जाने की आवश्यकता है, का आई. एवं सी.ए.डी. विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। बांध (अगस्त 2006 एवं अगस्त 2008) में केवल दो दरारों के बाद ही जल विज्ञान के मुक्य अभियंता ने एम.एफ.डी. की पुनः जांच की तथा उसे मूल रूप से विचारित 50,000 क्यू.सेक. की अपेक्षा 86,000 क्यू.सेक. आंका। दो दरारों के पश्चात एक विशेषज्ञ समिति का गठन (दिसंबर 2008) किया गया था जिसने बढ़ी हुई एम.एफ.डी. को समायोजित करने हेतु नदी तल में एक उपयुक्त स्थान पर एक गेटेड स्पिलवे के निर्माण की अनुशंसा की। राज्य सरकार ने संकुचित मार्ग में गेटेड स्पिलवे के निर्माण हेतु ₹ 81.16 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया (अक्टूबर 2010)। तदानुसार, ₹ 125.44 करोड़ की लागत पर एक गेटेड स्पिलवे का निर्माण (मार्च 2017) किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि गेटेड स्पिलवे संरचना हेतु वास्तविक अनुमान में प्रावधान केवल ₹ 15.54 करोड़ का था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बांध की तटबंध पहले ही ₹ 10.10 करोड़[1] की लागत से की गई थी, स्पिलवे के निर्माण हेतु उसकी पुनः खुदाई करनी पड़ी जिससे व्यय की बर्बादी हुई। इसके अलावा, बाढ़ के दौरान पहले से निष्पादित

[1] (8,27,748.20 X 147-17.99% की निविदा प्रतिशत = ₹ 10,10,05,725.78)

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			बांध के बहने के कारण और एम.एफ.डी. की अनुचित प्रतिष्ठापन के कारण ₹ 11.13 करोड़ का व्यय भी बर्बाद हो गया था। कम एम.एफ.डी. हेतु अनगेटेड स्पिलवे संरचना के परिणामी निर्माण के कारण ₹ 109.90 करोड़ (₹ 125.44 करोड़ - ₹ 15.54 करोड़) का अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।
29.	तेलंगाना	श्री राम सागर स्तर फेज-II	स्तर-I एवं स्तर-II हेतु जल की आवश्यकता 163.69 हजार मिलियन घनफीट (टी.एम.सी.) थी। एस.आर.एस.पी.-I एवं एस.आर.एस.पी.-II दोनों के लिए तीन जलाशयों अर्थात् एस.आर.एस.पी.-146.35 टी.एम.सी., कदम-23.41 टी.एम.सी., लोअर मैनेर बांध (एल.एम.डी.)-10.43 टी.एम.सी. से अनुमानित जल उपलब्धता 180.19 टी.एम.सी. थी। हालांकि, 1990 से एल.एम.डी. जलाशय का अपना कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था, इसलिए वह परियोजना हेतु विचारित 10.43 टी.एम.सी. का जल उपलब्ध नहीं करा सकता था। साथ ही, विभाग ने वन भूमि के अभिग्रहण में आ रही समस्याओं के कारण कदम जलाशय द्वारा क्षेत्र को (सिंचित करने) का कार्य त्याग (2002) दिया था। इस कारण से कदम जलाशय से 23.41 टी.एम.सी. का प्रस्तावित जल परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं था। यह परियोजना हेतु जल उपलब्धता के आकलन, में त्रुटियों को दर्शाता है, जिसके कारण आई.पी. में अंतर आया।
			17,018 हेक्टेयर की सी.सी.ए. को कम कर दिया गया था चूंकि क्षेत्र अन्य परियोजना (नागार्जुन सागर लेफ्ट नहर परियोजना, मुसी व अन्य शाखाओं) में भी समाविष्ट था।
			डी.पी.आर. में दो बैलेंसिंग जलाशयों के निर्माण/पुनर्निर्माण को दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप, माइलर्म बैलेंसिंग जलाशय के पुनर्निर्माण के कारण परियोजना विस्थापित परिवारों के मुद्दे को पुनर्वास व पुनः स्थापन (आर. एवं आर.) स्वीकृति तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों में उठाया नहीं गया था।
30.		श्री कोमारम भीम	परियोजना को 9,915 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के साथ मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप में 2006-07 में बाईं मुख्य नहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। सरकार ने 5.04 टी.एम.सी. से 8.68 टी.एम.सी. तक जल आवश्यकता को बढ़ाने के लिए 8,688.45 हेक्टेयर को अतिरिक्त आई.पी. के निर्माण की अनुमति (सितम्बर 2005) में दी। इस प्रकार, परियोजना जिसे 9,915 हेक्टेयर की आई.पी. के साथ एक मध्यम सिंचाई योजना के रूप में आरंभ किया गया था को अब 18,618 हेक्टेयर में संशोधित कर दिया गया जो मुख्य

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			परियोजना वर्ग (आरंभ में यह मध्यम परियोजना वर्ग थी) में आती है।
31.		इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	ग्रामवासियों से आपत्तियों के कारण संयुक्त जलाशय को हटा देने से 8,094 हेक्टेयर की सी.सी.ए. को कम कर दिया गया था।
32.		राजीव भीमा एल.आई.एस. (मुख्य)	पैकेज 27 में अयाकट का 4,217 हेक्टेयर की सीमा तक का अतिव्यापन जो कि महात्मा गांधी कलवाकुरति लिफ्ट सिंचाई योजना के पैकेज 28 के अंतर्गत पहले से ही समाविष्ट था।
33.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बांध का आधुनिकीकरण व मध्य गंगा फेज-II परियोजना	कार्य की मदों की मात्रा में काफी अंतर पाया गया था जो इन परियोजनाओं के डी.पी.आर. तैयार करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण व जांच के न होने को दर्शाता है। कार्यों की मद में वृद्धि 62 गुना तक थी जबकि कार्यों की मद में कमी 99 प्रतिशत थी।
34.		मध्य गंगा फेज-II	66.20 कि.मी. की लंबाई में कंक्रीट की लाइनिंग हेतु 117.87 करोड़ जुलाई 2007 में स्वीकृत किए गए थे। नहर की आंतरिक ढाल व तल में लाइनिंग का कार्य केवल 31.55 कि.मी. तक ही किया गया था तथा इस के पश्चात वर्ष 2016 में तल की लाइनिंग के कार्य को रोक दिया गया इस बहाने से कि नहर के तल में लाइनिंग भूजल के पुनर्भरण को सीमित कर देगी। इस कारण से, डी.पी.आर. को तैयार करने के दौरान इसकी जांच नहीं की गई थी कि क्या नहर के तल में लाइनिंग अपेक्षित थी या नहीं। भूजल के पुनर्भरण की दृष्टि से यदि तल की लाइनिंग अपेक्षित नहीं थी तो तल की लाइनिंग पर हुए व्यय को टाला जा सकता था। यह कार्यों के निष्पादन व डी.पी.आर. को तैयार करने से पहले उचित अध्ययन के अभाव को दर्शाता है।
35.		बाणसागर नहर	71.494 कि.मी. लंबे 46.46 क्यू.मेक. क्षमता के फीडर चैनल के माध्यम से अदवा बैराज को बाणसागर जलाशय से जल की आपूर्ति की जानी थी। फीडर चैनल को 35.90 कि.मी. लंबे विद्यमान आद नाला से होकर निकलना था। चूंकि फीडर चैनल की क्षमता 46.46 क्यू.मेक. थी इसलिए आद नाला के जल विज्ञान का आकलन किया जाना चाहिए था यह जानने के लिए कि क्या फीडर चैनल अपनी पूरी क्षमता के साथ इस नाले से निकल पाने में समर्थ है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आद नाला की क्षमता का आकलन डी.पी.आर. में नहीं किया गया था। इसलिए, कोई आश्वासन नहीं था कि बाणसागर फीडर चैनल की अपनी पूर्ण क्षमता के साथ चलने

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			पर आदनाला में जल की निकासी की पर्याप्त वहन क्षमता थी।
		एम.आई. योजनाएं	
1.	अरूणाचल प्रदेश	बाना ब्लॉक के अंतर्गत एम.आई. योजनाओं का समूह	₹ 98.00 लाख की अनुमानित लागत के साथ परियोजना प्रस्ताव में केवल सर्वेक्षण एवं उप एम.आई.पी. का अनुमान सम्मिलित था। परियोजना प्रस्ताव में बी.सी. अनुपात, परियोजना की मुख्य विशेषताएं, परियोजना फेजिंग/शेड्यूल, इंडेक्स मैप आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचना को सम्मिलित नहीं किया गया था।
2.		ईटानगर सब-डिविजन के अंतर्गत कुकुर्जन, ओल्ड गंगा एम.आई. योजना आदि एम.आई. योजनाओं का समूह	79 हेक्टेयर के वास्तविक लक्ष्य के साथ इसे ₹ 1.43 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया था। डी.पी.आर. की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परियोजना में सात उप एम.आई. योजनाएं समाविष्ट थीं जिसका कुल लक्षित क्षेत्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 270 हेक्टेयर था। इस प्रकार, हेक्टेयर के आवृत्त क्षेत्र के संदर्भ में डी.पी.आर. में दी गई सूचना सर्वेक्षण के अनुरूप नहीं थी।
3.	मध्यप्रदेश	कचनारी विपथन योजना	निष्पादन के दौरान स्थल पर वास्तविक सिंचन क्षेत्र (220 हेक्टेयर की सी.सी.ए.) उपलब्धता न होने के कारण 3,420 मी नहर की लंबाई का निर्माण नहीं किया जा सका। इसने दर्शाया कि डी.पी.आर. ने सिंचन क्षेत्र की उपलब्धता का सही रूप से आकलन नहीं किया था। नहर का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण परियोजना पर ₹ 3.21 करोड़ के व्यय की बर्बादी हुई।
4.	महाराष्ट्र	चन्द्रभागा बैराज	₹ 188.96 करोड़ की लागत पर जून 2015 में बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था परंतु जलमग्न क्षेत्र से सिंचन क्षेत्र का स्थल ऊंचे स्तर पर होने के कारण नहर का निर्माण नहीं हो सका था, जो अनुचित सर्वेक्षण व योजना को दर्शाता है, जिससे ₹ 188.96 करोड़ का विशाल व्यय अवरूद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, जलमग्न क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो गांवों का पुनर्वास न होने के कारण बैराज में जल का भंडारण न किया जा सका था।
5.	नागालैंड	अलाचिला एम.आई. योजना (मोकोकचंग), बलिजान एम.आई. योजना (दीमापुर), बलुघोकी एम.आई. योजना (दीमापुर), स्मूह-II एम.आई. योजना (दीमापुर),	12 चयनित नमूना एम.आई. योजनाओं में मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े, मृदा सर्वेक्षण, जलविज्ञानी पहलू जैसे मानसूनी वर्षा, जलग्रहण क्षेत्र की प्रकृति, जलग्रहण क्षेत्र की विद्यमान जल उपलब्धता, भूजल क्षमता आदि नहीं थे। यद्यपि स्वतंत्र निगरानी दल (नैबकॉन्स प्रा. लि.) ने इन कमियों को दिसम्बर 2016 में बताया था, फिर भी एस.टी.ए.सी. ने उपरोक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण आंकड़ों के बिना ही डी.पी.आर. अनुमोदित कर दिया था।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
		खेकिहो आर.डब्ल्यू.एच. (दीमापुर), अपर अमलुमा एम.आई. योजना (दीमापुर), रालन एम.आई. योजना (वोखा), क्राजोल एम.आई. योजना (कोहिमा), कियोकी एम.आई. योजना (कोहिमा), चेन्याक एम.आई. योजना (तुन्सैंग), चोकलोत्सो (तुन्सैंग) तथा शोपोंग एम.आई. योजना (तुन्सैंग)	
6.	त्रिपुरा	प्रत्याकोयचेरा विपथन योजना, दुरायचेरा विपथन योजना, चंतुकचेरा विपथन योजना, पूर्बा नदियापुर एल.आई. योजना तलताला एल.आई. योजना, रबिया ड्राफिदा पैरा एल.आई. योजना, शनखोला एल.आई. योजना तथा कलशती पैरा एल.आई. योजना	चयनित नौ एम.आई. योजनाओं में से आठ मामलों में डी.पी.आर. तैयार नहीं किए गए थे। डी.पी.आर. के बजाय, राज्य सरकार ने निधिकरण हेतु जी.ओ.आई. को अनुमानित लागत व लक्षित सी.सी.ए. दर्शाते हुए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था। विभाग ने कहा कि प्राथमिक सर्वेक्षण व जांच की गई थी परंतु इन प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अनुबंध 3.1
(पैरा 3.1 का संदर्भ लें)
दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एल.टी.आई.एफ.) के तहत नई वित्तपोषण व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं

विशाल निधि आवश्यकता को पूरा करने और बड़ी संख्या में प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एल.टी.आई.एफ.) के निर्माण हेतु घोषणा (2016-17) की। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं-

- 99 पहचाने गए, प्राथमिकता में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, ₹ 77,595 करोड़ (1 अप्रैल 2012 के अनुसार) की कुल आवश्यकता का मूल्यांकन किया।
- पी.एम.के.एस.वाई. के तहत निर्धारित परियोजनाओं के लिए केंद्रीय और राज्य के शेयर के वित्तपोषण के लिए ₹ 20,000 करोड़ के शुरूआती राशि के साथ नाबार्ड में समर्पित एल.टी.आई.एफ. का निर्माण।
- प्रारंभिक राशि के लिए निर्धारित स्रोत थें:
    - नाबार्ड को विशेष रूप से एल.टी.आई.एफ. के संबंध में वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त शेयर पूंजीगत योगदान सहित, भारत सरकार से बजट का आवंटन,
    - नाबार्ड द्वारा प्रत्यक्ष बाजार उधार; और
    - नाबार्ड द्वारा जारी किये बांड जिसका एम.ओ.एफ., भारत सरकार द्वारा पूरे बॉन्ड अवधि के लिए, संबंधित वर्षों के लिए बजट में उचित प्रावधान करके, पूर्णतः खर्च उठाया गया।
- बजट के समय, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए, नाबार्ड द्वारा लागत रहित निधियों को जुटाने के बारे में एम.ओ.एफ., भारत सरकार और एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. का निर्णय लेना।
- छः प्रतिशत प्रति वर्ष की उधार दर सुनिश्चित करने के लिए नियमित बाजार उधार के साथ आवश्यक अनुपात में मिश्रित जी.ओ.आई. सेवित बॉडों के माध्यम से अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ई.बी.आर.)।
- पी.एम.के.एस.वाई. के तहत प्राथमिकता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 2016-17 के दौरान 'जी.ओ.आई. पूर्णतः सर्विस्ड बॉड' के रूप में ₹ 6,300 करोड़ के ई.बी.आर. को बढ़ाने के लिए एम.ओ.एफ. (अक्टूबर 2016) की मंजूरी।
- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.), जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है और केंद्रीय शेयर के लिए एल.टी.आई.एफ. के अंतर्गत संसाधन उधार लेने के लिए एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. के तहत कार्य कर रहा है।
- मंत्रालय ने 2016-17 में ₹ 3,246 करोड़ जारी किए जिनमें सी.ए. के रूप में ₹ 825 करोड़ और नाबार्ड के माध्यम से ₹ 2,413 करोड़ शामिल थें। नाबार्ड ने राज्य सरकारों को ₹ 3,334 करोड़ की राशि जारी की थी।

- केन्द्रीय हिस्से के उधार के लिए सितंबर 2016 में एन.डब्ल्यू.डी.ए., एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. और नाबार्ड के बीच समझौते के ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य हिस्सेदारी के लिए ऋण के संबंध में, संबंधित राज्य सरकार, एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. और जी.आर., आर.बी.आई./मुख्य बैंकर, नाबार्ड और एन.डब्ल्यू.डी.ए. (यथा प्रयोज्य) द्वारा एक अलग एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा मूल ऋण राशि का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में त्रैमासिक किस्तों और ब्याज के त्रैमासिक भुगतान करना। अधिस्थगन अवधि के दौरान भी, एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा ब्याज देना। वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज दर 6 प्रतिशत (नाबार्ड के 0.60 प्रतिशत मार्जिन सहित) होना।
- नाबार्ड के भीतर एल.टी.आई.एफ. ब्याज उतार-चढ़ाव रिजर्व फंड (एल.आई.एफ.आर.एफ.) को 0.60 प्रतिशत के मार्क-अप सहित निधियों के संचालन के वास्तविक भारित औसत लागत (भारत सरकार से शून्य लागत निधियों सहित) और वास्तविक ऋण दर के बीच अंतर को समायोजित करना। नाबार्ड द्वारा भारत सरकार को एल.आई.एफ.आर.एफ. का एक वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण दिया जाना था और एल.आई.एफ.आर.एफ. में शेष राशि को एल.टी.आई.एफ. के तहत ऋण और ब्याज के सभी पुनर्भुगतानों के बाद नाबार्ड द्वारा जी.ओ.आई. को हस्तांतरीत किया जाता है।
- सार्वजनिक डोमेन में परियोजनाओं के बुनियादी विवरण उपलब्ध करा कर और अंतिम लाभार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करके सामाजिक निगरानी करना।

अनुबंध 3.2
(पैरा 3.2.1 का संदर्भ लें)
केंद्रीय सहायता कम जारी करना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
				एम.एम.आई. परियोजनाएं			
1.	आंध्र प्रदेश	3	677.38	232.51	143.55	88.96	भारत सरकार ने परियोजनाओं के लिए 2006 और 2007 के दौरान केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी की। राज्य सरकार ने व्यय का विवरण देर से जमा किया जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शेयर की दूसरी किश्त जारी नहीं की गई।
2.	असम	4	891.00	802.00	389.00	413.00	बजटीय आवंटन की तुलना में, जारी निधियां पर्याप्त नहीं थी।
3.	बिहार	3	294.83	193.45	143	50.45	-
4.	छत्तीसगढ़	4	-	349.14	144.00	205.14	विभाग ने बकाया सीए प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया
5.	गुजरात	3		7,052.78	4,655	2,397.78	-
6.	झारखंड	1	-	4,624.00	1,279.00	3,345.00	राज्य सरकार ने क्रमश: 310 दिनों और 832 दिनों की देरी के साथ (मार्च 2013 और अगस्त 2015) 2011-12 के दौरान जारी किए गए ₹ 335.54 करोड़ के अनुदान और 2012-13 के दौरान ₹ 515.72 करोड़ के उपयोग का विवरण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जिसके कारण उक्त अवधि के दौरान सी.ए. कम जारी किया गया होगा।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
7.	कर्नाटक	2	-	1,187.00	78.00	1,109.00	वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 270 करोड़ की एन.एल.बी.सी. परियोजना हेतु सी.ए. के प्रस्ताव को सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा मंजूर कर लिया गया था, लेकिन केवल 70 करोड़ रूपये जारी किए गए थें। इसके बाद, 2015-16 में, व्यय के लेखापरीक्षित विवरण के अभाव और ₹ 310 करोड़ के भौतिक और वित्तीय प्रगति के संबंध में सी.डब्ल्यू.सी. को जमा व्यय विवरण (2014-15) में विसंगतियों के कारण सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा ₹ 603.60 करोड़ तक के सी.ए. प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। दूधगंगा परियोजना ने 31.03.2012 को ₹ 51.13 करोड़ की वित्तीय प्रगति हासिल की, जबकि कंपनी 2011-12 के बाद भी लागत के लिए सी.ए. के लिए प्रस्ताव भेजती रही। हालांकि, इसे जारी रखने के लिए सी.डब्ल्यू.सी./जी.ओ.आई. से अभी तक कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।
8.	केरल	1	-	13.49	2.70	10.79	चूंकि विभाग ने पहली किश्त (राज्य के समान शेयर सहित) का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया था,

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
							इसलिए भारत सरकार ने सी.ए. की शेष राशि जारी नहीं की थी।
9.	ओडिशा	7	5,681.00	2,298.00	1,744.00	554.00	2009-17 के दौरान वार्षिक बजट में किए गए प्रावधान व्यय की तुलना में पर्याप्त थें।
10.	राजस्थान	1	349.00	87.00	17.00	70.00	-
11.	तेलंगाना	6	-	4,337.00	3,702.00	635.00	भूमि अधिग्रहण में देरी, अंतर विभागीय मुद्दों और भूमिगत खुदाई के लिए अप्रत्याशित भूमि-स्थिति।
12.	त्रिपुरा	1	-	4.76	0	4.76	भारत सरकार ने पहले से जारी किए गए केंद्रीय शेयर के लिए यू.सी. के गैर-प्रस्तुतीकरण, समय पर परियोजनाओं को पूरा करने और कमांड एरिया विकास कार्यों के निष्पादन के लिए विभाग की विफलता के कारण केंद्रीय शेयर जारी नहीं किया।
13.	उत्तर प्रदेश	6	5,267.00	1,720.00	938.00	782.00	जी.ओ.आई. के निर्देशों के गैर-अनुपालन, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतिकरण, आदि कारणों से भारत सरकार द्वारा कम जारी किया गया।
			कुल	**22,901.13**	**13,235.25**	**9,665.88**	
				एम.आई. योजना			
1.	असम	30 एम.आई. योजना	246.96	222.26	118.93	103.33	-
2.	छत्तीसगढ़	421 एम.आई. योजना	-	1427.62	882.92	544.70	-

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
3.	जम्मू एवं कश्मीर	पाँच एम.आई. योजना	74.86	67.38	26.68	40.70	-
4.	राजस्थान	भीमनी	44.00	15.00	8.00	7.00	-
	कुल	457 एम.आई. योजनाएँ		**1,732.26**	**1,036.53**	**695.73**	

अनुबंध 3.3 ए
(पैरा 3.3 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजना में राज्य का शेयर नहीं/अल्प जारी करना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वर्ष	राज्य समतुल्य शेयर	जारी किया	अल्प जारी
1.	बिहार	दुर्गावती	2015-16	60.23	13.13	47.10
2.		पुनपुन	2009-10	33.75	12.15	21.60
3.		कोशी बैराज का मरम्मत	2009-10	7.40	5.86	1.54
4.	गुजरात	अहजी IV	2008-09	6.75	3.45	3.30
5.		भदर II	2008-09	8.91	3.95	4.96
			2009-10	14.19	7.03	7.16
6.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	2008-09	0.54	0.15	0.39
			2011-12	0.80	0	0.80
			2014-15	1.12	0.05	1.07
			2016-17	1.18	0.05	1.13
7.		प्रकाचिक खवास	2009-10	0.51	0.30	0.21
			2011-12	0.90	0.40	0.50
			2013-14	0.72	0.24	0.48
8.		अहजी नहर का आधुनिकीकरण	2012-13	0.56	0	0.56
9.		दादी नहर का आधुनिकीकरण	2008-13	1.00	0.48	0.52
10.	झारखंड	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना	2011-17	1,990.06	1,750.40	239.66
11.	उत्तर प्रदेश	बाणसागर	2008-17	1,710.37	1,145.51	564.86
12.		शारदा सहायक नहर का मरम्मत	2009-14	427.09	229.12	197.97
13.		मध्य गंगा फेज II	2008-16	1,156.95	788.35	368.60
14.		हरदोई शाखा की सिंचाई तीव्रता में सुधार	2008-13	86.90	69.76	17.14
15.		लाचुर डैम का आधुनिकीकरण	2008-13	197.02	162.23	34.79
	कुल			**5,706.95**	**4,192.61**	**1,514.34**

अनुबंध 3.3 बी

(पैरा 3.3 का संदर्भ लें)

राज्य सरकारों द्वारा सी.ए. के जारी करने में विलंब

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)	(दिनों में विलंब)
		एम.एम.आई. परियोजनाएं	
1.	असम	338.95	68 से 530
2.	जम्मू एवं कश्मीर	458.23	तीन से 206
3.	महाराष्ट्र	504.69	तीन से 63
4.	पश्चिम बंगाल	1.42	33 से 114 दिन
		एम.आई. योजनाएं	
5.	अरूणाचल प्रदेश	232.40	46 से 439
6.	उत्तराखंड	584.06	सात से 184 दिन
7.	मेघालय	194.74	18 से 300 दिन
	कुल	**2,314.49**	

अनुबंध 3.4

(पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	राशि जारी किया गया सी.ए.	प्रस्तुत किए गए यू.सी.	प्रस्तुत किए जाने वाले यू.सी.
एम.एम.आई. परियोजनाएं					
1.	आंध्र प्रदेश	ताराकरम तीर्थ सगरम	33.00	6.19	26.81
2.	असम	धनसिरी	383.97	179.22	204.75
3.		चंपामती			
4.		बोरोलिया			
5.		जमुना नहर का आधुनिकीकरण			
6.	गोवा	तिल्लारी	59.23	24.12	35.11
7.	हिमाचल प्रदेश	सिधाता	163.45	96.50	66.95
8.		बाल्ह घाटी			
9.	जम्मू एवं कश्मीर	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	12.09	6.48	5.61
10.	झारखंड	सुवर्णरेखा परियोजना	1,278.63	1,132.88	145.75
11.	कर्नाटक	घाटप्रभा	120.33	72.64	47.69
12.		श्री रामेश्वर	62.74	10.82	51.92
13.		भीमासमुंद्र टैंक	3.48	0	3.48
14.		ऊपरी कृष्णा स्तर-I फेज III	422.13	134.50	287.63
15.		गुड्डादा मालापुरा	79.36	57.24	22.12
16.		वरही	77.59	58.08	19.51
17.	केरल	कारापुज्हा	8.57	0	8.57
18.		चित्तुरापुज्हा			
19.	मध्य प्रदेश	महुआर	8.55	0	8.55
20.		सिंहपुर	30.54	14.79	15.75
21.		सागद	26.55	11.84	14.71
22.	ओडिशा	निचली इंद्रा सिंचाई	645	626.86	18.14
23.	तेलंगाना	जे. चोखा राव	1,084.56	613.96	470.60
24.	पश्चिम बंगाल	तात्को	3.73	1.67	2.06
		कुल	**4,503.50**	**3,047.79**	**1,455.71**
एम.आई. स्कीमें					
1.	छत्तीसगढ़	421 एम.आई. स्कीमें	688.37	0	688.37
2.	झारखंड	537 एम.आई. स्कीमें	538.64	526.54	12.10
3.	महाराष्ट्र	2 एम.आई. स्कीमें	19.25	0	19.25
4.	ओडिशा	81 एम.आई. स्कीमें	150.55	138.58	11.97
	कुल	**1,041 एम.आई. स्कीमें**	**1,396.81**	**665.12**	**731.69**
		कुल योग	**5,900.31**	**3,712.91**	**2,187.40**

अनुबंध 3.5
(पैरा 3.7 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनओं में अव्ययित सी.ए.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
1.	असम	चंपामती	2015-16	58.07	25.23	31.3.2017 को	2016-17 में सी.ए. जारी नहीं की गई
2.	बिहार	दुर्गावती	2015-16	38.75	30.30	-	2016-17 में सी.ए. जारी नहीं की गई
3.		पुनपुन	2009-10	11.25	8.10	-	2015-16 में केवल ₹ 2.76 करोड़ जारी किया गया
4.		कोशी की मरम्मत	2009-10	66.66	13.94	-	2009-10 से सी.ए. जारी नहीं किया गया
5.	गोवा	तिल्लारी	2012-13	8.00	3.95	01.10.2014 से	2012-13 से सी.ए. जारी नहीं किया गया था
6.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	2015-16	19.28	10.16	मार्च 2017 को	-
7.		कांदी नहर का आधुनिकीकरण	2007-08	10.39		मार्च 2010 से	2008-09 से सी.ए. जारी नहीं किया गया था
			2008-09	5.81	14.17		
8.	झारखंड	सुवर्णरेखा	2016-17	145.75	145.75	31.03.2017 को	-
9.	कर्नाटक	भीम समुंद्र टैंक	2009-10	3.48	2.70	31.03.2010 को	2008-09 से सी.ए. जारी नहीं किया गया था
			2010-11	-	2.70	31.03.2011 को	-
			2011-12	-	0.85	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	0.40	31.03.2013 को	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
10.		गुड्डदा मलापुरा	2009-10	32.40	25.73	31.03.2010 को	-
			2010-11	24.84	18.98	31.03.2011 को	
			2013-14	22.11	8.90	31.03.2014 को	
			2014-15	-	2.66	31.03.2015 को	
11.		घाटप्रभा	2008-09	52.04	7.48	31.03.2009 को	2009-10 के दौरान ₹ 56.16 करोड़ की सी.ए. प्राप्ति के विरूद्ध ₹ 69.46 का व्यय किया गया
12.		ऊपरी कृष्णा स्तर-I	2009-10	152.98	95.47	31.03.2010 को	-
			2011-12	134.50	97.77	31.03.2012 को	
13.	तेलंगाना	जे. चोखा राव	2006-07	298.13	130.72	31.03.2010 को	-
			2007-08	405.00	293.13	31.03.2008 को	-
			2008-09	-	209.29	31.03.2009 को	2008-09 में सी.ए. जारी नहीं किया गया
			2009-10	180.00	138.16	31.03.2010 को	2009-10 में ₹ 180 करोड़ जारी किए गए थे, हालांकि ₹ 209.29 करोड़ की अव्ययित शेष राशि है
			2010-11	-	176.48	31.03.2011 को	-
			2011-12	256.13	29.70	31.3.2012 को	2012-13 के दौरान सी.ए. जारी नहीं किया गया था

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
14.		राजीव भीम एल.आई.एस.	2009-10	662.66	500.34	31.03.2010 को	अव्ययित सी.ए. के समायोजन तक 2009-10 के बाद सी.ए. जारी नहीं किया गया। 2016-17 में ₹ 54.48 करोड़ जारी किया गया।
			2010-11	-	422.87	31.03.2011 को	-
			2011-12		300.94	31.03.2012 को	-
			2012-13		157.07	31.03.2013 को	-
			2013-14		53.30	31.3.2014 को	-
			2014-15		22.06	31.03.2015 को	-
15.		एस.आर.एस. पी.-II	2009-10	65.19	50.05	31.03.2010 को	-
			2010-11	-	42.37	31.03.2011 को	-
			2011-12	-	36.26	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	21.71	31.03.2013 को	-
			2013-14	-	9.06	31.03.2014 को	-
			2014-15	-	6.19	31.03.2015 को	-
			2015-16	-	4.31	31.03.2016 को	-
16.	त्रिपुरा	मानु	2010-11	26.09	25.34	31.03.2011 को	-
			2011-12	-	19.94	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	16.72	31.03.2013 को	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
			2013-14	-	12.76	31.03.2014 को	-
			2014-15	-	7.64	31.03.2015 को	-
			2015-16	-	3.12	31.03.2016 को	-
			2016-17	-	2.55	31.03.2017 को	-
17.	पश्चिम बंगाल	तात्को	2011-12	3.72	2.76	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	2.05	31.03.2013 को	-

अनुबंध 3.6
(पैरा 3.9 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनाओं में व्यय का आधिक्य

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वर्ष	बजट प्राक्कलन	मार्च में किया गया व्यय	मार्च में किया गया व्यय का प्रतिशत
1.	ओडिशा	निचली सुकटेल	2008-09	78.06	65.07	83.36
			2009-10	22.59	14.79	65.47
			2010-11	28.10	9.61	34.20
			2011-12	20.40	3.78	18.53
			2014-15	34.17	10.00	29.27
			2016-17	243.94	99.13	40.64
2.		कानूपुर	2008-09	125.20	59.75	47.72
			2009-10	125.05	75.43	60.32
			2010-11	165.05	36.59	22.17
			2011-12	150.10	27.46	18.29
			2012-13	150.00	24.00	16.00
			2014-15	141.00	30.45	21.69
			2016-17	165.00	26.76	16.22
3.		रूकुड़ा	2009-10	9.48	8.32	87.76
			2010-11	19.53	10.71	54.84
			2011-12	9.00	1.56	17.33
			2013-14	28.64	8.41	29.36
			2014-15	56.51	21.43	37.92
4.		निचली इंदिरा	2011-12	144.00	34.02	23.62
5.	राजस्थान	नर्मदा नहर	2009-10	144.27	29.00	20.10
			2011-12	125.54	46.13	36.74
			2012-13	175.96	48.31	27.45
			2013-14	154.06	75.25	48.84
			2014-15	158.99	42.61	26.80
			2015-16	92.70	25.66	27.68
			2016-17	125.43	39.82	31.75
6.	उत्तर प्रदेश	बाणसागर	2008-09	368.36	75.49	20.49
			2009-10	240.06	105.96	44.14
			2013-14	137.42	74.50	54.21
			2014-15	165.19	37.90	22.94
			2015-16	110.00	33.95	30.87
			2016-17	197.00	61.03	30.98
			कुल	**3,910.80**	**1,262.88**	

अनुबंध 3.7
(पैरा 3.10 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनाओं में अनुदान का ऋण के रूप गैर-रूपांतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	मार्च 2017 तक जारी की गई कुल सी.एल.ए./सी.ए.
1.	आंध्र प्रदेश	4	192.43
2.	असम	4	472.98
3.	बिहार	2	150.49
4.	छत्तीसगढ़	4	179.22
5.	गोवा	1	255.42
6.	गुजरात	3	9,777.38
7.	हिमाचल प्रदेश	3	321.66
8.	जम्मू एवं कश्मीर	9	403.44
9.	झारखंड	5	1,350.79
10.	कर्नाटक	9	1,677.69
11.	केरला	2	8.57
12.	मध्य प्रदेश	9	2,152.41
13.	महाराष्ट्र	24	4,518.61
14.	ओडिशा	7	2,472.52
15.	राजस्थान	3	1,930.39
16.	तेलंगाना	6	3,701.80
17.	त्रिपुरा	2	85.64
18.	उत्तर प्रदेश	6	1,449.89
19.	पश्चिम बंगाल	2	19.26
	कुल	**105**	**31,120.59**

अनुबंध 4.1
(पैरा संख्या 4.2.2 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनाओं में समय का अतिक्रमण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
1.	आंध्र प्रदेश	तादीपुडी एल.आई.एस.	अक्टूबर 2006	चालू	11
2.		तारकरामा तीर्थ सगरम	मई 2008	चालू	9
3.		के.ओ.आर. गुंडलाकम्मा जलाशय परियोजना	मई 2007	चालू	10
4.		स्वर्णमुखी	मार्च 2007	मई 2008	1
5.	असम	धनसिरी	मार्च 1999	चालू	18
6.		चंपामती	मार्च 1999	चालू	18
7.		जमुना सिंचाई में सुधार	मार्च 2005	मार्च 2009	4
8.		बोरोलिया	मार्च 1999	चालू	18
9.	बिहार	दुर्गावती	मार्च 1999	चालू	18
10.		पुनपुन	मार्च 2010	चालू	7
11.	छत्तीसगढ़	मनियारी	मार्च 2013	मार्च 2017	4
12.		केलो परियोजना	मार्च 2012	चालू	5
13.		कोसारटेडा परियोजना	मार्च 2005	जून 2013	8
14.		महानदी	मार्च 2010	2010-11	1
15.	गोवा	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	मार्च 2003	चालू	14
16.	गुजरात	सरदार सरोवर	मार्च 2001	चालू	16
17.		अहजी-IV	मार्च 2003	2009-10	7
18.		भदर-II	मार्च 2005	2010-11	6
19.	हिमाचल प्रदेश	शाहनहर	मार्च 2000	चालू	17
20.		सिधाता	मार्च 2003	चालू	14
21.		बाल्ह घाटी बाँया किनारा	मार्च 2010	चालू	7
22.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	मार्च 2004	चालू	13
23.		प्रकाचिक खवास नहर	मार्च 2011	चालू	6
24.		राजपोरा एल.आई.एस.	मार्च 2004	चालू	13
25.		कांदी नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2012	चालू	5
26.		दादी नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2011	चालू	6
27.		रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2003	चालू	14
28.		न्यू प्रताप का आधुनिकीकरण	मार्च 2003	चालू	12
29.		मुख्य रावि नहर का मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	मार्च 2015	चालू	2

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
30.		अहजी नहर (ई.आर.एम.) का आधुनिकीकरण	मार्च 2010	चालू	7
31.	झारखंड	सुवर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना (एस.एम.पी.)	मार्च 2015	चालू	2
32.		गुमानी बैराज योजना	मार्च 2000	चालू	17
33.		सोनुआ जलाशय योजना	मार्च 2000	चालू	17
34.		सुरंगी जलाशय योजना	मार्च 2000	चालू	17
35.		पंचखेरो जलाशय योजना	मार्च 2009	चालू	8
36.	कर्नाटक	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	मार्च 2015	चालू	2
37.		श्री रामेश्वर सिंचाई	मार्च 2015	मार्च 2017	2
38.		मरम्मत-भीमसमुंद्र टैंक	मार्च 2012	चालू	5
39.		दूघगंगा	मार्च 2012	चालू	5
40.		गुड्डदा मलापुरा एल.आई.एस.	मार्च 2012	चालू	5
41.		घाटप्रभा स्तर-III	मार्च 2000	2010-11	11
42.		वराही	मार्च 2012	चालू	5
43.		यूकेपी स्तर-I	मार्च 2005	चालू	12
44.		गंदोरीनाला	मार्च 2005	मार्च 2010	5
45.	केरल	कारापुज्हा	मार्च 2009	चालू	8
46.		चित्तूरपुज्हा	मार्च 2012	चालू	5
47.	मध्य प्रदेश	सिंध परियोजना फेज-II	मार्च 2001	चालू	16
48.		इंदिरा सागर परियोजना नहर फेज-III	मार्च 2012	चालू	5
49.		इंदिरा सागर परियोजना नहर फेज -I एवं II	मार्च 1999	चालू	18
50.		बाणसागर यूनिट-II	मार्च 2008	चालू	9
51.		सिंहपुर परियोजना	मार्च 2013	मार्च 2017	4
52.		संजय सागर (बाह) परियोजना	मार्च 2014	चालू	3
53.		माहौर परियोजना	मार्च 2015	मार्च 2017	2
54.		सागर (Sagads) परियोजना	मार्च 2014	मार्च 2017	3
55.		पुनासा लिफ्ट	मार्च 2012	चालू	5
56.	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	मार्च 2014	चालू	3
57.		वांग प्रमुख परियोजना	मार्च 2011	चालू	6
58.		अरूणा मध्यम परियोजना	मार्च 2012	चालू	5
59.		निचली पेढ़ी	मार्च 2011	चालू	6
60.		निचली पंजारा	मार्च 2012	मार्च 2017	5
61.		नांदुर मधमेश्वर फेज-2	मार्च 2013	चालू	4
62.		तिल्लारी प्रमुख परियोजना	मार्च 2008	चालू	9

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
63.		कृष्णा प्रमुख परियोजना	अप्रैल 2012	2008-09	4
64.		ताराली	मार्च 2012	चालू	5
65.		वर्ना	मार्च 2009	मार्च 2017	8
66.		हेतवाने मध्यम	मार्च 2005	2008-09	3
67.		धोम बालकवड़ी	मार्च 2012	चालू	5
68.		संगोला शाखा नहर	मार्च 2012	चालू	5
69.		अर्जुना	मार्च 2010	चालू	7
70.		बावनथड़ी	मार्च 2008	मार्च 2017	9
71.		निचली दुधना	मार्च 2009	चालू	8
72.		निचली वर्धा	मार्च 2009	चालू	8
73.		वाघुर	मार्च 1999	चालू	18
74.		गुल मध्यम	मार्च 2008	चालू	9
75.		ऊपरी वर्धा	मार्च 2000	मार्च 2009	9
76.		मदन टैंक	मार्च 2008	2008-09	1
77.		पेंटाक्ली	मार्च 2009	2009-10	1
78.		खड़कपुर्णा	मार्च 2010	चालू	7
79.		चंदभागा	मार्च 2009	2009-10	1
80.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज/एकीकृच (ई.आर.एम.)	मार्च 2010	चालू	7
81.		तेलेनगिरी (के.बी.के.)	मार्च 2008	चालू	9
82.		रेत सिंचाई (के.बी.के.)	मार्च 2008	चालू	9
83.		कानुपूर	मार्च 2008	चालू	9
84.		निचली सुकटेल (के.बी.के.)	मार्च 2004	चालू	13
85.		निचली इंद्रा (के.बी.के.)	मार्च 2004	चालू	13
86.		रूकुड़ा ट्राईबल	मार्च 2014	चालू	3
87.	राजस्थान	नर्मदा नहर परियोजना	मार्च 2003	चालू	14
88.		गंग नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2008	चालू	9
89.		इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, स्तर-II	मार्च 2006	चालू	11
90.	तेलंगाना	राजीव भीमा एल.आई.एस.-प्रमुख सिंचाई परियोजना	मार्च 2012	चालू	5
91.		एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	मार्च 2012	चालू	5
92.		एस.आर.एस.पी. स्तर-II प्रमुख/ई.आर.एम.	मार्च 2011	चालू	6
93.		पालेमवागु	मार्च 2010	चालू	7
94.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	मार्च 2009	चालू	8
95.		श्री कोमाराम भीम	मार्च 2009	चालू	8

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
96.	त्रिपुरा	मनु मध्यम सिंचाई परियोजना	मार्च 1999	चालू	18
97.		खोवई मध्यम सिंचाई परियोजना	मार्च 1999	चालू	18
98.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बॉध का आधुनिकीकरण	मार्च 2009	चालू	8
99.		हरदोई शाखा के सिंचाई तिव्रता में सुधार	मार्च 2009	चालू	8
100.		बाणसागर नहर	मार्च 2004	चालू	13
101.		पूर्वी गंगा नहर	मार्च 2008	2010-11	3
102.		शारदा सहायक नहर प्रणाली का मरम्मत	मार्च 2014	चालू	3
103.		मध्य गंगा नहर फेज-II	मार्च 2013	चालू	4
104.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर जिले में सुवर्णरेखा बैराज प्रमुख सिंचाई परियोजना	मार्च 2002	चालू	15
105.		पुरूलिया जिले में तात्को मध्यम सिंचाई परियोजना	मार्च 2003	चालू	14

अनुबंध 4.2
(पैरा 4.3.2 का संदर्भ लें)
निष्क्रिय एम.आई. योजनाओं/उप-योजनाओं की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	योजनाएं
	उत्तर पूर्वी राज्य	
1.	अरूणाचल प्रदेश	सिंग्रीहापा, कुकुरजन, चिंपु, पुरानी गंगा, दारिसो, पापे, पीच पर ऊपरी नल्लाह, बुदागाँव, वांघूनाला, गिपाजंग, थोकोंग नाला, गुरूंगथांका, खोव-सिराक, सारशंग, डोनलोक, लालचुंग नाला, आतोरंगोक, ताहोनला, तारीपानी, कलिंग, मेका, दोईमुख, सेप्पा पूर्व, रूपुंग हिस्सांग, सा कोरोंग, गोबुक, राग्या कोरोंग से पिल्लाकलारूक, गोमपाक कोरोंग से मोदम और नींगमो
2.	नागालैंड	कारज्होल (फेज-II), चेनयाक, शोपोंग, फांगतियांग, अलाचिला, बालुघोकी और रालन
3.	सिक्किम	पाबोंगखोला से मिडील डेयरिंग, तुमिनखोला से राल्सी, सिमुनाखोला से दोचुमखेत, लोवर झोईसुईंग पर तारी पैडी फिल्ड, काली खोला से लिंसेय खेत और काली खोला से मध्य रातेयपानी
	अन्य राज्य	
1.	जम्मू एवं कश्मीर	दाथांग सिंचाई नहर और पोंडाखुल
2.	झारखंड	आमगाछी नाला पर चेक डैम, राई नाला पर चेक डैम, बिलामकेल नाला पर चेक डैम और खोरहा नाला पर चेक डैम
3.	मध्य प्रदेश	बेरखेदी वेयर और भित्रीमुटमुरू टैंक
4.	त्रिपुरा	प्रतेक्रोचेरा डाइवर्जन योजना, रविंद्र पारा एल.आई. योजना, शंखोला एल.आई. योजना, कालाशती पारा एल.आई. योजना
5.	उत्तराखंड	डियूला-खैरा काटाल, डियूला-डियूला, सराई अक्कर और जमारू कुला
6.	पश्चिम बंगाल	पानिहा प्रमुख आर.एल.आई.

अनुबंध 4.3
(पैरा 4.4 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनाओं में लागत का अतिक्रमण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	लागत अतिक्रमण (पुनरीक्षित - असल लागत)	लागत अतिक्रमण का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	तादीपुडी एल.आई.एस.	376.96	568.00	191.04	51
2.		तारकरामा तीर्थ सागरम	220.11	471.31	251.20	114
3.		के.ओ.आर. गुंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना	165.22	753.83	588.61	356
4.	असम	धनसिरी	158.32	567.05	408.73	258
5.		बोरोलिया	33.37	157.04	123.67	371
6.		चंपामती	47.49	309.22	261.73	551
7.	बिहार	पुनपुन	69.01	658.12	589.11	854
8.		दुर्गावती	124.99	983.10	858.11	687
9.	गोवा	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	147.54	1,051.69	904.15	613
10.	गुजरात	सरदार सरोवर	6,406.06	54,772.94	48,366.88	755
11.	हिमाचल प्रदेश	शाहनहर	143.32	387.17	243.85	170
12.		सिधाता	33.62	95.29	61.67	183
13.		बाल्ह घाटी बाँया किनारा	41.64	103.78	62.14	149
14.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	129.43	140.76	11.33	9
15.		प्रकाचिक खोवस नहर	35.43	53.32	17.89	50
16.		राजपोरा एल.आई.एस.	29.13	70.20	41.07	141
17.		रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	84.4	176.89	92.49	110
18.		मुख्य रावी नहर की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	62.27	66.67	4.40	7
19.	झारखंड	गुमानी बैराज योजना	83.72	185.76	102.04	122
20.		सोनुआ जलाशय योजना	48.98	82.65	33.67	69
21.		सुरंगी जलाशय योजना	24.91	41.17	16.26	65
22.		पंचखेरो जलाशय योजना	54.73	75.68	20.95	38
23.	कर्नाटक	एन.एल.बी.सी. प्रणाली टैंक	3,752.18	4,233.98	481.80	13
24.		घाटप्रभा स्तर-III (पूर्ण)	90.54	1,210.51	1,119.97	1237
25.		यू.के.पी. स्तर-I, फेज III	1,214.91	6,891.59	5,676.68	467
26.		गंदोरीनाला (पूर्ण)	7.71	240.00	232.29	3013
27.	केरल	करापुज्हा	7.60	560.00	552.40	7268
28.	मध्य प्रदेश	सिंध परियोजना फेज-II	607.67	2,045.74	1,438.07	237

क्र. स.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	लागत अतिक्रमण (पुनरीक्षित - असल लागत)	लागत अतिक्रमण का प्रतिशत
29.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज-III	704.13	943.18	239.05	34
30.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज -I एवं II	1,154.00	2,019.82	865.82	75
31.		बाणसागर यूनिट-II	610.33	2,143.65	1,533.32	251
32.		ओंकारेश्वर नहर परियोजना फेज IV (ओ.एस.पी. लिफ्ट)	999.86	1,175.51	175.65	18
33.		पुनासा लिफ्ट	464.62	488.06	23.44	5
34.		सिंहपुर (पूर्ण)	200.52	242.97	42.45	21
35.		इंदिरा सागर यूनिट-V	628.12	742.51	114.39	18
36.	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	2,224.76	4,959.91	2,735.15	123
37.		निचली पेढ़ी	283.1	594.75	311.65	110
38.		निचली पंजारा (पूर्ण)	132.44	556.29	423.85	320
39.		नांदुर मधमेश्वर फेज-II	195.41	2,210.59	2,015.18	1031
40.		बावनथड़ी (पूर्ण)	121.39	867.2	745.81	614
41.		निचली दुधना	517.41	2,341.67	1,824.26	353
42.		निचली वर्धा	542.25	2,356.58	1,814.33	335
43.		वाघुर	161.05	1,183.55	1,022.5	635
44.		गुल	63.25	96.61	33.36	53
45.		ऊपरी वर्धा (पूर्ण)	26.95	951.33	924.38	3430
46.		पेंटाक्ली (पूर्ण)	25.8	172.45	146.65	568
47.		खड़कपूर्णा	497.32	1,095.92	598.6	120
48.		तिल्लारी सिंचाई परियोजना	830.58	1,390.04	559.46	67
49.		ताराली सिंचाई परियोजना	795.67	1,057.63	261.96	33
50.		हेतवाने परियोजना (पूर्ण)	208.54	329.9	121.36	58
51.		धोम बालकवड़ी परियोजना	475.29	684.64	209.35	44
52.		संगोला शाखा नहर परियोजना	287.77	937.92	650.15	226
53.		चन्द्रभागा	28.86	200.29	171.43	594
54.		कर	78.80	170.04	91.24	116
55.		लाल नल्ला	39.08	202.51	163.43	418
56.		मदन टैंक	10.07	88.09	78.02	775
57.		प्रकाशा	41.53	245.03	203.50	490
58.		सांरगखेड़ा	57.70	276.49	218.79	379
59.		ताजनापौर	6.17	438.70	432.53	7010
60.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज/एकीकृत	581.40	2,990.05	2,408.65	414

क्र. स.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	लागत अतिक्रमण (पुनरीक्षित - असल लागत)	लागत अतिक्रमण का प्रतिशत
61.		तेलेनगिरी	106.18	992.85	886.67	835
62.		रेत सिंचाई	86.14	768.46	682.32	792
63.		कानुपुर	428.32	2,438.29	2,009.97	469
64.		निचली सुकटेल	217.13	1,041.81	824.68	380
65.		निचली इंद्रा	211.70	1,753.64	1541.94	728
66.		रूकुड़ा जनजाति	155.48	296.98	141.50	91
67.	राजस्थान	नर्मदा नहर	467.53	2,481.49	2,013.96	431
68.		गंग नहर का आधुनिकीकरण	445.79	621.42	175.63	39
69.		इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, स्तर-II	89.12	6,921.32	6,832.20	7,666
70.	तेलंगाना	श्री कोमारामभीम	202.60	882.36	679.76	336
71.		राजीव भीमा एल.आई.एस.- प्रमुख सिंचाई परियोजना	744.00	1,969.00	1225.00	165
72.		एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	1,331.00	5,940.09	4,609.09	346
73.		एस.आर.एस.पी. स्तर-II	1,043.14	1,220.41	177.27	17
74.		पालेमवागु	29.13	221.48	192.35	660
75.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	6,016	13,445.44	7429.44	123
76.	त्रिपुरा	मनु मध्यम सिंचाई परियोजना	44.25	98.71	54.46	123
77.		खोवई मध्यम सिंचाई परियोजना	59.75	91.64	31.89	53
78.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बाँध का आधुनिकीकरण	99.66	328.82	229.16	230
79.		हरदोई शाखा की सिंचाई तिव्रता में सुधार	105.30	135.17	29.87	28
80.		बाणसागर नहर	330.19	3,148.91	2,818.72	854
81.		पूर्वी गंगा नहर (संपन्न)	258.48	892.44	633.96	245
82.		मध्य गंगा नहर फेज-II	1,060.76	2,865.11	1,804.35	170
83.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर जिले में सुवर्णरेखा बैराज प्रमुख सिंचाई परियोजना	215.61	2,032.79	1,817.18	843
84.		पुरूलिया जिले में तात्को मध्यम सिंचाई परियोजना	0.99	19.76	18.77	1,896
		कुल	**40,943.68**	**1,61715.73**	**1,20,772.05**	**295**

अनुबंध 4.4

(पैरा संख्या 4.4.1 का संदर्भ लें)

डिजाइन एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण परियोजनाओं/योजनाओं में लागत का अतिक्रमण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	डिजाइन एवं स्कोप में परिवर्तन के कारण परियोजनाओं के लागत में वृद्धि (₹ करोड़ में)
एम.एम.आई. परियोजनाएं			
1.	बिहार	दुर्गावती	31.83
2.	गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	2,339.65
3.	गोवा	तिल्लारी	2.60
4.	झारखंड	सुवर्णरेखा	116.07
5.	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना एल.आई.एस.	41.51
6.		निचली वर्धा	6.43
7.		संगोला शाखा नहर	203.00
8.		धोम बालकवड़ी	24.11
9.		अर्जूना	44.01
10.		ताराली एवं संगोला शाखा नहर	40.53
11.	**ओडिशा**	**कानुपुर**	111.50
12.		**निचली सुकटेल**	91.86
		कुल एम.एम.आई. परियोजनाएं	**3,053.10**
एम.आई. योजनाएं			
1.	आंध्र प्रदेश	भावनासी टैंक का लघु जलाशय में रूपांतरण	20.73
2.	छत्तीसगढ़	घरजिया बाथान टैंक	0.86
3.	मध्य प्रदेश	बारखेड़ा छाज्जू माइनर टैंक	7.67
		कुल एम.आई. योजनाएं	**29.26**
		कुल	**3,082.36**

(स्रोत: राज्य प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना)

अनुबंध 4.5
(पैरा 4.5 का संदर्भ लें)
संपन्न एम.एम.आई. परियोजनाओं का आई.पी. सृजन एवं उपयोगिता

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (हे.)	सृजित आई.पी. (हे.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (हे.)	उपयोग की गई आई.पी. (हे.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (हे.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
1.	आंध्र प्रदेश	वेलीगाल्लु	9,713	9,713	100	0	9,713	0	100	15
2.		स्वर्णमुखी	4,656	3,651	78	1,005	3,651	0	100	0
3.	असम	जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण	42,014	41,014	98	1,000	24,284	16,730	59	32
4.	बिहार	कोशी बैराज की मरम्मत	8,14,510	8,14,510	100	0	4,99,540	3,14,970	61	85
5.	छत्तीसगढ़	मनियारी	14,515	11,515	79	3,000	11,515	0	100	93
6.		महानदी परियोजना	2,64,311	2,64,311	100	0	2,55,067	9,244	97	32
7.		कोसारटेडा परियोजना	11,120	11,120	100	0	3,580	7,540	32	57
8.	गुजरात	अजी-IV	3,750	3,338	89	412	466	2,872	14	19
9.		भदर-II	9,965	9,202	92	763	1,190	8,012	13	19
10.	कर्नाटक	श्री रामेश्वर एल.आई.एस.	1,240	1,240	100	0	1,240	0	100	155
11.		घाटप्रभा स्तर-III	9,963	5,344	54	4,619	5,344	0	100	189
12.		गंदोरीनाला	1,115	964	86	151	964	0	100	42
13.	मध्य प्रदेश	सिंहपुर परियोजना	10,200	10,100	99	100	9,035	1,065	89	107
14.		माहौर परियोजना	9,500	9,500	100	0	9,500	0	100	83
15.		सागर (सगड) परियोजना	17,061	17,061	100	0	17,061	0	100	158
16.	महाराष्ट्र	निचली पंजारा	6,785	5,881	87	904	1,228	4,653	21	215
17.		कृष्णा	19,588	18,816	96	772	17,601	1,215	94	38

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (हे.)	सृजित आई.पी. (हे.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (हे.)	उपयोग की गई आई.पी. (हे.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (हे.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
18.		वरना	87,792	3,678	4	84,114	3,678	0	100	245
19.		हेतवाने	6,168	1,101	18	5,067	1,042	59	95	10
20.		बावनथड़ी	27,708	24,170	87	3,538	14,822	9,348	61	394
21.		सारंगखेदा	11,519	11,519	100	0	7,832	3,687	68	29
22.		प्रकाशा बैराज	10,307	10,307	100	0	6,872	3,435	67	30
23.		ऊपरी वर्धा	37,258	37,258	100	0	37,184	74	100	93
24.		कर	3,244	1,880	58	1,364	1675	205	89	39
25.		मदन टैंक	3,270	3,270	100	0	2,241	1,029	69	3
26.		पेंटाक्ली	3,220	2,700	84	520	985	1,715	36	13
27.		लाल नल्ला	7,144	3,421	48	3,723	1,934	1,487	57	19
28.		ताजनापौर एल.आई.एस.	3,622	3,622	100	0	2,515	1,107	69	6
29.		चंद्रभागा	1,924	1,924	100	0	1,374	550	71	18
30.	उत्तर प्रदेश	पूर्वी गंगा नहर	1,05,000	1,04,756	100	244	88,662	16,094	85	115
		कुल	**15,58,182**	**14,46,886**		**1,11,296**	**10,41,795**	**4,05,091**		**2,353**

अनुबंध 4.6
(पैरा 4.5 का संदर्भ लें)
चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं का आई.पी. सृजन एवं उपयोगिता

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
1.	**आंध्र प्रदेश**	तादीपुडी एल.आई.एस.	83,609	62,138	74	21,471	62,138	0	100	182
2.		तारकरामा तीर्थ सागरम	10,000	0	0	10,000	0	0	0	118
3.		के.ओ.आर. गुंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना	32,400	27,914	86	4,486	22,624	5,290	81	297
4.	**असम**	धनसिरी	77,230	53,258	69	23,972	21,800	31,458	41	236
5.		चंपामती	24,994	22,142	89	2,852	7,527	14,615	34	167
6.		बोरोलिया	13,562	3,300	24	10,262	900	2,400	27	20
7.	**बिहार**	दुर्गावती	39,610	26,000	66	13,610	2,458	23,542	9	470
8.		पुनपुन	13,680	0	0	13,680	0	0	0	287
9.	**छत्तीसगढ़**	केलो परियोजना	22,810	16,815	74	5,995	0	16,815	0	521
10.	**गोवा**	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	14,521	11,651	80	2,870	3,246	8,405	28	545
11.	**गुजरात**	सरदार सरोवर परियोजना	17,92,000	14,13,299	79	3,78,701	6,28,011	7,85,288	44	14,461
12.	**हिमाचल प्रदेश**	शाहनहर	15,287	15,287	100	0	2,905	12,382	19	184
13.		सिधाता	3,150	3,150	100	0	225	2,925	7	48
14.		बाल्ह वैली बाया किनारा	2,780	2,780	100	0	1,291	1,489	46	97
15.	**जम्मू एवं कश्मीर**	त्राल एल.आई.एस.	5,122	4,440	87	682	1,200	3,240	27	41
16.		प्रकाचिक खोवस नहर	2,262	1,250	55	1,012	NF	0	81	34
17.		राजपोरा एल.आई.एस. मध्यम	2,429	2,114	87	315	1,035	1,079	49	22
18.		कांदी नहर का आधुनिकीकरण	2,200	0	0	2,200	0	0	0	6
19.		दादी नहर का आधुनिकीकरण	3,889	3,889	100	0	3,889	0	100	25
20.		रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	55,418	54,713	99	705	54,675	38	100	80
21.		न्यू प्रताप का आधुनिकीकरण	13,309	12,325	93	984	9,206	3,119	75	24
22.		मुख्य रावी नहर का मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	15,016	12,540	84	2,476	11,480	1,060	92	45

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
23.		अहजी नहर का आधुनिकीकरण	8,316	8,166	98	150	8,166	0	100	13
24.	**झारखंड**	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना (एस.एम.पी.)	2,36,846	1,07,326	45	1,29,520	44,844	62,482	42	2,875
25.		गुमानी बैराज योजना	16,194	11,314	70	4,880	0	11,314	0	50
26.		सोनुआ जलाशय योजना	8008	3,000	37	5008	1,000	2,000	33	16
27.		सुरंगी जलाशय योजना	2,105	1,230	58	875	1,230	0	100	8
28.		पंचखेरो जलाशय योजना	3,085	1,000	32	2,085	1,000	0	100	33
29.	**कर्नाटक**	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	25,449	16,618	65	8,831	16,618	0	100	740
30.		एन.एल.बी.सी. प्रणाली परियोजना	1,42,580	98,381	69	44,199	98,381	0	100	1,685
31.		भीमासमुंद्र टैंक मरम्मत	800	800	100	0	800	0	100	5
32.		दुधगंगा	11,367	1,000	9	10,367	0	1,000	0	82
33.		गुड्डदा मल्लापुरा एल.आई.एस.	5,261	5,000	95	261	0	5,000	0	96
34.		वराही	15,560	4,443	29	11,117	3,372	1,071	76	469
35.		यू.के.पी. स्तर-I, फेज III	1,505	1,505	100	0	1,505	0	100	583
36.	**केरल**	कारापुज्हा	7,355	1,624	22	5,731	922	702	57	9
37.		चित्तूरपुज्हा	4,964	4,820	97	144	4,820	0	100	42
38.	**मध्य प्रदेश**	सिंध परियोजना फेज-II	98,250	95,970	98	2,280	73,604	22,366	77	1,145
39.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज-III	20,700	6,000	29	14,700	5,608	392	93	743
40.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज -I एवं II	62,200	59,450	96	2,750	59,450	0	100	630
41.		बनसागर यूनिट-II	1,23,634	1,17,634	95	6,000	1,17,634	0	100	1,768
42.		ओमकारेश्वर नहर परियोजना फेज IV (ओ.एस.पी. लिफ्ट)	57,200	54,630	96	2,570	17,000	37,630	31	313
43.		संजय सागर (बाह) परियोजना	17,807	17,807	100	0	17,807	0	100	103
44.		पुनासा लिफ्ट	35,008	35,008	100	0	35,008	0	100	466
45.		इंदिरा सागर यूनिट-V	33,140	32,000	97	1,140	20,500	11,500	64	83
46.	**महाराष्ट्र**	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	111988	44,770	40	67,218	9,492	35,278	21	764

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
47.		वांग	7,068	1,023	14	6,045	295	728	29	100
48.		अरूणा	9,027	0	0	9,027	0	0	0	519
49.		निचली पेढ़ी	17,023	0	0	17,023	0	0	0	748
50.		नांदुर मघमेश्वर फेज-II	20,500	6,047	29	14,453	0	6,047	0	559
51.		तिल्लारी प्रमुख परियोजना	9,754	5,073	52	4,681	2,618	2,455	52	269
52.		ताराली	14,276	6,902	48	7,374	2,260	4,642	33	477
53.		धोम बालकवड़ी	18,100	10,153	56	7,947	4,942	5,211	49	460
54.		संगोला नहर शाखा	11,288	5,815	52	5,473	2,800	3,015	48	207
55.		अर्जूना	9,411	526	6	8,885	210	316	40	398
56.		निचली दुधना	44,482	35,983	81	8,499	4868	31,115	14	1,125
57.		निचली वर्धा	63,333	24,674	39	38,659	6,572	18,102	27	1,453
58.		वाघुर	38,570	15,992	41	22,578	9,122	6,870	57	593
59.		गुल	3,025	3,025	100	0	1125	1,900	37	44
60.		खड़कपुर्ना	24,864	20,818	84	4,046	4,373	16,445	21	800
61.	**ओडिशा**	आनंदपुर बैराज/एकीकृत	60,000	0	0	60,000	0	0	0	942
62.		तेलेनगिरी	9,950	0	0	9,950	0	0	0	687
63.		रेट सिंचाई	8,500	0	0	8,500	0	0	0	382
64.		कानुपुर	29,580	0	0	29,580	0	0	0	1,390
65.		निचली सुकटेल	23,500	0	0	23,500	0	0	0	869
66.		निचली इंद्रा	29,900	18,550	62	11,350	7,000	11,550	38	1,518
67.		रूकुड़ा	5,750	2,000	35	3,750	1,500	500	75	256
68.	**राजस्थान**	नर्मदा नहर परियोजना	2,46,000	2,46,000	100	0	1,80,000	66,000	73	1,271
69.		गंग नहर का आधुनिकीकरण	96,510	96,510	100	0	96,510	0	100	279
70.		इंदिरा गाँधी नहर परियोजना	9,01,397	5,89,308	65	3,12,089	5,89,308	0	100	0
71.	**तेलंगाना**	श्री कोमाराम भीमा	9,915	6,094	61	3,821	5,544	550	91	221
72.		राजीव भीमा एल.आई.एस.	82,153	44,446	54	37,707	44,446	0	100	1,198
73.		एस.आर.एस.पी.-II की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	93,587	0	0	93,587	0	0	0	2,990
74.		एस.आर.एस.पी. स्तर-II	1,78,066	1,31,319	74	46,747	0	1,31,319	0	532

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
75.		पालेमवागु	4,100	2,023	49	2,077	2,023	0	100	139
76.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	2,48,685	1,00,494	40	1,48,191	18,487	82,007	18	5,936
77.	त्रिपुरा	मनु सिंचाई परियोजना	4,198	1,220	29	2,978	0	1,220	0	32
78.		खोवई सिंचाई परियोजना	4,515	2,630	58	1,885	1,560	1,070	59	18
79.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बाँध का आधुनिकीकरण	46,485	46,485	100	0	46,485	0	100	329
80.		हरदोई शाखा की सिंचाई तिव्रता में सुधार	95,961	95,961	100	0	95,961	0	100	127
81.		बनसागर नहर	1,50,132	1,00,000	67	50,132	11,101	88,899	11	1,737
82.		सारदा सहायक नहर प्रणाली की मरम्मत	7,90,000	2,50,000	32	5,40,000	2,50,000	0	100	229
83.		मध्य गंगा नहर फेज-II	1,46,132	41,319	28	1,04,813	0	41,319	0	980
84.	पश्चिम बंगाल	सुबर्णरेखा बैराज सिंचाई परियाजना	1,30,014	0	0	130,014	0	0	0	0
85.		तात्को सिंचाई परियोजना	2,494	1,970	79	524	1,970	0	100	3
		कुल	**69,82,845**	**43,90,861**		**25,91,984**	**27,64,451**	**16,26,172**		**60,448**

अनुबंध 4.7
(पैरा संख्या 4.5 का संदर्भ लें)
चयनित एम.आई. योजनाओं की आई.पी. स्थिति (एन.ई. राज्यों)

राज्य	एम.आई.एस. की संख्या			लागत/व्यय (₹ करोड़ में)		सिंचाई क्षमता (आई.पी.)				
	चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	चालू चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय (03/2017 तक)	आई.पी. अनुमानित (हजार हेक्टेयर में)	03/2017 तक आई.पी. सृजन (हजार हेक्टेयर में)	अनुमानित आई.पी.की तुलना में आई.पी. सृजन में कमी (हजार हेक्टेयर में	03/2017 तक उपयोग की गई आई.पी. (हजार हेक्टेयर में)	आई.पी .सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. में कमी
अरूणाचल प्रदेश	22	15	7	17.45	15.60	1.360	1.20	0.16	राज्य एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	-
असम	30	17	13	240.93	133.07	15.55	5.30	10.25	3.33	1.97
मेघालय	17	11	6	94.45	41.52	6.61	3.96	2.65	3.71	0.26
मिज़ोरम	12	10	2	19.09	16.34	1.42	राज्य एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया			
नागलैंड	23	15	8	29.38	28.55	2.096	1.605	0.49	1.139	0.47
सिक्किम	22	14	8	6.86	4.32	0.691	0.476	0.22	0.414	0.06
त्रिपुरा	9	8	1	12.34	9.70	1.05	0.46	0.59	0.46	0
कुल	**135**	**90**	**45**	**420.50**	**249.10**	**28.78**	**13.00**	**4.36**	**9.05**	**2.76**

स्रोत: राज्य स्तर एजेंसी/संस्था

अनुबंध 4.8
(पैरा संख्या 4.5 का संदर्भ लें)
चयनित एम.आई. योजनाओं की आई.पी. स्थिति (अन्य राज्यों)

क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित एमआईएस			व्यय (₹ करोड़ में)		सिंचाई क्षमता (आई.पी.)				
		चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई चयनित एम.आई. योजनाओं की सं.	चालू/त्यागी गई चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय (03/2017 तक)	आई.पी. अनुमानित (हजार हेक्टेयर में)	03/2017 तक आई.पी. सृजन (हजार हेक्टेयर में)	आई.पी. अनुमानित की तुलना में आई.पी. सृजन में कमी	03/2017 उपयोग की गई आई.पी. (हजार हेक्टेयर में)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. में कमी
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	1	29.80	17.30	3.323	0.240	3.08	0.240	शून्य
2.	बिहार	14	11	3	57.56	55.13	10.25	10.25	0	प्रस्तुत नहीं किया गया	-
3.	छत्तीसगढ़	21	12	9	141.14	155.53	12.543	3.086	9.46	0.140	2.95
4.	हिमाचल प्रदेश	17	15	2	52.11	54.62	37.75	0.872	36.88	0.114	0.76
5.	जम्मू एवं कश्मीर	30	15	15	220.08	128.25	21.318	8.110	13.2	7.045	1.06
6.	झारखंड	20	15	5	34.39	30.40	3.915	3.029	0.88	2.342	0.69
7.	कर्नाटक	25	15	10	75.59	75.48	4.975	3.463	1.51	3.463	शून्य
8.	महाराष्ट्र	8	4	4	365.30	528.82	8.171	4.326	3.84	0.684	3.65
9.	मध्य प्रदेश	23	15	8	165.25	188.66	11.16	5.95	5.21	4.59	1.36
10.	ओडिशा	3	2	1	4.38	6.76	0.24[2]	0.09	0.15	प्रस्तुत नहीं किया गया	-
11.	राजस्थान	2	1	1	26.96	47.85	2.396	1.303	1.10	1.303	शून्य
12.	तेलंगाना	2	2	0	3.72	5.01	0.43	0.33	0.10	0.33	0
13.	उत्तराखंड	30	17	13	53.03	47.52	4.219	3.884	0.34	3.83	0.05
14.	पश्चिम बंगाल	3	3	0	1.31	1.27	0.311	0.3111	0	प्रस्तुत नहीं किया गया	-
	कुल	**200**	**128**	**72**	**1,230.62**	**1,342.6**	**120.99**	**45.24**	**75.75**	**24.07**	**10.52**

स्रोत: राज्य स्तर एजेंसी/संस्था

[2] 'एम.आई.एस. डीबिलिजोर' के संबंध में अनुमानित, निर्मित और उपयोग किए गए आई.पी. से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई

अनुबंध 4.9
(पैरा संख्या 4.6 का संदर्भ लें)

एम.एम.आई. परियोजनाओं में भूमि का अपूर्ण अधिग्रहण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
1.	आंध्रप्रदेश	ताराकारामा तीर्थसागरम	1,334.71	1,227.18	107.53	8	-
2.		गुंडलाकम्मा	3,805.49	3,784.43	21.06	1	-
3.	असम	धनसिरी	1,306.02	1,258.90	47.12	4	
4.		बोरोलिया	396.80	172.49	224.31	57	-
5.	बिहार	दुर्गावती	2,675.11	2,574.00	101.11	4	भूमि का आंकलन उचित तरीके से नहीं किया गया तथा 101.11 एकड़ भूमि का नया अधिग्रहण किया जाना था। भूमि स्वामियों द्वारा उच्च मुआवजे की मांग की वजह से विरोध था।
6.		पुनपुन	1,516.90	1,301.63	215.27	14	भूमि स्वामियों द्वारा उच्च मुआवजे की मांग की वजह से विरोध था।
7.	छत्तीसगढ़	केलो परियोजना	1,734.95	1,450.21	284.74	16	-
8.	गोआ	तिल्लारी	821.91	695.99	125.92	15	-
9.	गुजरात	सरदार सरोवर	59,122.00	57,150.00	1,972.00	3	बढ़े हुए मुआवजे की मांग, मार्ग रेखा में बदलाव, स्वामित्व में बदलाव, अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र में अंतर, सरकारी भूमि का निजी भूमि को

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
							स्थानांतरण, भूमि अधिकार-क्षेत्र मुद्दे इत्यादि।
10.	जम्मू व कश्मीर	ट्राल एल.आई.एस.	41.50	38.30	3.20	8	-
11.	झारखण्ड	सुबर्णरेखा	54,558.00	34,002.00	20,556.00	38	-
12.		गुमानी बैराज	1,001.56	936.67	64.89	6	-
13.		सोनुआ	830.46	759.14	71.32	9	-
14.		सुरंगी	264.80	241.10	23.70	9	-
15.		पंचखेड़ो	557.60	521.82	35.78	6	-
16.	कर्नाटक	उच्च तुंगा	4,761.29	4,053.78	707.51	15	एस.एल.ए.ओ. को प्रस्ताव भेजने में देरी, एस.एल.ए.ओ. द्वारा प्रस्तावित भूमि को सूचित करने में देरी, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की ओर से विरोध तथा किसानों को मुआवजे के भुगतान में देरी।
17.		श्री रामेश्वर	698.90	250.07	448.83	64	
18.		भीमसमुदरा टैंक	33.50	3.50	30.00	90	
19.		दूधगंगा	428.00	143.95	284.05	66	
20.	केरल	कारपुझा	1,481.00	1,379.00	102.00	7	-
21.	महाराष्ट्र	अरूणा मध्यम	714.26	490.06	224.20	31	-
22.		निम्न पेढ़ी	3,446.00	3,066.00	380.00	11	-
23.		हेटवाने (2008-09 में पूर्ण)	1,147.97	1,074.05	73.92	6	-
24.		निम्न पंझारा	2,027.45	1,578.33	449.12	22	-
25.		नांदूर मद्यमेश्वर चरण-II	1,611.17	1,543.13	68.04	4	-
26.		ताराली	1,215.55	797.00	418.55	34	-
27.		अर्जुन	697.95	645.04	52.91	8	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
28.		बावनथाडी	4,481.78	4,416.15	65.63	1	-
29.		निम्न दूधना	5,180.00	4,996.00	184.00	4	-
30.		निम्न वर्धा	9,348.00	8,774.63	573.37	6	-
31.		सारंगखेड़ा (2010-11 में पूर्ण)	108.25	103.93	4.32	4	-
32.		कर मध्यम (2008-09 में पूर्ण)	645.36	469.66	175.70	27	-
33.		पेंटाकली (2009-10 में पूर्ण)	1,732.47	1,651.88	80.59	5	-
34.		ताजनापौर एल.आई.एस. (2008-09 में पूर्ण)	74.73	65.02	9.71	13	-
35.		खड़कपूर्णा	4,669.13	4,508.09	161.04	3	-
36.		वांग	1,222.00	1,122.00	100.00	8	-
37.		कृष्णा कोयना	6,305.87	2,112.24	4,193.63	67	-
38.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज	4,218.75	916.06	3,302.69	78	भूमि धारकों का कड़ा प्रतिरोध
39.		तेलंगिरी	1,037.17	956.31	80.86	8	-
40.		रेट इरिगेशन (के.बी.के.)	1,303.41	940.86	362.55	28	-
41.		कानुपुर	3,022.31	2,484.84	537.47	18	-
42.		निम्न सूक्तेल (के.बी.के.)	6,382.38	3,609.46	2,772.92	43	-
43.		निम्न इंदिरा (के.बी.के.)	4,755.39	4,135.46	619.93	13	-
44.		रूकूरा ट्राइबल	412.93	395.73	17.20	4	-
45.	तेलंगाना	राजीव भीम एल.आई.एस.	11,886.80	11,444.82	441.98	4	-
46.		एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर	13,725.31	11,990.06	1,735.25	13	-
47.		एस.आर.एस.पी. चरण-II	7,579.00	7,319.00	260.00	3	-
48.		पालेमवगु	331.00	329.67	1.33	0	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
49.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	14,695.00	12,212.00	2,483.00	17	-
50.		श्री कोमाराम भीम	3,737.77	3,554.43	183.34	5	-
51.	त्रिपुरा	मनु	184.00	116.00	68.00	37	-
52.		खोवई	303.46	276.58	26.88	9	-
53.	उत्तर प्रदेश	बनसागर नहर	1,347.68	883.511	464.17	34	-
54.		मध्य गंगा नहर चरण-II	5,053.02	1,243.23	3,809.79	75	-
55.	पश्चिम बंगाल	सुबरनरेखा बैराज	5,500.00	1,465.83	4,034.17	73	862.30 हेक्टेयर के भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण विभाग के पास पड़े था।
56.		टाटको	442.16	403.70	38.46	9	-
		कुल	**2,67,915.98**	**2,14,034.92**	**53,881.06**		

अनुबंध 4.10

(पैरा संख्या 4.7 का संदर्भ लें)

एम.एम.आई. परियोजनाओं में पुनर्वास तथा पुनःव्यवस्थापन के मुद्दे

राज्य	परियोजना	आर. एंड आर. मुद्दे
आंध्र प्रदेश	गुंडलाकम्मा जलाशय	अपूर्ण आर. एंड आर. उपायों की वजह से, अयाकट पूर्ण नहीं किया गया, जो आई.पी. निर्माण में कमी की ओर ले गया।
	तारकारामा तीर्थ सागरम	मार्च 2017 तक आर एंड आर उपाय शुरू नहीं किए गए।
बिहार	दुर्गावती जलाशय	डी.पी.आर. में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु प्रावधान नहीं बनाए गए थे। बांध क्षेत्र के जलप्लावन की वजह से तीन गांवों में 32 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया जिससे 276 परिवार प्रभावित हुए। तथापि आर. एंड आर. उपायों की गुणवत्ता त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि आधारभूत सुविधायें जैसे कि स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र पाखाना, पी.सी.सी. सड़कें, उपलब्ध नहीं थे या जीर्ण अवस्था में थें।
गोवा	तिल्लारी परियोजना	कैनाल नेटवर्क और आवासीय बिल्डिंग के निर्माण हेतु 695.99 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया लेकिन कैनाल नेटवर्क हेतु टी.आई.पी. के अंतर्गत 125.916 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लंबित है। 947 परियोजना प्रभावित लोगों (पी.ए.पी.) में से, एक बार भुगतान (ओ.टी.एस.) राशि 432 पी.ए.पी. को चुकाई गई तथा शेष 515 पी.ए.पी. को ओ.टी.एस. राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
झारखण्ड	सुबर्नरेखा, सोनुआ, सुरंगी तथा पंचखेड़ो परियोजना	चार परियोजनाओं में, 15,878 परिवारों को विस्थापित किया गया था। सुबर्नरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में कुल 15,539 विस्थापित परिवारों में से 2,472 परिवारों को अभी भी आवासीय प्लॉट या समतुल्य राशि आबंटित की जानी थी।
केरल	कारापुझा	पी.ए.पी. का पुनर्वास पूर्ण नहीं किया गया क्यों कि 161 निष्कासित परिवारों में से केवल 84 को 42 घर दिए गए; 68 प्रत्येक परिवारों को 75 शत भूमि बिना किसी घर के निर्माण के दी गयी; नौ परिवारों को न तो घर और न ही भूमि दी गई क्योंकि उनका घर-ठिकाना पता नहीं था।
महाराष्ट्र	वांग	परियोजना के प्रारम्भ के 22 वर्षों के पश्चात भी 1922 परिवारों में से केवल 913 का पुनर्वास ही किया जा सका। आगे, 882 परिवारों के मामलों में भूमि वितरण नहीं किया गया तथा 208 परिवारों के मामले में आंशिक रूप से किया गया।
	अरूणा	आर. एंड आर. उपायों के सामयिक निपटान हेतु निधि जारी करने में देरी, के कारण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

राज्य	परियोजना	आर. एंड आर. मुद्दे
		निर्धारित नई दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु मांग तथा विरोध प्रदर्शन हुआ जिससे बांध की भरावट को प्रभावित किया।
ओडिशा	आनंदपुर बैराज, तेलंगिरी, रेट सिंचाई कानुपुर, लोअर सुक्तल, लोअर इंदिरा तथा रूकुरा जनजातीय परियोजना	सात परियोजनाओं में, पी.ए.पी. के आंदोलन, स्टाफ की कमी व भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनस्थपिन अधिनियम, 2013 के अंर्तगत क्षति पूर्ति की माँग, के कारण 19,945 विस्थापित परिवारों में से केवल 10,336 का पुनर्वास किया जा सका। प्रतिशत में, आर. एंड आर. उपाय लोअर इंदिरा परियोजना के मामले में तीन तथा लोअर सुक्तल परियोजना के मामले में 98 प्रतिशत थे। लोअर सुक्तल तथा कानुपुर सिंचाई परियोजना के मामलों में, विस्थापित लोगों के क्षोभ की वजह से कार्यों का प्रभावित होना सूचित किया गया।
तेलंगाना	इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर परियोजना	थोटापल्ली बैलेंसिग रिज़रवॉयर (टी.बी.आर.) के कार्य तथा आर. एंड आर. संबंधी मुद्दों, ने शाखा नहर व वितरिकाओं के कार्यों को प्रभावित किया जिससे परियोजना के अंतर्गत आई.पी. को गैर-निर्माण हुआ।
	राजीव भीमा एल.आई.एस.	आर. एंड आर. उपायों की गैर-पूर्णता तथा कनईपल्ली गांव के परित्याग/निष्क्रमण में देरी की वजह से शंकरा समुदरम बैलेंसिंग रिज़रवॉयर बंड का एक भाग अपूर्ण रहा तथा पानी इसकी 1.82 टी.एम.सी. की पूर्ण क्षमता के साथ परिबद्ध नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, आई.पी. निर्माण 54 प्रतिशत था।

अनुबंध 4.11

(पैरा संख्या 4.8 का संदर्भ लें)

एम.एम.आई. परियोजनाओं में मंज़ूरी प्राप्त करने में कमियाँ

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	मुद्दे
1.	बिहार	दुर्गावती	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलन के दौरान वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
2.	गुजरात	अजी-IV	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलन के दौरान वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
3.		भादर-II	
4.		सरदार सरोवर	कच्छ मरू वन्यजीव अभ्यारण से वन मंज़ूरी तथा रेल मंत्रालय की ओर से मंज़ूरी प्राप्त नहीं किया गया।
5.	झारखण्ड	सुरंगी	पर्यावरण मंज़ूरी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
6.		सोनुआ	पर्यावरण तथा वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
7.		गुमानी	पर्यावरण तथा रेल मंत्रालय की मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
8.		पंचखेड़ो	पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
9.	कर्नाटक	घाटप्रभा चरण-II	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलन के दौरान वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
10.	मध्य प्रदेश	सिंध चरण-II	पर्यावरण मंज़ूरी फरवरी 2000 में प्राप्त की गई थी, यद्यपि 1998-99 में यह ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल किया गया था।
11.		महुअर	पर्यावरण मंज़ूरी मई 2014 में प्राप्त की गई, जबकि 2013-14 में परियोजना को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल किया गया था।
12.	महाराष्ट्र	वर्ना	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत समावेश के दौरान वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
13.		तराली	रेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
14.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज	पर्यावरण तथा वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
15.		निम्न इन्दिरा	पर्यावरण तथा वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
16.		निम्न सुक्तल	पर्यावरण तथा वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
17.		रेट सिंचाई	वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
18.		तेलिंगिरी	पर्यावरण तथा वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
19.		कानुपुर	पर्यावरण तथा वन मंज़ूरी तथा एन.एच.ए.आई. की ओर से मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
20.	तेलंगाना	इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर	पर्यावरण तथा वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
21.		श्री कोमरमभीम	रेल मंत्रालय की ओर से मंज़ूरी प्राप्त नहीं।
22.	पश्चिम बंगाल	टाटको	वन मंज़ूरी प्राप्त नहीं।

अनुबंध 4.12

(पैरा संख्या 4.9.4 का संदर्भ लें)

कार्य को सौंपने में कमियां तथा अनियमितताएं

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		एम.एम.आई. परियोजनाएं
असम	धनसिरी सिंचाई परियोजना	₹ 77.41 लाख की कीमत वाले तीन कार्यों को एक अकेले बोलीदाता को, कार्य आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर कार्य पूरा किए जाने की शर्त के साथ ₹ 76.63 लाख की अनुबंध लागत पर समय की कमी का हवाला देते पुनः निविदा जारी करने के विकल्प का उपयोग किए बिना सौंपा। जबकि ठेकेदार को मार्च 2017 तक ₹ 54.26 लाख की कुल राशि का भुगतान किया गया, लेकिन जुलाई 2017 तक कार्य अपूर्ण था, जो यह दर्शाता है कि तत्परता के आधार पर पुनः निविदा के बिना कार्य आबंटन का निर्णय न्यायसंगत नहीं था।
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	• निविदा दस्तावेजों में प्रावधान था कि यदि सफल बोलीदाताओं द्वारा उदधृत दर अनुमानित कार्य की लागत से काफी कम हो, तब परफोरमेन्स गारंटी/सुरक्षा राशि में वृद्धि की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के बीच सौंपे गए 53 कार्यों में से, 12 कार्यों में निविदा दर अनुमानित लागत से 30 से 40 प्रतिशत नीचे थे। तथापि, परियोजना प्राधिकारियों ने कोई भी अतिरिक्त गारंटी या सुरक्षा नहीं ली जैसा कि निविदा दस्तावेजों में प्रावधान था। • भूमि अधिग्रहण, रूपांकन तथा नहर की मार्ग रेखा संबंधी मुद्दों की वजह से नर्मदा मुख्य नहर का कार्य पूर्ण होने के बाद ₹ 4,053.81 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ कच्छ शाखा नहर का कार्य सौंपने में चार से नौ वर्ष तक की देरी थी।
झारखण्ड	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	• झारखण्ड लोक निर्माण विभाग कोड के अनुसार, अकेले बोलीदाता के मामले में, निविदा प्रक्रिया निरस्त की जानी चाहिए तथा पुनः निविदा प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि पुनः निविदा में फिर से एक बोली प्राप्त होती है तो इसे स्वीकार करने के अनुमोदन हेतु अगले उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। "द्वार इत्यादि के साथ खरकई बैराज के निर्माण" के कार्य के लिए पूर्व-योग्यता में, चार बोलीदाता योग्य पाए गए। हालांकि तकनीकी मूल्यांकन के दौरान केवल एक बोलीदाता ही तकनीकी रूप से योग्य पाया गया। कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में, पुनः निविदा प्रक्रिया में गए बिना ₹ 257.98 करोड़ के लिए विभागीय

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		निविदा समिति द्वारा अकेले बोलीदाता को कार्य सौंपा गया (जुलाई 2013)। • 'झारखण्ड पी.डब्ल्यू.डी. कोड, निविदा को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए तीन से 15 दिन के भीतर का समय प्रदान करती है। हालांकि, 70 जांच-परीक्षण किए गए कार्यों में से ₹ 981.45 करोड़ की राशि के 62 में कार्य को सौंपने में तीन से 241 दिनों की देरी थी।
मध्य प्रदेश	सिंध, बाणसागर तथा महुअर परियोजना	एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, ₹ दो लाख से अधिक की कीमत के कार्यों को व्यापक रूप से प्रचारित खुली निविदा के माध्यम से सौंपा जाना अपेक्षित है। एम.पी. भंडार खरीद नियम, में भी ₹ 25,000.00 से अधिक की कीमत के कार्यों के लिए निविदाओं के आमंत्रण के लिए प्रावधान है। आगे, इन खरीद नियमों के अनुसार, आरक्षित वस्तुओं की खरीद मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के माध्यम से की जानी चाहिए तथापि, इस संदर्भ में, उपरोक्त परियोजनाओं के साथ, संबंधित विभाग ने, कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में दो एजेंसियों को सीधे पूर्ति आदेश के माध्यम से ₹ 129.58 करोड़ की राशि पर कार्यों जैसे द्वारों का प्रतिष्ठापन तथा पूर्ति, एम.एस. स्टील कृत्रिम जलसेतु, फुट ब्रिज, पाइपलाईन, ह्यूम पाइप, नहर रेलिंग तथा साइन बोर्ड इत्यादि को सौंपा। सिंध तथा बाणसागर परियोजनाओं संबंधी खरीद राज्य के आर्थिक अपराध विंग की जांच-पड़ताल के अंतर्गत है।
मध्य प्रदेश	महुअर	अनुबंध की नियम व शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को बिना प्रभागीय अधिकारी के लिखित अनुमोदन के कार्य को सौंपना या उप-भाड़े पर नहीं देना होगा, जो भुगतान केवल अनुबंधित ठेकेदार को कर सकता है तथा सीधा उप-किराएदार को नहीं। आगे, एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के एम.पी. भंडार खरीद नियमों के अनुसार, ₹ 25000 से अधिक कीमत वाले सभी कार्यों को एक पारदर्शी तरीके से अखबार में विज्ञापन देने के द्वारा केवल खुली निविदा के माध्यम से सौंपना चाहिए। सभी मापने योग्य कार्य अभिलिखित किए जाएंगे तथा जांच माप रजिस्टर व माप पुस्तक में ई.ई. तथा एस.डी.ओ. द्वारा जांच व इसके उचित अभिलेखन के बाद भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यह अवलोकन किया गया कि मुख्य कार्य में ₹ 21.39 करोड़ तथा नहर में ₹ 2.10 करोड़ की कीमत के कार्यों को, कार्यों के वास्तविक अनुबंध के दौरान बिना निविदा आमंत्रण के अनियमित रूप से उप-किरायेदारों द्वारा लघु वाउचर के माध्यम से निष्पादित

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		किया गया। सभी भुगतान, कार्य के माप के अभिलेखन के बिना तथा एस.डी.ओ./ई.ई. द्वारा जांच के बिना अर्थात् कार्य की मात्रा व गुणवत्ता को सुनिश्चित किए बिना किए गए। आगे, भुगतान सीधे उप-किरायेदारों/छोटे ठेकेदारों को किए गए, जो अनियमित था।
महाराष्ट्र	तराली, अर्जुन तथा कृष्णा कोयना एल.आई.एस.	• महाराष्ट्र लोक निर्माण नियमावली (एम.पी.डब्ल्यू.) उपबंधित करता है कि अतिरिक्त मद जो योजना के भाग के रूप में निष्पादित की जानी है तथा वास्तविक अनुबंध से अविभाज्य है तथा एक अलग एजंसी दवारा निष्पादित नहीं की जा सकती है, के अलावा, अनुबंध में दिए गए सभी कार्यों हेतु निविदाएं सदैव सार्वजनिक रूप से आमंत्रित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तराली तथा अर्जुन परियोजनाओं में इन प्रावधानों के उल्लंघन में, ₹ 171.63 करोड़ की राशि के कार्य, जो वास्तविक कार्य (₹ 220.64 करोड़ राशि के) से पूरी तरह भिन्न तथा अलग थे, को बिना निविदा प्रक्रिया व प्रतियोगी बोली के ठेकेदारों को आबंटित किया गया। इसी प्रकार, कृष्णा कोयना एल.आई.एस. में ₹ 19.46 करोड़ की राशि के अतिरिक्त कार्य जो वास्तविक कार्य (₹ 22.02 करोड़) से अलग थे, को बिना निविदा प्रक्रिया के ठेकेदार को आवंटित किया गया। • इसके अतिरिक्त, 2006-07 में कृष्ण कोयना एल.आई.एस. के मामले में, महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) नें, तत्परता की वजह से सहकारी चीनी मिलों को कार्य को सौंपने हेतु अनुमोदन दिया। हालांकि, ₹ 43.34 करोड़ की लागत के 29 कार्यों को महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन पश्चात दो से पांच वर्षों के बाद बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सहकारी समितियों को सौंप दिया। चीनी सहकारी समितियों के कार्य को सौंपना, कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था तथा तत्परता के आधार पर उनके नामांकन में औचित्य की कमी को दर्शाता है क्योंकि कार्य दो से पाच वर्ष की देरी के बाद सौंपे गए।
ओडिशा	लोअर सुक्तल तथा तेलंगिरी सिंचाई परियोजनाएं	• लोअर सुकतेल सिंचाई परियोजना के तहत, जनवरी 2011 में ई-निविदा के माध्यम से ₹ 44.00 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 490 मीटर से 1,410 मीटर के मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए बोली आमंत्रित की गई। क्योंकि निविदा को 90 दिनों के अंदर अंतिम रूप नहीं दिया गया था, बोलीदाताओं को उनकी बोली की वैद्‌यता दो बार बढ़ाने को कहा गया। निविदा समिति (टी.सी.) ने इस शर्त के साथ फर्म एक्स को कार्य सौंपने की सिफारिश की (सितम्बर 2011) कि अनुबंध के प्रत्याहरण किये

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		जाने से पहले बोलीदाता ₹ 5.28 करोड़ की अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराएगा। निविदा समिति के अनुमोदन के दो माह के पश्चात, फर्म एक्स को 30 नवम्बर 2011 तक अनुबंध का निष्पादन करने को कहा गया। फर्म ने अनुबंध के निष्पादन तथा अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि को प्रस्तुत किए जाने के लिए 30 दिन का अनुरोध किया अनुरोध किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया तथा इसकी ई.एम.डी. जब्त कर ली गई। तत्पश्चात् 16 महीने बाद कार्य को मेसर्स ओ.सी.सी. लिमिटेड, एक राज्य पी.एस.यू. को, अप्रैल 2013 में ₹ 59.90 करोड़ के प्रस्तुत दर पर सौंपा गया। अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि को जमा करने पर जोर देना तथा योग्य बोलीदाता को समय बढ़ाने की अनुमति के लिए मना करना जबकि बोली वैद्यता, परियोजना अधिकारियों के अनुरोध पर दो बार बढ़ाई गई तथा पी.एस.यू. को कार्य सौंपने विवेक की कमी को दर्शाता है क्योंकि इसके परिणाम से ₹ 26.12 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। • कन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार, कार्यों को खुली निविदा के आधार पर सौंपा जाना चाहिए तथा नामांकन के आधार पर सौंपे जा रहे कार्य कोडल प्रावधानों का उल्लंघन है। लोअर सुक्तल सिंचाई परियोजना में 'स्पिलवे के निर्माण' का शेष कार्य तथा 'अर्थ डैम' का कार्य ₹ 164.74 करोड़ की कुल संस्वीकृत लागत के साथ 10 प्रतिशत उपरी प्रभार को शामिल करते हुए ₹ 200.64 करोड़ की कीमत पर ओ.सी.सी. लिमिटेड एक पी.एस.यू. को बिना निविदा प्रक्रिया के सौंपा गया। • तेलंगिरी मुख्य नहर के उत्खनन हेतु, मुख्य निर्माण अभियंता (सी.सी.ई.), उच्च कोलाब परियोजना (यू.के.पी.) ने ₹ 26.62 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक सामान्य निविदा बुलावा सूचना-पत्र के माध्यम से चार कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की (मार्च 2012)। निविदा समिति ने निविदा रद्द कर दी क्योंकि संयुक्त मूल्यांकन मानदंडों को निविदा दस्तावेज में समेकित नहीं किया गया था। तत्पश्चात्, सी.सी.ई. ने एस.ओ.आर. के संशोधन की वजह से ₹ 26.34 करोड़ की अनुमानित लागत (पूर्व निविदा में तीन कार्यों की लागत ₹ 23.51 करोड़ थी) के साथ प्रासंगिक मापदंडों को समेकित करने के पश्चात तीन कार्यों हेतु नई बोली आमंत्रित की (अक्टूबर 2012)। इस प्रकार, प्रारंभिक निविदा दस्तावेज में संयुक्त मूल्यांकन मापदंड का समावेश करने में प्राधिकारी की असफलता का परिणाम, निविदा चरण पर ही ₹ 2.83 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुआ।

राज्य	परियोजना	अवलोकन
राजस्थान	गंग नहर का आधुनिकीकरण	गंग नहर के आधुनिकीकरण पर पी.सी.सी. ब्लाक लाइनिंग का कार्य (पी.सी.सी. ब्लाक के निर्माण की लागत को शामिल करके) निविदा लागत के 4.74 प्रतिशत से 5.80 प्रतिशत नीचे पर आबंटित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि विभाग ने निविदा प्रीमियम के 5 प्रतिशत ऊपर पर पी.सी.सी. ब्लॉक के उत्पादन व पूर्ति कार्य हेतु अन्य ठेकेदार को पृथक कार्य आदेश जारी किया जबकि यह कार्य पी.सी.सी. ब्लॉक लाइनिंग कार्य में शामिल था। परिणामस्वरूप, पी.सी.सी. ब्लॉक लाइनिंग हेतु निविदा दरों तथा पी.सी.सी. ब्लॉक निर्माण हेतु अनुमति दी गई दरों में 9.74 प्रतिशत से 10.80 प्रतिशत की रेंज में अंतर की वजह से ₹ 30 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
उत्तर प्रदेश	बाणसागर नहर परियोजना तथा मध्य गंगा नहर परियोजना	• वित्तीय हैंडबुक भाग VI में निर्धारित एन.आई.टी. हेतु 30 दिन के प्रावधान के विरूद्ध बाणसागर नहर परियोजना में, विभाग ने ₹ 403.46 करोड़ की अनुमानित लागत पर शेष कार्य के निर्माण हेतु 15 दिन के नोटिस के साथ निविदा आमंत्रित की (सितम्बर 2012)। चार बोलीदाताओं ने उनकी बोली प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा जो नहीं दिया गया तथा परिणामस्वरूप निविदा में भाग नहीं ले सके। अंत में, बोली, जनवरी 2013 में एक अन्य फर्म को सौंप दी गई अर्थात् चार महीने की देरी के बाद। इस प्रकार, एक बड़े अनुबंद में 15 दिन का सीमित निविदा नोटिस न केवल कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था बल्कि औचित्य में भी कमी थी क्योंकि इसने प्रतियोगिता को घटा दिया। • ₹ 23.68 करोड़ की कीमत वाले बाण सागर नहर परियोजना के एक अनुबंध तथा मध्य गंगा नहर परियोजना चरण II के पांच अनुबंधों में, बोली प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं था तथा कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में 15 से 23 दिनों की रेंज में था। • बाणसागर तथा मध्य गंगा परियोजनाओं में आठ अनुबंधों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि ₹ सात करोड़ के दो अनुबंध, एकल निविदा के आधार पर सौंपे गए। किसी भी मामले में पुनः निविदा प्रक्रिया नहीं की गई तथा अनुबंध, बिना प्रतियोगी बोली के हस्ताक्षरित किए गए।
	एम.आई. योजनाएं	
महाराष्ट्र	उन्केश्वर के.टी.	योजना को 2007-08 में, ₹ 2.07 करोड़ के मूल अनुमोदन लागत के साथ ए.आई.बी.पी. में शामिल किया गया। भारत सरकार ने

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		2008-09 में परियोजना को ₹ 1.12 करोड़ जारी किए। उनकेश्वर केटी बंधिका के निर्माण हेतु कार्य को, सितम्बर 2010 को पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ ₹ दो करोड़ में ठेकेदार को सौंपा गया (मार्च 2008)। कार्य की शुरूआत से पहले, परियोजना प्राधिकारी द्वारा उनकेश्वर के.टी. बंधिका को उच्च स्तर बैराज में बदलने (अगस्त 2009) का फैसला लिया गया जिससे कार्य लागत ₹ 89.76 करोड़ बढ़ गई। लागत व कार्यक्षेत्र दोनो में व्यापक बदलाव के बावज़ूद, परियोजना प्राधिकारी ने कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय उसी ठेकेदार से कार्य कराया। अगस्त 2009 में, इस कार्य को ए.आई.बी.पी. से अलग करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया जिसका निर्णय अभी भी प्रतीक्षारत था। यह देखा गया कि इसी बीच ₹ 59.86 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को दिया गया तथा ₹ 2.07 करोड़ की राशि ए.आई.बी.पी. निधियों से सितम्बर 2014 तक उपयोग की गई जिसके बाद कार्य को रोक दिया गया।
मिजोरम	ज़िलंगदई बुहचंगदिल, तुईकुअल, मट तथा त्लाबुंग	₹ 5.56 करोड़ की पांच एम.आई. योजनाओं के मामले में, निविदाओं हेतु व्यापक प्रचार नहीं किया गया तथा निम्नतम बोलीदाताओं का चयन नहीं किया गया।
	अवमपुइफई, बुहचंगदिल, चानगटे, फुयानलुई, लोअर टुइमुक, मट, मिडुमफई, थांगपुइलुई, तुइकुअल तथा ज़िलगंई	दस अन्य योजनाओं को विभागीय दायित्व में शुरू किया गया परंतु जी.एफ.आर. प्रावधानों के विचलन में तथा ₹ 4.57 करोड़ की कीमत की निर्माण सामग्रियों को बिना निविदाओं के बुलावे के खरीदा गया।
मेघालय	रिंगदी एफ.आई.पी., लैपडकोह एफ.आई.पी., कोलाइगोन एफ.आई.पी., सारीखुशी एफ.आई.पी., बाकंडा एफ.आई.पी., जाजिल एफ.आई.पी.,	11 योजनाओं के मामलों में, प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति की प्राप्ति की तिथि से एक महीने से लगभग दो वर्षो की रेंज की अवधि तक कार्य आदेश जारी करने में देरी हुई। देरी, निधि के प्रावधानों में देरी की वजह से थी।

राज्य	परियोजना	अवलोकन
	अमसोहखरी एफ.आई.पी., नेनगजा बोलचूगरे एफ.आई.पी., थेपडेड्नगंगन एफ.आई.पी., उमसोहफरिया एफ.आई.पी. तथा मारमेनखुशवई एफ.आई.पी.	

अनुबंध 4.13

(पैरा संख्या 4.9.5.1 का संदर्भ लें)

अनियमित व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
एम.एम.आई. परियोनजाएं			
आंध्र प्रदेश	3.27	गुंडलाकम्मा परियोजना	• परियोजना प्राधिकारियों ने डाईवर्जन चैनल तथा सड़क की मरम्मत के कार्य को अतिरिक्त मद के रूप में मानते हुए इनके लिए ठेकेदार को अलग से ₹ 1.78 करोड़ का भुगतान किया यद्यपि यह कार्य हेतु अनुबंध में शामिल था। • राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 से प्रभावी चालू अनुबंधों में निविदा छूट या प्रीमियम[3] लगाये बिना जून 2015 में वितरिकाओं नेटवर्क हेतु भुगतान योग्य दरों में ₹ 9,000 प्रति एकड़ से ₹ 10,500 प्रति एकड़ की वृद्धि की। विभाग ने पुरानी दरों पर 5.13 प्रतिशत की निविदा छूट के गलत तरीके से आवेदन के द्वारा 32,333 एकड़ के शेष अयाकट के निर्माण हेतु ₹ 3.21 करोड़ के लिए जून 2016 में पूरक अनुबंध में प्रविष्टि की तथा ₹ 1,500 प्रति एकड़ की बजाय, ₹ 1,962 प्रति एकड़[4] की अलग दर पर पहुँचा। इसका परिणाम ₹ 1.49 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्धता हुआ। विभाग ने बताया कि पूरक अनुबंध को, निविदा छूट के आवेदन के बिना अलग दर पर गणना करने के पश्चात संशोधित किया जाएगा।
असम	9.80	चम्पामति परियोजना	भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, अनुमोदित डी.पी.आर. के कार्य क्षेत्र के परे कार्य की मदों के समक्ष ₹ 9.80 करोड़ का व्यय किया गया।
	2.06	धनसिरी सिंचाई परियोजना	सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमानित लागत का संशोधन केवल कार्य के कार्यक्षेत्र में बदलाव के मामले में ही किया जा सकता है। खाउरांग नदी के चै. 45,250 फीट पर कृत्रिम जलसेतु बनाने के कार्य को, अप्रैल 2002 तक कार्य

3 'निविदा छूट' बोली की अनुमानित लागत से नीचे बोलीदाता द्वारा उद्घृत मुल्य का प्रतिशत है। 'निविदा' प्रीमियम' अनुमानित लागत से अधिक उद्घृत प्रतिशत है।

4 ₹ 10,500-(9,000-9,000 का 5.13 प्रतिशत)

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			पूरा करने की शर्त के साथ ठेकेदार को सौंपा गया (अप्रैल 2000)। ठेकेदार नियत अवधि में कार्य पूरा नहीं कर सका तथा विभाग ने बिना कोई जुर्माना लगाये जून 2009 तक, कई बार समय को बढ़ाया। इसके बजाय, प्रभाग ने निविदा कीमत को ₹ 4.30 करोड़ तक बढ़ाया (फरवरी 2009) जिसमें कीमत वृद्धि की वजह से ₹ 2.08 करोड़ शामिल थे। प्रभाग ने ₹ 5.10 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें इस ₹ 2.06 करोड़ की राशि को शामिल किया गया। अनुबंध में कीमत वृद्धि के लिए किसी भी प्रावधान के बिना इसकी अनुमति देने तथा ऐसे मामले में, जहां देरी ठेकेदार के कारण थी, का परिणाम अनियमित व्यय में हुआ।
बिहार	1.45	दुर्गावती तथा पुनपुन बैराज परियोजनाएं	बिहार खनिज छूट नियम अनुबंधित करता है कि कार्य प्रभागों को फार्म एम.व.एन. तथा चालान, ठेकेदार से प्राप्त करना चाहिए तथा इसे जिला खनन अधिकारी से, मामूली खनिजों की कीमत व उनके वहन के लिए भुगतान करने से पहले सत्यापित कराना चाहिए। • दुर्गावती राइट मेन कैनाल प्रभाग तथा दुर्गावती लेफ्ट मेन कैनाल प्रभाग के अंतर्गत निष्पादित पांच अनुबंधों के अभिलेखों से उजागर हुआ कि संबंधित विभाग ने, एम.व.एन. फॉर्म के सत्यापन के बिना, 2,037.39 क्यूमी. रेत, 2,378.24 क्यूमी. पत्थर चिप, 2,643.90 क्यूमी. धातु तथा 34.20 क्यूमी. के बाउल्डर्स के उपभोग हेतु ठेकेदार को ₹ 91.88 लाख का अनियमित भुगतान किया। • इसी प्रकार, पुनपुन बैराज भुगतान के मामले में जिला खनन अधिकारी से चालान तथा एम.व.एन फार्म के सत्यापन के बिना 10,092.82 क्यूमी. के पत्थर धातु के लिए ₹ 53 लाख का भुगतान अनियमित था।
छत्तीसगढ़	0.36	केलो	केलो परियोजना की धनगाँव वितरिका की मुख्य रेगुलेटर संरचनाओं के निर्माण के कार्य को ₹ 95.18 लाख के लिए ठेकेदार को सौंपा गया। ठेकेदार ने कार्य का निष्पादन नहीं किया तथा ई.ई. ने, जोखिम तथा कीमत धारा के अंतर्गत अनुबंध को समाप्त कर दिया। हालांकि, ठेकेदार के प्रस्तुतीकरण के आधार पर तत्पश्चात, ठेकेदार की ओर से ₹ 35.57 लाख की अतिरिक्त लागत की वसूली को प्रतिबंधित

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			कर, ठेकेदार के पक्ष में फैसला लिया गया। निर्णय एल.ए. मामलों में देरी के आधार पर था। हालांकि, ई.ई. द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, 11 स्थलों में से सात पर एल.ए. मामलों को, ठेकेदार को कार्य आदेश जारी करने से पूर्व अंतिम रूप दिया गया। इस प्रकार, ठेकेदार से भुगतान की वसूली को प्रतिबंधित करना अनियमित था।
झारखण्ड	42.20	सुबर्नरेखा	झारखण्ड माइनर मिनरल कन्सेशन (जे.एम.एम.सी.) नियमों, 2004 के नियम 55 के अनुसार, मामूली खनिजों की खरीद केवल पट्टेदार/परमिट धारकों तथा प्राधिकृत वितरकों से की जा सकती है, जिसके लिए फार्म 'ओ' में शपथ पत्र के साथ परिवहन चालान का प्रस्तुतीकरण तथा फार्म 'पी' में विवरण (स्त्रोत जहां से सामग्री खरीदी गई, मात्रा तथा सामग्री की कीमत) अपेक्षित है। ठेकेदार को भुगतान करने से पहले फार्म ओ. व पी. में दिए गए विवरण की यथार्थता की जाँच संबंधित जिला खनन अधिकारी द्वारा की जानी थी। आगे, शेडयूल ऑफ रेट्स (एस.ओ.आर.) में दी गयी अनुदेशों के अनुसार निर्माण कार्यों में केवल 'टाटा टिसकॉन' तथा स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.), बोकारो का स्टील उपयोग किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 70 जांच-परीक्षा किए गए अनुबंधों में से 49 में, निर्माण सामग्री के ढुलाई के लिए ₹ 42.20 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को विभागीय अधिकारी द्वारा ठेकेदार से अपेक्षित फार्म ओ व पी प्राप्त किए बिना किया गया। अपेक्षित फार्म/चालान के अभाव में, खनन विभाग के साथ सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, स्टील की खरीद के समर्थन में बिक्री चालान भी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। इस तरह, वाहन के भुगतान, निश्चित स्थानों जहां से सामग्री खरीदी गई थी, की जांच किए बिना किए गए। इस प्रकार, ₹ 42.20 करोड़ का भुगतान अनियमित था।
कर्नाटक	1.40	एन.एल.बी.सी.	नहर के 0.00 से 50.87 कि.मी. के कार्य में, सामग्री, श्रम तथा सभी बढ़त तथा उठाव (मद सं. 13) के साथ बिछाव, जोड़ इत्यादि की कीमत को शामिल करते हुए नहर के तल व बगल हेतु एल.डी.पी.ई. शीट प्रतिष्ठापन व प्रदान करने के लिए अनुमानित लागत हेतु एक प्रावधान बनाया गया।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			प्रभाग, डब्ल्यू.आर.डी.एस.आर 2012-13 के अनुसार 750 माइक्रान की मोटाई वाली एल.डी.पी.ई. शीट प्रतिष्ठापन व प्रदान करने हेतु ₹ 223.60 प्रति वर्गमीटर पर विचार कर चुका था। तत्पश्चात, डब्ल्यू.आर.डी.एस.आर. 2013-14 के आधार पर अनुमानित लागत का संशोधन किया गया तथा 1,000 माइक्रान मोटाई वाली एल.डी.पी.ई. शीट पर विचार करते हुए ₹ 299 प्रति वर्गमीटर की दर निकाली गई। मोटाई की विशिष्टता को गलत रूप से अपनाने (750 माइक्रान एल.डी.पी.ई. शीट की बजाय 1,000 माइक्रान) की वजह से, ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
महाराष्ट्र	67.40	लोअर वर्धा	मुख्य नहर, गिरोली व देओली शाखा नहर पर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के निर्माण का कार्य मेसर्स श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन को सौंपा गया। कार्य के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार ने ₹ 468.55 प्रति क्यूमी. की दर पर कोहेसिव नॉन-स्वैलिंग (सी.एन.एस.) सामग्री के 17 लाख क्यूमी. का उपयोग किया जिसमे ₹ 365.20 प्रति क्यूमी. की दर पर 30 किमी से सामग्री परिवहन की दर शामिल थी। परियोजना प्राधिकारी, स्त्रोत जहां से सामग्री ली गई थी, का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल थे। वर्धा जिला के जिला खनन कार्यालय ने पुष्टि की कि ठेकेदार को सामग्री निकालने हेतु कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार, स्त्रोत की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित किए बिना 30 किमी की बढ़त के साथ अनुमान को बढ़ाने का परिणाम ठेकेदार को ₹ 67.40 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।
	0.55	तराली	रूपांकन, आरेखण का कार्य तथा सी.डी.ओ. की ओर से इसकी जांच जो विभाग की जिम्मेदारी थी, निविदा में शामिल थी। चूँकि यह ठेकेदार के लिए अतिरिक्त कार्य होगा, ठेकेदार उसकी बोली में ऐसे कार्य की लागत जोड़ेगा। इस तरह से कार्य व्यय पर प्रशासनिक व प्रतिस्थापन व्यय का भार हुआ। आगे, कोपर्डे अप्रोच कैनाल, खातब एल.बी.सी., बामबावडे तथा तराली एल.आई.एस.व पाल तथा इन्दोली एल.आई.एस. में ठेकेदार ने बिना किसी अनुमोदित रूपांकन के कार्य शुरू किया। यहां डिजाइन तैयार करने तथा इनको सी.डी.ओ. नासिक से अनुमोदित कराने में लिए गए समय की वजह से

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			न केवल कार्य में देरी हुई, बल्कि इसका परिणाम, सी.डी.ओ. द्वारा संशोधित रूपांकन के अनुमोदन के पश्चात कार्य के रूपांकन में बदलाव की वजह से ई.आई.आर.एल तथा अतिरिक्त परिमाणों में हुआ।
	8.79	हेतवाने	महाराष्ट्र सरकार ने, खाड़ी युद्ध की वजह से निर्माण सामग्री की कीमत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की वजह से अक्टूबर 1990 को चालू सभी कार्यों हेतु कीमत बढ़ोतरी में विशेष राहत को स्वीकृति देते हुए जनवरी 1992 में सरकारी संकल्प जारी किया। सरकारी संकल्प ने विशेष राहत की गणना हेतु सूत्र भी निर्धारित किया। सरकारी संकल्प (जी.आर.) (1992) के अंतर्गत दिशानिर्देश का पैरा 2 (vii) अनुबंधित करता है कि विशेष राहत की अनुमति अनुबंध के अंतर्गत सभी कार्य पूरे होने तक थी। कार्य का आबंटन 1985 में किया गया, इस प्रकार यह विशेष राहत हेतु योग्य था तथा ठेकेदार की कीमत वृद्धि के अतिरिक्त अक्टूबर 1990 से जून 2008 की अवधि हेतु ₹ 8.95 करोड़ का भुगतान विशेष राहत के रूप में किया गया (₹ 15.68 लाख अक्टूबर 1990 तथा सितम्बर 1994 के बीच तथा अक्टूबर 1994 व जून 2008 के बीच ₹ 8.79 करोड़)। खाड़ी युद्ध की वजह से सामग्री की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि का प्रभाव 1994 तक खत्म हो चुका था, हालांकि कथित जी.आर. के गैर-संशोधन की वजह से, ठेकेदार 2008 तक इसका लाभ उठा रहा था। ठेकेदार को ₹ 8.79 करोड़ का अदेय लाभ हुआ (अक्टूबर 1994 तथा जून 2008 के बीच)।
तेलंगाना	4.79	पालेमवागु परियोजना	अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 46 के अनुसार, सीमेंट, स्टील तथा ईंधन की कीमतों पर वृद्धि की अनुमति है, यदि कीमतें, मौजूदा बाजार दरों के ऊपर पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ती हैं। मूल दरों पर पांच प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि का क्षतिपूरण किया जाना था। हालांकि, विभाग ने प्रारंभिक पांच प्रतिशत वृद्धि को शामिल करते हुए सीमेंट, स्टील तथा ईंधन के लिए कीमत वृद्धि की अनुमति दी। कीमत वृद्धि के गलत भुगतान का परिणाम ₹ 4.79 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
ओडिशा	2.53	लोअर सुक्तल परियोजना	दिसम्बर 2003 में, राज्य सरकार ने परियोजना के जलप्लावन क्षेत्र गांव चूड़ापाली में 476.90 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की तथा ₹ 12.88 करोड़ की राशि स्वीकार की। तत्पश्चात, जनवरी 2010 में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस.एल.ए.ओ.) ने प्राधिकृत रूप से भूमि के वर्गीकरण तथा ₹ 15.41 करोड़ की अनुमानित लागत का पुनरीक्षण किया। यह भूमि की लागत के ₹ 2.53 करोड़ के अनियमित अनुमति की ओर ले गया।
उत्तर प्रदेश	21.85	बाणसागर नहर परियोजना	सिंचाई विभाग में, अनुबंध तय मद दरों पर सौंपे जाते है तथा यहां कीमत समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। बाणसागर नहर परियोजना में, एक फर्म के साथ ₹ 402.52 करोड़ हेतु अनुबंध बांड हस्ताक्षरित किया गया तथा कीमत समायोजन हेतु दो जाँच-परीक्षित विभागों द्वारा ₹ 21.85 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि ठेकेदार ने, कीमत सूचियों में बदलाव संबंधी किसी भी न्यायसंगतता को शामिल किए बिना कीमत समायोजन का दावा किया। विभागीय अधिकारी ने ठेकेदार के दावे को सत्यापित नहीं किया तथा राशि का भुगतान किया। इस प्रकार, ₹ 21.85 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।
	99.56	बाणसागर नहर परियोजना	परियोजना की अनुमानित लागत को विस्तृत सर्वेक्षण के बाद तैयार किया जाना चाहिए ताकि अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जा सके तथा तकनीकी संस्वीकृति से विचलन व विभिन्नता को कम से कम किया जा सके। फर्म को सौंपी गई बाणसागर नहर परियोजना के परिमाणों के 14 जांच-परीक्षण किए गए बिलों में से नौ में ₹ 99.56 करोड़ की राशि के अतिरिक्त मद शामिल किए गए थे। इस प्रकार, ₹ 99.56 करोड़ की राशि के कार्य को बोली प्रक्रिया से बाहर रखे गए थे तथा बाद में फर्म द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के कार्यक्षेत्र में जोड़े गए। इस प्रकार, ये कार्य अनियमित दरों पर निष्पादित किए गए। यह अनियमित था तथा इससे ठेकेदार को अदेय लाभ दिए गए।
उप कुल	**266.01**		

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
एम.आई. योजनाएं			
मध्य प्रदेश	0.32	झारा माइनर	सी.सी. लाइनिंग के नीचे सी.एन.एस. सतह बिछाने तथा प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था जबकि यह, पाठाखई माइनर परियोजना में नहर में चयनित पहुंच में शामिल था। विभाग ने दोनों योजनाओं में सी.सी. लाइनिंग के नीचे सी.एन.एस. का निष्पादन, सी.एन.एस. की आवश्यकता जानने हेतु परीक्षण के बिना किया। इसका परिणाम ₹ 32.04 लाख की अनियमित लागत में हुआ।
मिजोरम	0.86	खावनुई, ज़िल्गंई छांगते, फुआनलुई मट, बुःछांगदिल, टुईकुआल, मिडुम फाई, लोअर टुईमुक, औमपुई फाई	₹ 86 लाख का व्यय, आवश्यकता से अतिरिक्त खोदक मशीन को भाड़े पर लेना, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी के बिना डी.पी.आर. में निर्माण के दौरान मरम्मत और निष्पादन हेतु सामाग्री जो डी.पी.आर. में शामिल नहीं थे और किसी भी संरचनात्मक घटकों के निर्माण से पहले मार्च 2017 में जी.आई. पाइप लगाने और फिटिंग के लिए मजदूरी का भुगतान पर अनुमानित लागत से उपर और अधिक किया गया।
नागालैंड	4.07	पंगबा, ओयुंग, टिपफेको - पफिलिकालु, तथा बालीजन खेकिहो	चार एम.आई. योजनाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह नोटिस किया गया कि ₹ 4.07 करोड़ की राशि वाले कार्यों को डी.पी.आर. में अनुमोदित कार्य के कार्यक्षेत्र अनुसार निष्पादित नहीं किया गया था। कार्य के अनुमोदित कार्यक्षेत्र से विचलन का परिणाम ₹ 4.07 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।
	0.32	डिफूपानी एम.आई परियोजना	एक स्टेंडअलोन एम.आई. परियोजना शुरू की गई (2014-15) जिनके लिए ₹ 31.50 लाख जारी किए गए क्योंकि विशेष विवरणों के अनुसार कार्य को पूरा किया जाना सूचित हुआ था। लेकिन संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (जुलाई 2017) यह नोटिस किया गया कि कार्य को निष्पादित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 31.50 लाख का अदेय भुगतान किया गया।
	0.15	पंगतीयांग एम.आई. परियोजना	पंगतीयांग एम.आई. परियोजना (2014-15) के अंतर्गत ₹ 17.13 लाख का भुगतान जारी किया गया क्योंकि संबंधित कार्य का पूरा होना सूचित किया गया था। लेकिन संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (जुलाई 2017), यह नोटिस किया गया कि कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 17.13 लाख का अदेय भुगतान किया गया।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
ओडिशा	0.83	तिलजोडी	₹ 83 लाख का व्यय बिना प्रशासनिक अनुमोदन के किया गया।
	1.45	दाबलोजोर योजना	₹ 1.45 करोड़ का व्यय बिना प्रशासनिक अनुमोदन के किया गया।
उप कुल	**8.00**		
कुल	**274.01**		

अनुबंध 4.14

(पैरा संख्या 4.9.5.2 का संदर्भ लें)

अपव्ययी तथा निष्फल/बेकार व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
एम.एम.आई. परियोनाएं			
असम	17.79	धनसिरी सिंचाई परियोजना	परियोजना के मुख्य नहर के 80 मीटर की जरीब दूरी पर गाद निष्कासक के निर्माण का कार्य ठेकेदार को (नवम्बर 2003) सौंपा गया। ₹ 17.79 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी, जुलाई 2017 तक कार्य पूरा नहीं किया गया था क्योंकि पावर स्टेशन का निर्माण ए.पी.डी.सी.एल. के रूझान हटने की वजह से छोड़ दिया गया था। इसी बीच, भौतिक सत्यापन के दौरान, मुख्य नहर में भारी मात्रा में गाद को संज्ञान में लाया गया। विभाग ने कहा (जुलाई 2017) कि ए.पी.पी.सी.एल., अन्य पावर क्षेत्र कम्पनी के साथ कार्य को पूर्ण करने का नया प्रस्ताव प्रक्रिया में था। तथ्य रहा कि परियोजना पर पहले ही खर्च किया गया ₹ 17.79 करोड़ निष्फल रहा।
	0.10	धनसिरी सिंचाई परियोजना	बी3एम शाखा नहर में, 15,606 मी. तथा 17,374 मी. की जरीब दूरी के बीच ₹ 9.91 लाख की लागत के मरम्मत कार्यों को निष्पादित दर्शाया गया, जो या तो परित्यक्त (जरीब दूरी 15,606 मी. से 16,760 मी.) अन्यथा बेकार (जरीब दूरी 16,760 मी. से 17,374 मी.) था।
	2.25	धनसिरी सिंचाई परियोजना	बी3एम शाखा नहर में 15,606 मी. से 16,760 मी. की क्षतिग्रस्त जरीब दूरी को ध्यान में रखते हुए, नहर के माध्यम से पानी की पूर्ति के लिए नहर की 16,760 मी. जरीब दूरी पर 'गेटेड स्पिलवे' के निर्माण का कार्य, ₹ 1.91 करोड़ की निविदा लागत पर ठेकेदार को (फरवरी 2014) आबंटित किया गया। तत्पश्चात, कार्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी की वजह से क्षतिपूर्ति निविदा के माध्यम से ₹ 5.70 करोड़ तक इसे संशोधित किया गया (जनवरी 2015)। ₹ 2.25 करोड़ की कीमत वाले कार्य के निष्पादन के बाद, ठेकेदार ने अप्रैल 2015 से

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			कार्य बंद कर दिया जिसके कारण अभिलेख में नहीं है। जुलाई 2017 तक कार्य अपूर्ण था। ठेकेदार को ₹ 1.93 करोड़ का भुगतान ₹ 32 लाख की शेष देयता के साथ किया गया, जो निष्फल रहा क्योंकि न तो ठेकेदार ने कार्य पुनः शुरू किया न ही विभाग ने शेष कार्य को पूरा करने की पहल की।
	1.75	धनसिरी सिंचाई परियोजना	सोनाई नदिका के पार शाखा नहर सं. डी2बी1एम के 17,932 मी. जरीब दूरी पर अन्य मिश्रित कार्यों के साथ 'गेटेड स्पिलवे' के निर्माण का कार्य ठेकेदार को ₹ 2.80 करोड़ के लिए अगस्त 2010 के अंदर पूरा करने हेतु सौंपा गया (मार्च 2010)। ठेकेदार ने ₹ 2.33 करोड़ की कीमत का कार्य निष्पादित किया परंतु कार्य को पूरा करने में असफल रहा तथा इसे नवम्बर 2013 से बंद कर दिया, जिसके कारण अभिलेख में नहीं है। कार्य को दिसंबर 2015 में समाप्त कर दिया गया तथा ठेकेदार को ₹ 1.75 करोड़ का भुगतान किया गया। शेष कार्य तथा ₹ 57 लाख के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन के लिए एक नया कार्य आदेश अन्य ठेकेदार को ₹ 1.04 करोड़ की निविदा लागत पर मई 2016 के अंदर पूरा करने हेतु जारी किया गया (मार्च 2016)। यह ठेकेदार भी कार्य पूरा करने में (जुलाई 2017) असफल रहा। इस प्रकार, वास्तविक कार्य आदेश जारी करने की तिथि से सात से भी ज्यादा वर्षों तक कार्य की गैर-पूर्णता का परिणाम ₹ 1.75 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
	0.16	जमुना सिंचाई परियोजना	₹ 16.45 लाख की कुल लागत के साथ जमुना सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण के अंतर्गत मुख्य नियामको के बहाव बिंदु पर द्वार ऑपरेटरो हेतु पांच झोपड़ो का निर्माण किया गया। कासीमरी तथा बोकोलिया (डी1 तथा डी3 नहर) पर दो झोपड़ों के भौतिक सत्यापन से उजागर हुआ कि झोपड़े वीरान तथा क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े थे। ₹ 16.45 लाख का व्यय निष्फल रहा।
बिहार	12.23	कोसी बैराज परियोजना	परियोजना का एक मुख्य घटक कोसी बैराज के अनुप्रवाह तथा प्रतिप्रवाह में पायलट चैनल का निर्माण

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			था। पायलट चैनल के निर्माण का कार्य ₹ 13.98 करोड़ में जून 2009 तक पूरा किए जाने के लिए मार्च 2009 में सौंपा गया। तत्पश्चात, ₹ 12.23 करोड़ खर्च करने के बाद कार्य बंद कर दिया गया क्योंकि इसे उपयोगी नहीं पाया गया। ₹12.23 करोड़ का व्यय अपव्ययी रहा क्योंकि बाढ़ के दौरान चैनल गाद से भर गया था। इसके स्थान पर, बैराज के अनुप्रवाह में, 2010-11 के दौरान इसी बढ़ाव पर, ₹ 7.38 करोड़ की लागत पर अन्य चैनल का निर्माण करना पड़ा, जो परिहार्य था।
	1.02	दुर्गावती परियोजना	दुर्गावती बायीं मुख्य नहर परियोजना के अंतर्गत बेलोन वितरिका में निर्माण कार्य हेतु दो समझौते अक्टूबर 2014 में ₹ 4.57 करोड़ की लागत पर छः महीने के अंदर पूर्ण किए जाने हेतु निष्पादित किए गए। जनवरी 2016 तक कार्य अपूर्ण रहा जिसकी वजह से नहर के संरेखण में बदलाव की वजह से आगे अन्य किसी कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया तथा कार्य को छोड़ दिया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 1.02 करोड़ का व्यय निष्फल था।
गोवा	10.25	तिल्लारी परियोजना	दायां किनारा मुख्य नहर की बी6 वितरिका के तीन कार्यों पर ₹ 10.25 करोड़ की सीमा तक कार्य के निष्पादन के बाद, कार्य को बंद कर दिया गया तथा लिफ्ट सिंचाई योजना का विकल्प अपनाने का प्रस्ताव दिया गया। क्षेत्र, जहां लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित की गई, में कार्यों पर किया गया ₹ 10.25 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो सकता है।
गुजरात	40.09	सरदार सरोवर परियोजना	यद्यपि, नर्मदा मुख्य नहर तथा शाखा नहरें (कच्छ शाखा नहर को छोड़कर) पूरी हो गई थीं, नहर स्वचालित प्रणाली को ₹ 40.09 करोड़ खर्च किए जाने के बावजूद भी कार्यान्वित नहीं किया गया। इस राशि में, 1993 से 2014 के बीच ₹ 29.77 करोड़ की राशि से निर्मित 428 नियंत्रण केबिन (सी.सी.एस.) की लागत शामिल है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नहर स्वचालितकरण हेतु योजना को अंतिम रूप देना बाकी था तथा अनुमानित लागत अभी तक तैयार नहीं थी।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			इस प्रकार, सी.सी.एस. के निर्माण में ₹ 29.77 करोड़ का व्यय, वह भी जब तब नहर स्वचालितकरण प्रणाली हेतु योजना तैयार नहीं थी, के परिणाम स्वरूप बेकार निवेश हुआ। कम्प्यूटर सहायक सुदूर निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली (आर.एम.सी.एस.) प्रतिष्ठापन करने हेतु सलाहकार सेवाओं का लाभ उठाने पर ₹ 9.92 करोड़ का व्यय किया गया जो परियोजना के कार्यान्वयन के स्थगन की वजह से निष्फल रहा। एस.एस.एन.एन.एल. को स्वचालितकरण पायलट परियोजना हेतु बोली दस्तावेजों तथा विस्तृत रूपांकन के पुनरीक्षण हेतु सलाहकार कार्य (जुलाई 2012) ₹ 18 लाख के लिए सौंपा जिसके लिए कम्पनी ने ₹ 40 लाख का भुगतान किया।
	1.14	सरदार सरोवर परियोजना	वल्लभीपुर शाखा नहर (वी.बी.सी.) के 63.072 किमी जरीब दूरी पर नहर अतिप्रवाह के लिए निकास पहले से ही मौजूद था तथा रेलवे लाइव व पीने योग्य जल आउटलेट हेतु सेफ्टी वाल्व के तौर पर माना गया। भूमि के गैर-अधिग्रहण की वजह से जल निर्वहन हेतु टेल चैनल (जल निकास मार्ग) की अनुपस्थिति में शुरूआत से ही यह निकास गैर संचालन में रहा तथा यू.जी.पी.एल. को संभाव्य नहीं पाया गया। आगे, यहां टेल चैनल के आस-पास जी.डब्ल्यू.आई.एल. पीने के पानी की पाइपलाईन थी तथा निकास को , नदी (भादर) के प्राकृतिक बहाव (विपरीत दिशा) के विरूद्ध तैयार किया गया तथा पानी को निकास से मोड़ा नहीं जा सका। वी.बी.सी. पर 64.875 कि.मी. जरीब दूरी पर अतिरिक्त निकास हेतु ₹ 1.54 करोड़ की अनुमानित लागत को अनुमोदित किया गया तथा कार्य के लिए निम्नतम उद्धृत कीमत ₹ 1.14 करोड़ थी। इस प्रकार, 63.072 जरीब दूरी पर वास्तविक निकास निर्माण होने से ही बेकार पड़ा रहा। संरचना के निर्माण के समय दोषपूर्ण सर्वेक्षण तथा योजना की वजह से, टेल चैनल के लिए पर्याप्त भूमि

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			का अधिग्रहण किए बिना तथा टेल चैनल को पूरा किए बिना अनुपयुक्त स्थान पर निकास का निर्माण किया गया। परिणाम व्यर्थ परिसम्पति के निर्माण में तथा नए निकास पर ₹ 1.14 करोड़ की अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ।
झारखण्ड	12.95	गुमनी बैराज योजना	₹ 13.27 करोड़ के पांच अनुबंधों को, सिंचाई विभागों, बारहेट तथा पाकूर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 0 से 234 तथा 629 से 1,083 जरीब दूरी के बीच गुमनी मुख्य नहर की मुख्य मरम्मतों तथा सेवा सड़को के निर्माण तथा किनारों को मजबूत बनाने हेतु 2015-17 के दौरान निष्पादित किया गया एवं ठेकेदारो को ₹ 12.95 करोड़ का भुगतान किया गया। सिंचाई विभाग, बरहरवा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य नहर की मरम्मत के किसी भी कार्य को निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि वाहोत्थान बांध के गैर निर्माण की वजह से गुमनी बैराज का कार्य अपूर्ण था। अतः वाहोत्थान बांध के निर्माण हेतु भूमि के गैर अधिग्रहण की वजह से निकट भविष्य में गुमनी बैराज से मुख्य नहर में पानी छोड़ने की संभावना दूरस्थ है। इस प्रकार, नहरों/तटबंधों की मरम्मत पर ₹ 12.95 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
मध्य प्रदेश	0.62	सागड़ मध्यम परियोजना	मिट्टी के बांधों, स्पिलवे, डेक ब्रिज तथा जल द्वार का कार्य अनुप्रवाह में निष्पादित किया गया, यद्यपि यह अपेक्षित नहीं था, परिणाम स्वरूप ₹ 62.34 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।
	0.15	सिंध	धातु हेतु आर.बी.सी. विभाग, नरवार के अनुबंध में, 4 कि.मी. के एक लीड को शामिल किया गया तथा कंक्रीट व अन्य वस्तुओं के साथ ₹ 15.30 लाख का भुगतान किया गया यद्यपि धातु हेतु लेड न तो अपेक्षित न ही भुगतान के योग्य था।
महाराष्ट्र	2.31	निचली पेढ़ी	स्थल पर लाए गए 1,210 एम.टी. टी.एम.टी. स्टील के लिए ठेकेदार को ₹ 3.19 करोड़ की राशि का भुगतान फरवरी 2010 में किया गया, हालांकि ठेकेदार सामग्री का उपभोज्य सात से अधिक वर्षों तक भी नहीं कर

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			सका तथा अग्रिम बकाया था। तथ्य के बावजूद कि भूमि अधिकार में नहीं थी तथा कार्य को निष्पादित नहीं किया जा सकता था, ई.ई. ने ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम राशि मंजूर की। फरवरी 2017 में, ई.ई. ने चिन्हित किया कि स्थल पर सामग्री में 136 एम.टी. कमी थी तथा ₹ 51.68 लाख की वसूली की। मार्च 2017 तक अर्थात सात वर्षों के बाद, ठेकेदार केवल 198.77 एम.टी. स्टील का प्रयोग कर सका तथा शेष मात्रा 875.234 एम.टी. जिसकी कीमत ₹ 2.31 करोड़ थी ठेकेदार के समक्ष अभी तक लम्बित थी (जुलाई 2017)। कार्यकारी अभियंता, अमरावती परियोजना निर्माण प्रभाग सं. 1 अमरावती ने कहा कि कार्य आदेश देने के बाद, यह अपेक्षित था कि ठेकेदार कार्य शुरू करेगा। हालांकि, भूमि की अनुपलब्धता की वजह से सात वर्षों के दौरान संरचनाओं में 1,200 एम.टी. में से केवल 198.77 एम.टी. स्टील का ही उपयोग किया जा सका।
ओडिशा	14.82	लोअर इंदिरा, कानूपुर तथा रूकुरा सिंचाई परियोजना	पी.डब्ल्यू.डी. राज्य को दर सूची (एस.ओ.आर.) ने ₹ 2,190.00 से ₹ 2,519 प्रति घंटा पर भूमि के 300 क्यू.मी. फैलाव के लिए बुल्डोजर किराए पर लेने का शुल्क तय किया। हालांकि, मिट्टी के बांधों तथा नहर के तटबंधों के संघनन हेतु अनुमानित लागत तैयार करते समय, विभाग ने 300 क्यू.मी. की बजाय 100 क्यू.मी. के फैलाव हेतु ₹ 2,177.43 से ₹ 2,519 प्रति घंटा की रेंज के किराया शुल्क अपनाए। तीन परियोजनाओं में 13 कार्यों की अनुमानित लागतों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि अनुमानित लागतें ₹ 14.82 करोड़ बढाई गईं जिसमें से ₹ 12.12 करोड़ ठेकेदारो को दिए जा चुके थे।
	4.30	रूकुरा तथा लोउर इंदिरा सिंचाई परियोजना	75 एम.एम. मोटी सी.सी. एम.15 लाइनिंग की जरूरत के सापेक्ष 100 एम.एम. मोटी सी.सी. एम.15 लाइनिंग को 37,456.98 क्यूमी. के अनुमानित लागत में शामिल किया गया, जो दो परियोजनाओं के छः कंक्रीट लाइनिंग कार्यों में सी.सी. एम.-15 के 9,364.25 क्यू.मी. के अतिरिक्त प्रावधान की ओर ले गया जिसका

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			परिणाम ₹ 4.30 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।
तेलंगाना	7.96	इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर परियोजना	• सितम्बर 2008 में विभाग ने आर. एंड आर. गतिविधियों को सुनिश्चित किए बिना ₹ 131.68 करोड की लागत पर थोटापल्ली बैलेंसिंग रिजरवॉयर' (टी.बी.आर.) का कार्य सौंपा। सरकार ने जनवरी 2016 में आर. एंड आर. लागत में वृद्धि की वजह से परियोजना से टी.बी.आर. को हटाने के निर्देश दिए। परिणामस्वरूप, टी.बी.आर. पर किया गया ₹ 1.24 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा। आगे परियोजना में एक बांध का निर्माण अपेक्षित उंचाई तक ग्रामीणों की आपत्तियों की वजह से नहीं किया जा सका क्योंकि आर. एंड आर. गतिविधियां पूर्ण नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, मिट्टी बांध का बायाँ हिस्सा मन्नार नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश (सितम्बर 2016) के दौरान टूट गया। अपेक्षित ऊचाई तक बांध के निर्माण में असफलता से टूटे हुए बांध पर ₹ 5.50 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा। • परियोजना के अंतर्गत मोथ रिजरवॉयर का कार्य, ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न बाधाओं की वजह से शुरू नहीं किया जा सका क्योंकी आर. एंड आर. मुद्दों का निपटान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2011 तक सर्वेक्षण व जांच पर खर्च की गई ₹ 1.22 करोड़ की राशि मार्च 2017 तक निष्फल थी।
	46.64	राजीव भीमा लिफ्ट इरिगेशन योजना	अनुबंध (मार्च 2005), के अनुसार तेलंगाना में राजीव भीमा लिफ्ट इरिगेशन योजना (आर.बी.एल.आई.एस.) के अंतर्गत मौजूदा शंकरा समुंद्रम टैंक का शंकरा समुंदरम बैलेंसिंग रिजरवॉयर (एस.एस.बी.आर.) में बदलाव दो वर्ष में पूरा किया जाना था। हालांकि, कन्हैयापल्ली गांव में जलप्लावन के अंतर्गत आने वाले गांवों के गैर निष्क्रमण की वजह से कार्य अपूर्ण रहा (मार्च 2017 को)। कार्य में दस वर्ष की देरी हुई है

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			तथा एस.एस.बी.आर. के निर्माण पर ₹ 46.64 करोड़ का व्यय बेकार रहा।
उप कुल	176.33		
एम.आई. योजनाएं			
आंध्र प्रदेश	25.88	भावानासी टैंक	विभाग ने कार्यों के निर्विहन निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के बिना ही प्रकाशम जिले के अड्डानकी मंडल में भावनासी टैंक का मिनी-रिजरवोयर में बदलाव का कार्य सौंपा। दिसम्बर 2016 को, विभाग ने केवल 190.29 एकड़ (40.85 प्रतिशत) अधिग्रहित की। परिणामस्वरूप, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जिसके परिणाम से छः वर्षों का समय लंघन, लक्षित अयाकट का गैर-सृजन तथा परियोजना पर पहले ही खर्च किए जा चुके ₹ 25.88 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
बिहार	6.57	हड़सा बरहउना अहर पायने तथा भालुकी अहर पायने	ये दो योजनाएं 2011-12 में ₹ 10.48 करोड़ की समग्र अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई। यद्यपि कार्यों को पूरा नहीं किया गया, योजनाओं पर ₹ 5 करोड़ खर्च करने के बाद बंद घोषित कर दिया गया।
		जमुआ व करूआ, रंगाहीर राजाला कराही तथा काकाराका बंध सागी	चार योजनाएं जिसमें 1,040 हेक्टेयर के आई.पी. को बनाना था को 2013-14 के दौरान शुरू किया गया। चार विभिन्न अनुबंधों को विभिन्न एजेंसियों के साथ ₹ 3.21 करोड़ की संयुक्त लागत पर निष्पादित किया गया। योजनाओं को नौ महीनों में पूरा किया जाना नियत था। हालांकि, ठेकेदारों ने कार्यों को पूरा किए बिना इसे परित्यक्त कर दिया तथा वे ₹ 1.57 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी अपूर्ण रहे।
छत्तीसगढ़	13.21	भानुपुरी डाइवरजन, महादेव दांड टैंक, मैनालारंगा डाइवरजन, चेरामा टैंक, आंनदपुर टैंक पोन्डुम टैंक, बोहारदिह टैंक, चिखालकासा टैंक, भारीतोला एनीकट, बोरगांव एनीकट, दाबड़ी	₹ 56.11 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ 7,540 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए 23 एम.आई. योजनाओं को, विभाग द्वारा ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत समावेश के बाद तथा ₹ 13.21 करोड़ का व्यय करने के बाद, स्थानीय लोगों के विरोध, मंजूरी की गैर-प्राप्ति, इत्यादि की वजह से अलाभकारी मानते हुए बंद कर दिए गए। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर ₹ 13.21 करोड़ का खर्च निष्फल रहा।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		पाड़ा स्टॉपडैम, फूलनदी एनीकट मकड़ी डाइवरजन, पानीडोबीर एनीकट, तेलगारा डाइवरजन, गेरूआनाल्ला डाइवरजन, घारहारी डाइवरजन, भेलवाटोली टैंक, केकराझारिया टैंक, जैतपुरी डाइवरजन, झिराना टैंक, गत्तम डाइवरजन तथा गमहारिया टैंक	
जम्मू व कश्मीर	1.20	लिफ्ट सिंचाई स्कीम डुलांजा	1,800 मीटर की लम्बाई की नहर वाली योजना को ₹ 1.80 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 2010-11 में शुरू किया गया। योजना, पंप हाउस के स्थल में बदलाव तथा अन्य सहबद्ध कार्यों नामतः मुख्य उत्थान, डिलीवरी टैंक इत्यादि की वजह से अपूर्ण रही। कार्य के तकनीकी भाग के लिए सामग्री पहले ही खरीदी जा चुकी थी जिसे भी प्रतिष्ठापित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, योजना पर किया गया ₹ 1.20 करोड़ का व्यय निष्फल रहा (मार्च 2017 को)।
मध्य प्रदेश	1.62	बरखेड़ी वेयर एम.आई. योजना	यह अवलोकन किया गया कि दिक्परिवर्ती बांध का दायां भाग, की (key), बॉडी (body) तथा टो (toe) दीवार के सी.सी. कार्य के भाग के साथ बह गया, जिसकी ₹ 12.88 लाख के अतिरिक्त व्यय के बाद भी मरम्मत नहीं की जा सकी। योजना को मरम्मत का कार्य पूरा किए बिना ही पूर्ण घोषित कर दिया गया। दिक्परिवर्ती बांध, पानी का भंडारण करने में असक्षम रहा तथा इसीलिए सी.सी.ए. के सृजन में भी। परिणामस्वरूप, परियोजना पर किया गया ₹ 1.62 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
महाराष्ट्र	2.99	जाधववाडी एम.आई. टैंक	योजना, मुख्य कार्य, सिंचाई सह पावर आउटलेट (आई.सी.पी.ओ.), अन-गेटिड स्पिलवे, इत्यादि शामिल करती हैं, परंतु कोई भी नहर या वितरण नेटवर्क नहीं

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			है। गैर-कार्यात्मक आई.सी.पी.ओ. के निर्माण मे किया गया ₹ 2.99 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा।
ओडिशा	5.25	डबलाजोर तथा तेमूरापल्ली	डबलाजोर तथा तेमूरापल्ली योजनाओं को ₹ 3.78 करोड़ की लागत पर 2007-09 के दौरान संस्वीकृत किया गया। दोनों परियोजनाओं के मुख्य कार्य ₹ 5.25 करोड़ की लागत पर पूर्ण किए गए। सिंचाई उद्देश्य हेतु पानी लाने के लिए वितरण प्रणाली को भूमि के गैर-अधिग्रहण की वजह से पूर्ण नहीं किया जा सका। यह न केवल ₹ 5.25 करोड़ की राशि को अवरूद्ध करने वरन् छः से सात से भी अधिक वर्षों हेतु बेकार वस्तुसूची के रूप में रहा। इसने सिंचाई के लाभों से वंचित किया।
उपकुल	**56.72**		
कुल	**233.25**		

अनुबंध 4.15
(पैरा संख्या 4.9.5.3 का संदर्भ लें)
अतिरिक्त एवं परिहार्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
एम.एम.आई. परियोजनाएं			
असम	धनसिरी सिंचाई परियोजना	10.34	ठेकेदार के अनुरोध के आधार पर विभाग ने इन वस्तुओं के नामकरण को बदलकर अर्थवर्क, आर.सी.सी. और सी.सी. कार्यों की दरों में संशोधन किया जो इस प्रकार है: • उत्खनन में अर्थवर्क की दरों का विश्लेषण शुरूआत में लीड और उठान पर ध्यान दिए बगैर किया गया था जबकि नामकरण में परिवर्तन आकलन में लीड और उठान को क्रमशः 30 मीटर और 7 मीटर तक सीमित करते हुए किया गया था। • अतिरिक्त लिफ्ट के आधार पर आर.सी.सी. और सी.सी. कार्यों की दरों में भी संशोधन किया गया था, हालांकि आर.सी.सी./सी.सी. की मद दर लिफ्ट पर ध्यान दिए बगैर मात्रा (लंबाई, चौड़ाई और गहराई सहित मात्रा) प्रति घन मीटर के आधार पर निकाली गई थी। इसके अलावा, कार्य की गहराई के आधार पर कार्यों के उक्त मदों की दरों के विश्लेषण के लिए पी.डब्ल्यू.डी. सूचियों/मानदंडों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संशोधित दरों पर किए गए भुगतान के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। डिवीजन ने इस अवलोकन को स्वीकार किया।
		1.45	ठेकेदार द्वारा दर्शाई गई विसंगतियों के आधार पर, डिवीजन ने "संरचनाओं के किनारों को मिट्टी/बालू, कंकड़ और छोटे आकार के गोल पत्थरों सहित मिश्रित मिट्टी के साथ इसे पूरा करने के बाद पुनर्भरण" के एक नए मद को मिलाकर एक संशोधित आकलन तैयार किया। हालांकि, यह मद दरों के विश्लेषण में पहले से ही शामिल किया गया था। इस मद पर ₹ 1.45 करोड़ के भुगतान के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। डिवीजन ने इस अवलोकन को स्वीकार किया।
		0.71	धनसिरी परियोजना डिवीजन, नहर-II सिंचाई, उदलगुड़ी ने लाखी नदी पर जलसेतु के निर्माण के लिए ₹ 8.65 करोड़ का अनुमान तय किया। हालांकि, ठेकेदारों को मजदूरी लागत पर 30 प्रतिशत आकस्मिक प्रभार शामिल करने के माध्यम से स्वीकृत बढ़ी हुई दर के भत्ते के लिए ₹ 71.23 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			इस प्रकार, किसी भी पूरक निविदा के बिना तथा कार्य शुरू होने के बाद में निविदा दरों में बाद में की गई वृद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता है और यह मौजूदा सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन/हेरफेर है। श्रम पर आकस्मिक/परोक्ष लागत को शामिल करने के लिए प्रावधान केवल कार्य की वास्तविक लागत का पता लगाने और निधि की मंज़ूरी हेतु आकलन/डी.पी.आर. तैयार करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों में किया गया है।
		0.56	कार्यकारी अभियंता, धनसिरी परियोजना डिवीजन, नहर-II (सिंचाई), उदलगुड़ी के अभिलेखों की जांच-परीक्षा से पता चला कि डिवीजन ने संशोधित आकलन तैयार करने के समय "सीमेंट/मजबूत सलाखों/स्टील की प्लेटों/स्टील की सामग्रियों आदि को चढ़ाई एवं उतराई सहित ट्रक परिवहन द्वारा गुवाहाटी से कार्यस्थल तक पहुँचाने" के मद को शामिल किया था और तदनुसार 3,310.60 मीट्रिक टन की उक्त सामग्रियों के परिवहन के लिए ठेकेदार को ₹ 55.73 लाख का भुगतान किया गया था। चूंकि, सामग्रियों की ढुलाई लागत को आर.सी.सी./सी.सी. कार्यों की मद दरों में पहले से ही शामिल किया गया था इसलिए इस मद के अलावा ₹ 55.73 लाख के अतिरिक्त ढुलाई लागत की अनुमति का परिणाम परिहार्य अतिरिक्त व्यय के रूप में हुआ।
बिहार	पुनपुन	0.67	• बैराज की स्थापना से भूमि के उत्खनन के लिए ₹ 26 लाख के अतिरिक्त भुगतान को ठेकेदार को दुगुने भुगतान के मामले के रूप में पाया गया था। • 810.00 मीट्रिक टन पत्रक गड्डे को प्रदान करने और रखने के काम के लिए एक पूरक समझौते के तहत डिवीजन ने मूल समझौते के मुकाबले उच्च दरों पर भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 41 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
कर्नाटक	नारायणपुरा लेफ्ट बैंक नहर	187.19	विभागीय नियमों के अनुसार, एस.आर. में दरों के ऊपर 25 प्रतिशत वेटेज केवल काम के अंतिम भुगतान बिल के साथ देय था। लेकिन विभाग ने कार्य पूर्ति के 90 प्रतिशत तक किए गए भुगतान के लिए चालू खातों के बिल के साथ ₹ 187.19 करोड़ के वेटेज का भुगतान किया। इस प्रकार, ₹ 187.19 करोड़ के अधिक-भुगतान/पूर्व-भुगतान का अनुचित लाभ ठेकेदार को बढ़ाया गया था।
मध्य प्रदेश	बाणसागर	0.31	केवटी नहर रीवा डिवीजन के समझौते में पानी देने और संघनन के मद को केवल भरण/अर्थवर्क के मात्रा के बजाय कड़ी मिट्टी/हार्ड मुरम में उत्खनन की पूरी मात्रा के लिए

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			प्रयुक्त/जोड़ा गया था। यह देखा गया था कि भरण/अर्थवर्क में 1,48,251.30 घन मीटर मात्रा का उपयोग किया गया था। हालांकि, पानी लगाना और संघनन निष्पादित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.37 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.61	तटबंध के अर्थवर्क में दो प्रतिशत की दर से अवमूल्यन भत्ते को कम किया जाना था। हालांकि, केवटी नहर डिवीजन, रीवा के समझौते में नहर के अर्थवर्क में भरण भाग में 10 और 20 प्रतिशत की दर से अवमूल्यन भत्ता काटा गया था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 61.14 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.29	केवटी नहर, रीवा के समझौते में 42वें आर.ए. बिल में ठेकेदार को ₹ 9.53 करोड़ का भुगतान किया गया था लेकिन डिवीजन द्वारा तैयार किए गए 43वें और अंतिम बिल में किए गए कार्य की वास्तविक कुल राशि ₹ 9.25 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए माप के कारण ठेकेदार को ₹ 29 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.24	प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार द्वारा उत्खनित और उपलब्ध हार्ड मुरम का उपयोग करके अपनी लागत पर हाउल रोड का निर्माण किया जाना था। केवटी नहर डिवीजन, रीवा के दो समझौतों में, डिवीजन ने ठेकेदार को हार्ड मूरम के संग्रह और प्रसार के लिए ₹ 23.98 लाख का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.11	विभाग ने ठेकेदार के चालू बिल से ड्रेसिंग के कार्य के गैर-निष्पादन के लिए नहर के उत्खनन में 5,033.70 घन मीटर की मात्रा को रोक दिया लेकिन रिकॉर्ड में ड्रेसिंग कार्य के निष्पादन के बिना इसे अंतिम बिल में जारी किया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 10.98 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	महुआर	2.27	प्रावधानों के अनुसार सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) का मद एक पूर्ण मद है, इस प्रकार धातु की संग्रह दर इसके लिए पृथक रूप से देय नहीं है। डब्ल्यू.आर.डी. डिवीजन, शिवपुरी के समझौते में धातु के लिए 15 कि.मी. के लीड को अनुमानित दर में शामिल किया गया था जिस पर निविदा प्रतिशत का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, यद्यपि शिवपुरी जिले में बी.टी. या ग्रेनाइट धातु सम्मिलित नहीं था तथापि सी.सी. में बी.टी./ग्रेनाइट धातु के लिए भुगतान को जोड़ा गया था और इसके लिए भुगतान किया गया था। इसके

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			अलावा, सी.सी. के पूर्ण मद के बावजूद सी.सी. के लिए धातु के अतिरिक्त संग्रहण दर को भी अनुमानित दर तक पहुंचने और भुगतान के लिए जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.27 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		5.85	आर.बी.सी. नहर के माइनर्स, सबमाइनर्स एवं माइनर्स के ढ़ाचे सहित निर्माण हेतु समझौते के प्रावधान के अनुसार 25.20 कि.मी. की लंबाई में आर.बी.सी. के मुख्य नहर का निर्माण किया जाना था। यह देखा गया कि आर.बी.सी. का मुख्य नहर को 25.20 कि.मी. की अनुमोदित लंबाई की तुलना में केवल 21.09 कि.मी. की लंबाई तक निर्मित किया गया था, लेकिन डिवीजन ने ठेकेदार को पूरी राशि का भुगतान किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अलावा, समझौते के साथ संलग्न भुगतान सूची के अनुसार निर्मित प्रणाली को लगाने और परीक्षण के लिए तथा दोष देयता अवधि (तीन वर्ष) के बाद प्रतिशत भुगतान 3.80 प्रतिशत था। लेकिन ठेकेदार को दिए गए अंतिम बिल के अनुसार डिवीजन ने ठेकेदार को पूर्ण संविदा राशि का भुगतान किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	सिंहपुर	0.25	यह देखा गया था कि उत्खनन के लिए अनुमानित दर ₹ 30.13 प्रति घन मीटर थी लेकिन शेष कार्य में उत्खनन की दरें ₹ 90.99 प्रति घन मीटर के रूप में ली गई थी। इस प्रकार शेष कार्य में दर में गलत वृद्धि के कारण, ठेकेदार को ₹ 24.48 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।
		0.16	"मुख्य नहर का निर्माण, वितरण, सिंहपुर बैराज परियोजना के सभी वितरण प्रणाली के साथ माइनर एवं सबमाइनर" के समझौते में, पूरे लंबाई में सी.एन.एस. परत चढ़ाने की लागत को कार्य के निर्धारित लागत में शामिल किया गया था। यह देखा गया कि सी.एन.एस. परत को मुख्य नहर की प्रारंभिक पहुंच में 0 से 5 कि.मी. तक नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन इसके लिए वसूली नहीं की गई थी जिसके कारण ₹ 16.11 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	सगद	1.01	समझौते के प्रावधान और कच्चा बांध, स्पिल मार्ग, डेक पुल और स्लूस के निर्माण कार्य में सी.सी. मदों के अनुमानित दर के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए नर्मदा रेत का उपयोग किया जाना था जिसके लिए 180 कि.मी. लीड प्रदान किया गया था। यह देखा गया कि निष्पादन के दौरान ठेकेदार ने नर्मदा रेत के स्थान पर 14,205.12 घन मीटर

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			स्थानीय रेत का उपयोग किया लेकिन इसके लिए ठेकेदार के भुगतान से कोई वसूली नहीं की गई थी। इससे ₹ 1.01 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
महाराष्ट्र	लोअर पंजारा एवं वाघूर परियोजनाएं	3.01	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के पैरा 28 और 34 के अनुसार मुआवजे की राशि पर एक वर्ष के लिए नौ प्रतिशत और उसके बाद प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान भूमि पर अधिकार प्राप्त होने की तारीख से लेकर मुआवजे के अंतिम भुगतान की तारीख तक किया जाना था। यदि किसान उसे भुगतान किए गए मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है, तो वह बढ़े हुए मुआवजे के लिए विधि न्यायालय से संपर्क कर सकता है। अगर अदालत किसान के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो बढ़े हुए मुआवजे को किसान को तत्काल भुगतान किया जाना होगा और किसी भी देरी के मामले में 15 प्रतिशत की दर से दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान ठेकेदार को तब तक किया जाएगा जब तक उस किसान को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 134 किसानों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान में मुआवजा देने की तिथि (2010-15) से दो से 70 महीने की अवधि तक की देरी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप विलंबित अवधि के लिए ₹ 3.01 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।
	लोअर पेढी	1.05	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अनुसार साइट पर निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के द्वार उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट-प्राप्त हैं। इसके अलावा, सिंचाई या पीने के उद्देश्य हेतु पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक पाइपों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सी.ई.डी.) के भुगतान से छूट दी गई है। 2,082.93 मीट्रिक टन गेट्स/पाइपों के सी.ई.डी. घटक के लागत अनुमानों को, इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदार किसी सी.ई.डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लोड किया गया था।
	लाल नाला	0.65	1,855.43 मीट्रिक टन गेट्स/पाइपों के सी.ई.डी. घटक के लागत अनुमानों को, इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदार किसी सी.ई.डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लोड किया गया था।
	नांदूर मध्मेश्वर चरण-II	0.37	मीट्रिक टन गेट्स/पाइपों के सी.ई.डी. घटक के लागत अनुमानों को, इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदार किसी सी.ई.डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लोड किया गया था।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
ओडिशा	लोअर सुकटेल परियोजना	58.28	• इस परियोजना के स्पिल्वे और अर्थ डैम के कार्यों को क्रमशः दिसम्बर 2011 और अप्रैल 2013 में ओ.सी.सी. को ₹ 140.74 करोड़ और ₹ 59.90 करोड़ के उनके प्रस्तावित दरों पर दिया गया था। ओ.सी.सी. की प्रस्तावित दरों की जांच से पता चला कि पत्थर, चिप्स और रेत के लिए ओ.सी.सी. द्वारा अपनाई गई दरें विभागीय दरों से अधिक थीं। विभागीय दरों को अनदेखा करके उच्च दरों की संस्वीकृति देना वित्तीय औचित्य के अनुरूप नहीं था। इसका परिणाम इस परियोजना के लिए ₹ 12.82 करोड़ के अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ। • अर्थ डैम के निर्माण में 8,21,651.67 घन मीटर के भूमि संघनन के लिए ज्यादा किफायती शीप फुट रोलर के बजाय वाइब्रेटरी रोलर का इस्तेमाल किया गया था जिससे ₹ 1.60 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। • ₹ 43.86 करोड़ का अतिरिक्त स्थापना व्यय हुआ जो परिहार्य था।
	रूकुरा एवं कानूपुर सिंचाई परियोजना	3.40	तीन कार्यों (रूकुरा के तहत दो और कानूपुर परियोजना के तहत एक) को जुलाई 2012 से मार्च 2016 के बीच पूरा करने के लिए ₹ 97.87 करोड़ के समझौता मूल्य सहित सौंपा गया था। ₹ 38.58 करोड़ की लागत से अतिरिक्त मदों के साथ सभी कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी के साथ पूरक समझौते किए गए थे। समझौते की शर्त के अनुसार मौजूदा एस.ओ.आर. पर अतिरिक्त मद के निष्पादन के लिए पूरक समझौतों को समाप्त किया गया था। अगर इन मदों को शुरूआती चरण में समझौतों में शामिल किया गया होता और विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के बाद कार्य सौंपे गए होते, तो समझौते में ₹ 38.58 करोड़ के लिए अतिरिक्त मदों को शामिल किया जा सकता था और समझौते की दर के अनुसार ₹ 3.40 करोड़ की कम दर पर निष्पादित किया जा सकता था। इस प्रकार, पूरक समझौतों के माध्यम से कार्यों के निष्पादन का परिणाम ₹ 3.40 करोड़ के अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ।
	कानूपुर सिंचाई परियोजना	22.04	• कानूपुर नहर डिवीजन के तहत ₹ 112.07 करोड़ के मूल्य वाले छह पैकेजों के तहत कार्यों को निष्पादित किया गया था। कार्यों में ₹ 45.00 से ₹ 53.60 प्रति घन मीटर की दर से 18.11 लाख घन मीटर की भूमि के उत्खनन के लिए प्रावधान शामिल था।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त मात्रा की भूमि की उपलब्धता के बावजूद उधार क्षेत्र से ₹ 15.63 करोड़ की लागत पर 10.54 लाख घन मीटर की भूमि प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान किया गया था जिससे बचा जा सकता था। • सीमेंट कार्य की एक संविदा के लिए लागत को माइनर कोर्स के ₹ 3.85 लाख घन मीटर के आंकलन को रिहैंडलिंग प्रभारों को जोड़कर ₹ 6.50 करोड़ तक बढ़ाया गया था। अतः 3.76 लाख घन मीटर के सीमेंट कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को ₹ 6.41 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।
	तेलिनगिरी सिंचाई परियोजना	2.50	स्पिलवे के रेडियल गेट्स के निर्माण, उत्थापन और परिवहन के लिए, ओ.सी.सी. ने मई 2010 में ₹ 20.38 करोड़ की दर दी। चूंकि प्रस्तावित दर ड्राइंग और डिज़ाइन प्रभारों में शामिल था इसलिए परियोजना प्राधिकरणों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद, ओ.सी.सी. ने ड्राइंग और डिजाइन प्रभारों को छोड़कर कार्य के लिए फरवरी 2012 में ₹ 22.88 करोड़ की दर प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। बाद की तारीख में निविदा की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.50 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।
तेलंगाना	जे. चोखा राव	524.82	एक प्राचीन धरोहर मंदिर सहित चरण-III के तहत पैकेज-II में ₹ 531.71 करोड़ की लागत के एक सुरंग का संरेखण प्रस्तावित था। कार्य के निष्पादन के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरंग के विस्फोट का विरोध किया। ₹ 44.64 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस.एल.एस.सी.) द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक सुरंग व्यवस्था को नहीं लिया गया और इसके बजाय सरकार ने मार्च 2015 में ₹ 1,101.17 करोड़ की संशोधित लागत पर सुरंग के बजाय पाइपलाइन लगाने के पक्ष में निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 524.82 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्धता हुई जिसमें से ₹ 214.21 करोड़ व्यय किए गए थे।
	पलेमवगू	0.75	परियोजना के अतिरिक्त कार्य से संबंधित आंकड़ों की जांच करने पर यह देखा गया कि ठेकेदार के लाभ के प्रति आकलन में 14 प्रतिशत लोड किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ काम के लिए बीमा प्रीमियम के प्रति प्रावधान शामिल था। ठेकेदार के लाभ के तहत आकलन में

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			बीमा प्रीमियम को शामिल करने के बावजूद अतिरिक्त कार्यों के लिए ठेकेदार को ₹ 75 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	एस.आर.एस.पी. चरण-II	0.28	एस.आर.एस.पी.-II के पैकेज-53 में विभाग ने देखा (नवंबर 2012) कि ठेकेदार को जांच, माइनर्स, सबमाइनर्स के डिजाइन एवं फील्ड चैनलों की संरचनाओं के लिए ₹ 1.36 करोड़ का भुगतान किया गया था। हालांकि, एजेंसी ने वास्तव में फील्ड चैनल की जांच और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। विभाग ने फील्ड चैनलों की जांच और सर्वेक्षण के प्रति ₹ 91 लाख के अतिरिक्त भुगतान का आकलन किया। इनमें से वसूल किए जाने के लिए ₹ 28 लाख की बकाया राशि को छोड़कर ₹ 62 लाख की राशि की वसूली (मार्च 2013) की गई थी।
उप कुल योग		**829.19**	
एम.आई. योजनाएं			
असम	सुबुरा	0.63	2011-12 और 2012-13 के दौरान गलत रूप से तैयार किए गए मद दरों के आधार पर विभागीय अनुसूची दर (डी.एस.आर.) के उल्लंघन में विभिन्न मदों के लिए अतिरिक्त मात्रा में सामग्री और श्रम की अनुमति देते हुए ठेकेदारों को कार्य सौंपे गए थें जिसके कारण ₹ 63 लाख का अतिरिक्त व्यय के साथ ही ठेकेदारों को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।
मध्य प्रदेश	बारखेड़ा छज्जू टैंक	0.40	प्रावधानों के अनुसार स्थल-पर-सामग्री खाते में अभिलेखित किए जाने के लिए उपयोग योग्य चट्टान की मात्रा उत्खनन में भुगतान की गई मात्रा का 1.3 गुना होगा, जिसे ठेकेदार को साइट पर कार्य में उपयोग के लिए जारी किया जाना था। एक समझौते में, ठेकेदार ने 2,915.87 घन मीटर हार्ड रॉक की खुदाई की, इस प्रकार 1.3 गुना यानी 3,790.63 घन मीटर धातु कार्य में उपयोग के लिए साइट पर उपलब्ध था। इसके बावजूद अनुमानित दरों में न्यूनतम 2 कि.मी. के गोल पत्थरों/धातु के लीड को शामिल किया गया और ठेकेदार को दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.29 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। आगे यह देखा गया कि ठेकेदार ने निर्धारित करेरा रेत के स्थान पर कंक्रीट में स्टोन डस्ट का उपयोग किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.10 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	बारखेड़ा छज्जू	0.19	• सिंचाई की विशिष्टताओं के अनुसार उन जगहों पर टेम्पिंग प्रदान किया जाना चाहिए जहां रोलर के माध्यम से भूमि भरण सामग्री का संघनन अव्यवहारिक या अवांछनीय है। हालांकि मात्राओं की सूची में टेम्पिंग का काम शामिल नहीं था, लेकिन इसका भी निष्पादन और आवश्यकता के बिना भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.62 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। • सिंचाई विशिष्टता के अनुसार, यदि उप-ग्रेड का उभार दबाव 0.50 किलोग्राम/वर्ग सेमी से अधिक है यानी काली मिट्टी या महंगी मिट्टी में, जिसे समय-समय पर विभाग द्वारा दोहराया गया था तो उप-ग्रेड का परीक्षण करने के बाद सी.एन.एस. परत प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि नहर खुदाई में नगण्य उभार दबाव था तथापि विभाग ने उप-ग्रेड का परीक्षण किए बिना ही पूरे नहर की लंबाई में सी.एन.एस. को प्रदान किया और मापा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.33 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
	मीराहसन	0.14	• यद्यपि मदों की सूची में 25 मि.मी. व्यास का स्टील प्रदान करने और फिक्स करने की दरें प्रति सलाखें गणना की गई थी तथापि उसका प्रति मीटर की दरों पर भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.43 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। • यद्यपि जहां अर्थवर्क/खुदाई में ड्रेसिंग के लिए भुगतान पहले से ही किया जा चुका है वहा ट्रिमिंग प्रभार देय नहीं थें तथापि, विभाग ने 2,02,111.38 वर्ग मीटर की मात्रा में मिट्टी की खुदाई के लिए ट्रिमिंग हेतु ₹ 5.57 लाख का भुगतान किया।
उप कुल योग		**1.36**	
कुल		**830.55**	

अनुबंध 4.16
(पैरा संख्या 4.9.6 का संदर्भ लें)
ठेकेदारों को अनुचित लाभ

ए: एम.एम.आई. परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
जोखिम और लागत खंड का आह्वान किए बिना संविदाओं की समाप्ति			
छत्तीसगढ़	महानदी	19.35	• महानदी मुख्य नहर पर पक्की सड़क बनाने वाली मशीन द्वारा सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के निर्माण का कार्य 102.10 से 113.33 कि.मी चयनित जगहों में. ₹ 14.01 करोड़ की लागत से दो संविदाओं के तहत ठेकेदार को दिया (सितंबर 2007) गया था। संविदा की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार काम पूरा होने तक ठेकेदार को जोखिम एवं लागत पर काम करना था। ठेकेदार ने संविदा में यथा निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया। ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर संविदाओं को समाप्त करने के बजाए ई.ई. नें ₹ 1.10 करोड़ का भुगतान किया और जोखिम और लागत खंड का आह्वान किए बिना संविदा को बंद कर दिया। विभाग ने फरवरी 2015 में ₹ 28.66 करोड़ की राशि से शेष कार्य के लिए एक नई संविदा थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 17.70 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। • इसी प्रकार कंवरहाट शाखा नहर पर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए आर.डी. 0 से 1,920 मीटर, 2,550 से 3,200 मीटर और 6,600 से 17,525 मीटर तक एक और संविदा ₹ 2.20 करोड़ की लागत पर दिया गया जो ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया और उसे भी जोखिम और लागत खंड के आह्वान किए बगैर बंद कर दिया गया। शेष कार्य जिसकी लागत ₹ 1.34 करोड़ थी उसे दूसरे ठेकेदार को ₹ 2.99 करोड़ की लागत पर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ का अतिरिक्त लागत हुआ।
जम्मू एवं कश्मीर	कंडी नहर परियोजना	3.37	नहर निर्माण हेतु ₹ 3.55 करोड़ का संचालित अग्रिम ठेकेदार को (2007-08) मशीनरी की गिरवी के विपरीत भुगतान किया गया लेकिन विभाग हाइपोथेकेशन डीड के शर्तों के अनुसार कार्यपालक अभियंता के नाम पर पंजीकरण करने में असफल रहा। ठेकेदार ने जनवरी 2010 में काम छोड़ दिया। उस समय ₹ 3.37 करोड़ संचालित अग्रिम की राशि ठेकेदार से वसूली योग्य थी। चूंकि हाइपोथेकेशन डीड विभाग के नाम पर पंजीकृत नहीं थी अतः ठेकेदार द्वारा काम छोड़ने के बाद विभाग उसके मशीनरी को जब्त करने में असमर्थ था। इसके बाद ठेकेदार को माननीय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा नवंबर 2010 में संचालित अग्रिम की वसूली के विरूद्ध में स्टे आर्डर

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			दिया गया। इस प्रकार बकाया संचालित अग्रिम ₹ 3.37 करोड़ बिना वसूली के रह गया और उक्त अग्रिम के विरूद्ध विभाग के नाम पर रखी गिरवी मशीनरी का दावा भी सितंबर 2017 तक नहीं किया जा सका। इसके अलावा विभाग ने दिसबंर 2006 और मई 2008 के बीच भंडार खरीद विभाग, जम्मू को निर्माण सामग्री की खरीद हेतु ₹ 65 लाख का अग्रिम दिया लेकिन सितंबर 2017 तक सामग्री प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण यह राशि भी असमायोजित रही। विभाग ने कहा (सितंबर 2017) कि उच्चत्तर प्राधिकारियों और राज्य स्तरीय संविदा समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नए सिरे से कार्य के आवंटन से संबंधित इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
झारखंड	सुवर्णरेखा	1.88	ठेकेदार द्वारा संविदा की मौलिक उल्लंघन के कारण संविदा की समाप्ति के मामले में अभियंता अग्रिम भुगतानों, अन्य देय वसूलियों, स्रोत कर और अधूरे कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत कटौती कर किए गए कार्य के मूल्य के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा। इछा राईट मुख्य नहर के अर्थवर्क और 0.00 से 4.56 कि.मी. एवं 6.03 से 6.39 कि.मी. तक लाइनिंग के निर्माण हेतु समझौते के तहत अभियंता ने ठेकेदार द्वारा संविदा की मौलिकता उल्लंघन के कारण संविदा समाप्त कर दिया परन्तु ₹ 1.88 करोड़ की मांग के लिए भुगतान प्रमाणपत्र जारी नहीं किया।
कर्नाटक	गुड्डदा मालापुरा	50.60	लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से संबंधित ₹ 35.87 करोड़ के मूल्य वाले कार्य को धीमी गति के कारण पहले ठेकेदार से वापस ले लिया गया और दूसरे ठेकेदार को ₹ 86.47 करोड़ लागत पर दिया गया। ₹ 50.60 करोड़ की अतिरिक्त लागत को जोखिम एवं लागत खंड का आह्वान करते हुए पहले ठेकेदार से वसूला नहीं गया। अतः पहले ठेकेदार को ₹ 50.60 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
	घाटप्रभा	0.68	ठेकेदार निष्पादन की मूल अवधि के 10 गुना विस्तार के बाद भी ₹ 69.57 लाख के कार्य में से ₹ 21.77 लाख का कार्य कर सका। इसलिए कार्य को रद्द कर दिया गया एवं दूसरे ठेकेदार को पुनःआवंटित किया गया जिसने इसे ₹ 1.16 करोड़ में पूरा किया। विभाग ने पहले ठेकेदार से जोखिम एवं लागत खंड का आह्वान करते हुए अनुचित देरी के कारण हुए अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं की। इस प्रकार पहले ठेकेदार को ₹ 67.80 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
केरल	कारापुज्हा	1.14	स्लिपवे चैनल के अनुप्रवाह पर ए.आई.बी.पी. निधि का उपयोग कर सड़क मार्ग और हैंड्रिल्स के बिना एक ब्रिज प्रोपर की अपूर्ण संरचना का निर्माण किया गया था। इस समझौते को 29.03.2005 को निष्पादित किया गया था। कई बार अवधि विस्तार के बावजूद ठेकेदार कार्य पूरा करने में विफल रहा। ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर कार्य को मई 2014 में समाप्त कर दिया गया। ठेकेदार ने

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			केवल ब्रिज प्रोपर का कार्य पूरा किया जिसके लिए ₹ 1.14 करोड़ का व्यय किया गया था। ठेकेदार से जोखिम एवं लागत देयता अभी भी वसूल किए जाने थे। शेष कार्य अभी तक नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश	सिंध परियोजना चरण-II और सिंहपुर परियोजना	36.08	सिंध परियोजना चरण-II के नौ समझौते और सिंहपुर मध्यम परियोजना के एक समझौते में ठेकेदार द्वारा काम की देरी या गैर-निष्पादन के कारण कार्यों को रद्द कर दिया गया और शेष कार्यों को डेबिट योग्य खंड के अंतर्गत दूसरे समझौता के तहत उच्च दर पर किया गया लेकिन ₹ 36.08 करोड़ की डेबिट योग्य लागत की वसूली ठेकेदार से नहीं की गई।
तेलंगाना	एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	23.74	इंदिरामा फ्लड फ्लो नहर (आई.एफ.एफ.सी.) परियोजना के तहत थोटापली जलाशय[5] के गठन का काम 36 महीने (सितंबर 2011) के भीतर पूरा करने के की शर्त के साथ ₹ 131.68 करोड़ की राशि के लिए सौंपा (सितंबर 2008) गया था। ठेका एजेंसी ने (अगस्त 2010) जलाशयों के काम की जांच और डिजाइन को पूरा कर लिया और ₹ 1.24 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके बाद एजेंसी ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर. एंड आर.) गतिविधियों और भूमि अधिग्रहण की गैर-पूर्ति के कारण काम बंद (दिसंबर 2013) कर दिया। इस संविदा को जून 2015 में समाप्त कर दिया गया। समाप्ति पर एजेंसी से ₹ 28.35 करोड़[6] की कुल राशि में से विभाग ने केवल ₹ 4.61 करोड़ वसूल (मार्च 2017) किए और विभाग को एजेंसी से अभी भी अन्य ₹ 23.74 करोड़ वसूल करना था।
उप कुल योग		**136.84**	
परिनिर्धारित हर्जाने एवं अन्य जुर्मानों की गैर-वसूली			
बिहार	दुर्गावती	1.29	तीन समझौते यथा दुर्गावती राईट मेन कैनल का निर्माण, दुर्गावती लेफ्ट मेन कैनल के बेलोन वितरक का निर्माण और दुर्गावती लेफ्ट मेन कैनल के भोरैया लघु वितरक का निर्माण को पूरा किए बिना बंद कर दिया गया और अंतिम भुगतान क्रमशः ₹ 84 लाख, ₹ 29 लाख और ₹ 16 लाख के एल.डी. की कटौती किए बिना किया गया।
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	11.89	जनवरी 2017 में सेवा सड़क मुहैया करने और निर्मित करने के लिए कार्य को जुलाई 2017 तक पूरा करने की शर्त के साथ ₹ 95.68 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था। सितंबर 2017 तक, ठेकेदार केवल ₹ 37.47 करोड़ के मूल्यांकित कार्य को पूरा कर सका, लेकिन संविदा की शर्तों के अनुसार ₹ 11.89 करोड़ की राशि के परिनिर्धारित हर्जाने को वसूल नहीं किया गया था।
झारखंड	सुबर्णरेखा, गुमानी, सोनुआ, सुरंगी एवं पंचखेरो	58.38	पाँच परियोजनाओं (सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय: 46; गुमानी: 9; सोनुआ: 9; सुरंगी: 1; पंचखेरो: 1) के तहत 66 कार्यों में 23 से 1,467 दिनों के बीच की अवधि तक की देरी पाई गई थी। ₹ 78.55 करोड़ के अनुप्रयोग योग्य एल.डी. में से ₹ 58.38 करोड़ की राशि की कटौती नहीं की गई थी।

[5] ओगलापुर (थोटापली) बैलेंसिंग जलाशय की जांच, डिजाइन और निष्पादन श्रीराम सागर परियोजना (जलाशय कार्य) के बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना के तहत करीमनगर जिले के थोटापल्ली गांव के पास 1.70 टी.एम.सी. पानी स्टोर करने के लिए।

[6] निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती, काम के बकाया मूल्य पर 20 प्रतिशत की वसूली और जुटाव अग्रिम की गैर-वसूली सहित।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
कर्नाटक	अपर तुंगा	6.47	90 दिनों से अधिक की देरी के कारण ठेकेदार से 7.5 प्रतिशत के परिनिर्धारित हर्जाना लिया जाना था। लेकिन ठेकेदारों को अपर तुंगा परियोजना से संबंधित 16 कार्यों में देरी से 90 दिनों से ज्यादा की देरी के लिए ₹ 6.47 करोड़ के परिनिर्धारित हर्जाने की बजाय जुर्माने के रूप में केवल ₹ 0.59 लाख जुर्माना लगाया गया था।
मध्य प्रदेश	बाणसागर एवं महुआर परियोजनाएं	5.95	बाणसगर यूनिट-II के तीन समझौते और माहुआर मध्यम परियोजना के एक समझौते में यह देखा गया था कि ठेकेदार ने पूरा करने की निर्धारित अवधि में काम निष्पादित नहीं किया था लेकिन विभाग ने इसके लिए जुर्माना नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 5.95 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
राजस्थान	नर्मदा नहर	4.20	नियत समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण ठेकेदार पर ₹ 4.28 करोड़, (धारा 2 के तहत ₹ 1.25 करोड़ और धारा 3 सी के तहत ₹ 3.03 करोड़) का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से केवल ₹ 7.65 लाख वसूल किए गए थे और शेष ₹ 4.20 करोड़ की राशि अभी तक वसूल नहीं हुई थी।
उप कुल योग		**88.18**	
अग्रिमों एवं बीमा रक्षा की गैर/कम वसूली			
आंध्र प्रदेश	कानुपूर	0.42	सरकार ने ए.आई.बी.पी. के तहत ₹ 9.78 करोड़ की लागत सहित कानूपुर नहर परियोजना के 0.00 से 7.20 कि.मी. तक के स्तर का कार्य सौंपा (अक्टूबर 2002)। कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि मार्च 2003 थी। सतर्कता और प्रवर्तन विभाग ने बताया कि विभाग ने निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र की वास्तविकता के उचित सत्यापन के बिना ठेकेदार का चयन किया था। तदनुसार, विभाग ने कार्य निर्धारित (अप्रैल 2003) किया। विभाग ने (जून 2008) राज्य निधि के साथ कानूपुर नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के पैकेज-4 के तहत काम किया। संविदा (अप्रैल 2003) की समाप्ति की तारीख तक ए.आई.बी.पी. निधि से कुल व्यय ₹ 71 लाख था। इस राशि में ठेकेदार को भुगतान किए गए ₹ 42 लाख का संचालित अग्रिम शामिल था जिसे अभी तक वसूल नहीं किया गया था। ₹ 29 लाख का शेष व्यय निविदा सूची पर विभागीय प्रभारों पर किया गया था। इस प्रकार, पूरा व्यय व्यर्थ हो गया और सरकार को नुकसान पहुंचा।
असम	धानसिरी सिंचाई परियोजना	0.17	बी. 3 एम. नहर के चैनल 16,760 मीटर पर गेटेड स्पिलवे के निर्माण कार्य हेतु भुगतान करते समय ठेकेदार के बिलों से 10 प्रतिशत भुगतान की दर से ₹ 17 लाख की सुरक्षा जमा के लिए सांविधिक कटौती नहीं की गई थी।
बिहार	पुनपुन	7.22	• यद्यपि समझौते में प्लांट और मशीनरी अग्रिम के अनुदान की व्यनस्था नहीं थी तथापि पुनपुन बैराज डिवीजन-1, जी.ओ.एच. के कार्यकारी अभियंता ने ₹ 13.44 करोड़ के इस प्रकार के अग्रिम का भुगतान किया, जिसमें से ₹ 6.92 करोड़ की राशि ठेकेदार से वसूल नहीं की गई थी। 2013 से काम बंद रहा।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			• भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण पुनपुन बैराज योजना के मुख्य नहर के निर्माण के लिए किए गए समझौते को रद्द करना पड़ा, हालांकि, ठेकेदार को दिए गए ₹ 30 लाख के संचालित अग्रिम को वसूल नहीं किया गया था।
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	12.96	2011 और 2016 के बीच विभिन्न एजेंसियों को दिए गए ₹ 11.16 करोड़ की राशि के विविध लोक निर्माण कार्यों के अग्रिम मार्च 2017 तक इन एजेंसियों के पास बकाया थी। इसी तरह, जुलाई 2017 तक ठेकेदार से ₹ 1.80 करोड़ का संचालित अग्रिम (एम.ए.) वसूल नहीं किया गया था। एम.ए. में से फरवरी और अप्रैल 2011 में एजेंसी को ₹ 17.26 करोड़ दिए गए।
झारखंड	सुबर्णरेखा	8.60	समझौते के अनुसार ठेकेदार को काम की प्रारंभिक तिथि से पहले किसी भी नुकसान या क्षति अथवा व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के लिए बीमा रक्षा प्रदान करना था। न्यूनतम बीमा रक्षा चार घटनाओं तक सीमित प्रति घटना ₹ पांच लाख होना चाहिए था। विफलता के मामले में, नियोक्ता को ठेकेदार को बकाया किसी भी भुगतान से प्रीमियम वसूलना था। 43 समझौतों में न तो ठेकेदारों ने ₹ 8.60 करोड़ का बीमा रक्षा जमा किया और न ही नियोक्ता ने बीमा रक्षा के लिए प्रीमियम वसूल किया।
महाराष्ट्र	वर्णा	2.89	कडवी जलसेतु का कार्य ₹ 32.58 करोड़ की निविदा लागत पर दिसम्बर 2007 को दिया गया था। 6वें आर.ए. बिल (जुलाई 2010) तक ठेकेदार को ₹ 4.41 करोड़ के सुरक्षा अग्रिम सहित ₹ 14.17 करोड़ का भुगतान किया गया था जिसमें से केवल ₹ 1.52 करोड़ वसूल किए गए थें। सुरक्षा अग्रिम की शेष राशि वसूलने के बजाय इस बिल के द्वारा ₹ 60.12 लाख का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, 2009 से ₹ 2.89 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई थी।
	लोअर पेढी	3.91	संविदा समझौते में ठेकेदार को संचालित अग्रिम के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार को ₹ 7.50 करोड़ के संचालित अग्रिम का भुगतान (अप्रैल 2010) किया। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक भूमि परियोजना प्राधिकरणों के कब्जे में भी नहीं थी। ऐसे मामले में काम की प्रगति को प्राप्त करने के लिए संचालित अग्रिम के भुगतान का उद्देश्य संभव नहीं था। अप्रैल 2010 में अग्रिम प्रदान किए जाने के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद भुगतान की तारीख से सात साल बाद भी संचालित अग्रिम पूरी तरह से वसूल नहीं किया गया, इस तथ्य के बावजूद ठेकेदार ने मार्च 2017 तक (फरवरी 2017 में 11वें आर.ए. बिल का भुगतान किया गया) ₹ 12.36 करोड़ की लागत वाले कार्य को निष्पादित किया था। अगस्त 2017 तक ₹ 5.10 करोड़ की मूल राशि और ₹ 4.09 करोड़ का ब्याज वसूल किया जा सका तथा ₹ 2.40 करोड़ मूलधन और ₹ 1.51 करोड़ ब्याज की राशि वसूली के लिए बकाया थी।
	संगोला शाखा नहर	2.27	एम.पी.डब्ल्यू. मैनुअल, 213(1) के अनुसार सभी मामलों में सुरक्षा जमा को संविदा की उचित पूर्ति के लिए ली जानी चाहिए।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			खंड 38 के तहत ई.आई.आर.एल. के प्रदान करने और अतिरिक्त मात्रा के मामले में एस.डी. वसूल नहीं किया गया था जैसा कि मुख्य जलसेतु के अंतिम आर.ए. बिल और इस परियोजना के तहत नहरों के अस्तर के एवं जलसेतु को सुदृढ़ करने के अन्य कार्यों रूप नवीनतम आर.ए. बिल में देखा गया था। इस तरह की ई.आई.आर.एल. और अतिरिक्त मात्राएं क्रमशः ₹ 30.97 करोड़ और ₹ 14.51 करोड़ थी। चूंकि एस.डी. की दर पांच प्रतिशत है, इसका यह अर्थ है कि ठेकेदार से ₹ 2.27 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई थी।
तेलंगाना	एस.आर.एस.पी. के इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	4.42	ठेकेदार संचालित अग्रिम के लिए पात्र थें जो चालू खाता बिलों से वसूल किए जाने योग्य थें। आई.एफ.एफ.सी. के मिड मैनेयर जलाशय कार्य पर ठेकेदार को ₹ 16.97 करोड़ (संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत) का संचालित अग्रिम का भुगतान किया (मार्च 2010) गया था। अन्य एजेंसियों को कुछ हिस्सों के सौंपने के कारण काम के दायरे को ₹ 255.95 करोड़ तक घटाया (नवंबर 2010) गया था। ₹ 16.97 करोड़ के संचालित अग्रिम में से ₹ 12.55 करोड़ की राशि वसूल (अप्रैल 2010) की गई थी। सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ₹ 4.42 करोड़ की शेष राशि वसूल नहीं की गई थी।
उप कुल योग		**42.86**	
उत्खनन कार्यों के प्रति बकाया राशि की कम वसूली			
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	20.74	खुदाई किए गए हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की न तो गणना की गई थी और न ही निपटान किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार के बिल से चट्टानों की खुदाई के लिए मद दरों से कोई कटौती इस आधार पर नहीं की गई थी कि इस संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे ₹ 20.74 करोड़ की हार्ड रॉक के लागत की गैर-वसूली हुई।
मध्य प्रदेश	महुआर परियोजना	0.15	महुआर राइट बैंक नहर के एक समझौते और महुआर लेफ्ट बैंक नहर के तीन समझौते में कुल 1,13,999.30 घन मीटर हार्ड रॉक की खुदाई की गई थी जिसे ठेकेदार को जारी किया जाना चाहिए और जिसके लिए ठेकेदार के भुगतान से ₹ 74.86 लाख वसूल किए जाने योग्य था। लेकिन विभाग ने केवल ₹ 59.56 लाख वसूल किए जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 15.30 लाख का अनुचित लाभ हुआ।
ओडिशा	लोअर सुकतेल	1.24	लीड प्रभारों सहित ओ.सी.सी. के प्रस्ताव मूल्य के अनुसार हार्ड रॉक की लागत ₹ 344.20 प्रति घन मीटर पर पहुंच गई। लेकिन विभाग ने स्पिलवे, एल.एस.आई.पी. के लिए हार्ड पत्थर की पुनर्प्राप्ति के प्रति ओ.सी.सी. से वसूली योग्य ₹ 230.20 प्रति घन मीटर की दर को अंतिम रूप दिया था। ₹ 114.00 प्रति घन मीटर कठोर पत्थर की कम वसूली हुई थी। इसलिए, ठेकेदार को 1.09 लाख घन मीटर पुनर्प्राप्ति योग्य हार्ड रॉक के लिए कम वसूली के लिए ₹1.24 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया गया था।
तेलंगाना	पलेम्वगू	1.67	पलेम्वगू परियोजना के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार काम पर ठेकेदार द्वारा भूमि के उपयोग पर प्रभुत्व प्रभारों की वसूली की जानी

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			थी। समझौते में यथा निर्धारित दरों पर ठेकेदारों के चालू खाता बिलों से वसूलियां की जानी थी। ठेकेदारों ने अतिरिक्त स्पिलवे काम के लिए 7,86,545 घन मीटर मिट्टी की मात्रा का उपयोग करके बाँध के काम को निष्पादित किया और उन्हें ₹ 11.64 करोड़ भुगतान (मार्च 2017) किया गया। हालांकि, प्रभुत्व प्रभार केवल 25,888 घन मीटर की मात्रा के लिए वसूल किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की कम वसूली और ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।
उत्तर प्रदेश	लाचूरा बांध	9.22	भारतीय मानक कोड आई.एस.-1200 भाग-I में निर्धारित है कि नहरों की खुदाई में जहां नरम मिट्टी, कठोर मिट्टी, मुलायम या विघटित चट्टान और कठोर चट्टान को मिश्रित किया जाता है वहां उत्खनित चट्टान का कुल मात्रा तक पहुंचने के लिए कुल उत्खनित मात्रा से मिट्टी की मात्रा घटाई जानी चाहिए। संविदा की शर्तों के अनुसार, खुदाई किए गए पत्थरों को बांध के निर्माण पर आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाना था और शेष पत्थरों की लागत को ठेकेदार से वसूल किया जाना था। रिकॉर्ड के अनुसार, डिवीजन ने मार्च 2017 तक बांध पर पिचिंग कार्यों के लिए 1,46,953.25 एम^3 पत्थरों का उपयोग किया। हालांकि, ₹ 9.22 करोड़ के शेष 2,09,657.87 एम पत्थर ठेकेदार के पास थे और ठेकेदार से इन पत्थरों की वसूली लागत जुलाई 2017 तक लंबित थी।
उप कुल योग		**33.02**	
कुल एमएम.आई. परियोजनाएं		**300.90**	

बी: एम.आई. योजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
जोखिम और लागत खंड का आहवान किए बिना संविदाओं की समाप्ति			
मध्य प्रदेश	बर्खेड़ा छज्जू, पारसाटोला, चंदवाही और मिरहसन	0.28	यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य में देरी या गैर-निष्पादन के कारण मूल समझौतों को रद्द कर दिया गया था और शेष कार्यों को विकलनीय खंड के तहत उच्च दरों पर अन्य समझौतों के माध्यम से निष्पादित किया गया था, लेकिन इसके लिए वसूली/कम वसूली नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.79 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
उप कुल योग		**0.28**	
परिनिर्धारित हर्जाने एवं अन्य जुर्मानों की गैर-वसूली			
असम	हटीगुड़ी एफ.आई.एस.	0.13	कार्य को जून 2010 में ₹ 1.27 करोड़ की लागत पर 12 महीनों के भीतर पूरा करने के लिए सौंपा गया। काम को जनवरी 2014 में 32 महीने की देरी के बाद पूरा कर लिया गया था लेकिन ठेकेदार से ₹ 12.75 लाख के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से आवश्यक परिनिर्धारित हर्जाने की वसूली नहीं की गई थी।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
झारखंड	15 एम.आई. योजनाएं	1.16	15 एम.आई. योजनाओं के लिए कार्य में देरी हुई और ठेकेदार से एल.डी. के वसूली योग्य ₹ 1.16 करोड़ वसूल नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश	कचनारी डायवर्सन स्कीम और सावली टैंक	0.51	ठेकेदार ने समापन की निर्धारित अवधि के भीतर कार्य निष्पादित या पूरा नहीं किया, लेकिन विभाग ने उसके लिए जुर्माना नहीं लगाया और समय में विस्तार किया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 50.92 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
	बारखेड़ा छज्जू	0.09	मानक निविदा दस्तावेज के अनुसार, ठेकेदार को परीक्षण के लिए फील्ड प्रयोगशाला स्थापित करनी थी, ऐसा न करने पर ठेकेदार के भुगतान से ₹ 50,000 प्रति माह की वसूली तब तक की जानी थी जब तक प्रयोगशाला की स्थापना नहीं हो जाती। यह देखा गया कि ठेकेदार ने फील्ड प्रयोगशाला स्थापित नहीं की लेकिन विभाग ने उसके लिए ₹ नौ लाख जुर्माना वसूल नहीं किया।
कुल योग		**1.89**	
उत्खनन कार्यों की ओर बकाया राशि की कम वसूली			
मध्य प्रदेश	मीराहसन	0.10	एक समझौते में ठेकेदार को 16,688.18 घन मीटर की मात्रा में हार्ड रॉक जारी किया गया था लेकिन वसूली केवल 5,988.16 घन मीटर के लिए की गई जिसके परिणामस्वरूप शेष मात्रा की कम वसूली के लिए ठेकेदार को ₹ 10.05 लाख का अनुचित लाभ हुआ।
	बारखेड़ा छज्जू	0.19	• प्रावधानों के अनुसार, एप्रोच और स्पिल चैनल को तटबंध में उपयोग के लिए खदान के रूप में दिया जाना था और स्पिलवे से प्राप्त उपयोग योग्य मात्रा में कटौती के बाद भुगतान किया जाना था। यह देखा गया था कि उत्खनित सामग्री के निपटारे के लिए एक कि.मी. के लीड के साथ कठोर मिट्टी और मुरम की खुदाई के तहत 1,54,073.61 घन मीटर की मात्रा का भुगतान किया गया था, जबकि 11,328.95 घन मीटर और 3,229.46 घन मीटर में तटबंध के निर्माण की कुल मात्रा का भुगतान उपयोग योग्य उत्खनित सामग्री की कटौती किए बिना उधार क्षेत्र से सामग्री के लिए किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.38 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। • प्रावधानों के अनुसार, एप्रोच और स्पिल चैनल को तटबंध में उपयोग के लिए खदान के रूप में दिया जाना था और स्पिलवे से प्राप्त उपयोग योग्य मात्रा में कटौती के बाद भुगतान किया जाना था। यह देखा गया था कि 1,81,878 घन मीटर मात्रा की मिट्टी की खुदाई की गई थी और तटबंध के लिए 89,527.62 घन मीटर की मात्रा का भुगतान किया गया था, लेकिन उपयोग योग्य मात्रा के लिए कोई कटौती नहीं की गई थी। इसके अलावा, 7,446.52 घन मीटर की मात्रा के विभिन्न मदों (फिल्टर रेत, स्टोन पिचिंग, स्टोन चिप्स एवं रॉक) का भी भुगतान किया गया था, लेकिन कुल देय मात्रा निकालने के लिए कुल तटबंध मात्रा से कटौती नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.43 लाख की कम वसूली हुई।
कुल योग		**0.29**	
कुल एम.आई. योजनाएं		**2.46**	